Azadi Ka Amrit Mahotsav

Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India

स्वच्छ भारत

# आजादी@75

## स्वच्छ सर्वेक्षण 2022

## #मेरा शहर मेरी पहचान

**World's Largest Urban Cleanliness Survey impacting 40 crore citizens**

**PEOPLE FIRST**

# विषय वस्तु


| | | |
|---|---|---|
| 1. | कार्यप्रणाली | 5 |
| 2. | रैंकिंग और पुरस्कार श्रेणियाँ | 10 |
| 3. | सेवा स्तर प्रगति संकेतक | 21 |
| 4. | पृथक संग्रह | 22 |
| 5. | प्रसंस्करण और निपटान | 39 |
| 6. | सतत स्वच्छता और सफाईमित्र सुरक्षा | 60 |
| 7. | प्रमाणन | 77 |
| 8. | नागरिकों की आवाज | 79 |
| 9. | नागरिक प्रतिक्रिया | 81 |
| 10. | नागरिक जुड़ाव | 86 |
| 11. | स्वच्छता ऐप / स्थानीय ऐप | 103 |
| 12. | नवाचार और सर्वोत्तम अभ्यास | 111 |
| 13. | गंगा नगरों का आंकलन | 114 |

# स्वच्छ सर्वेक्षण का विकास

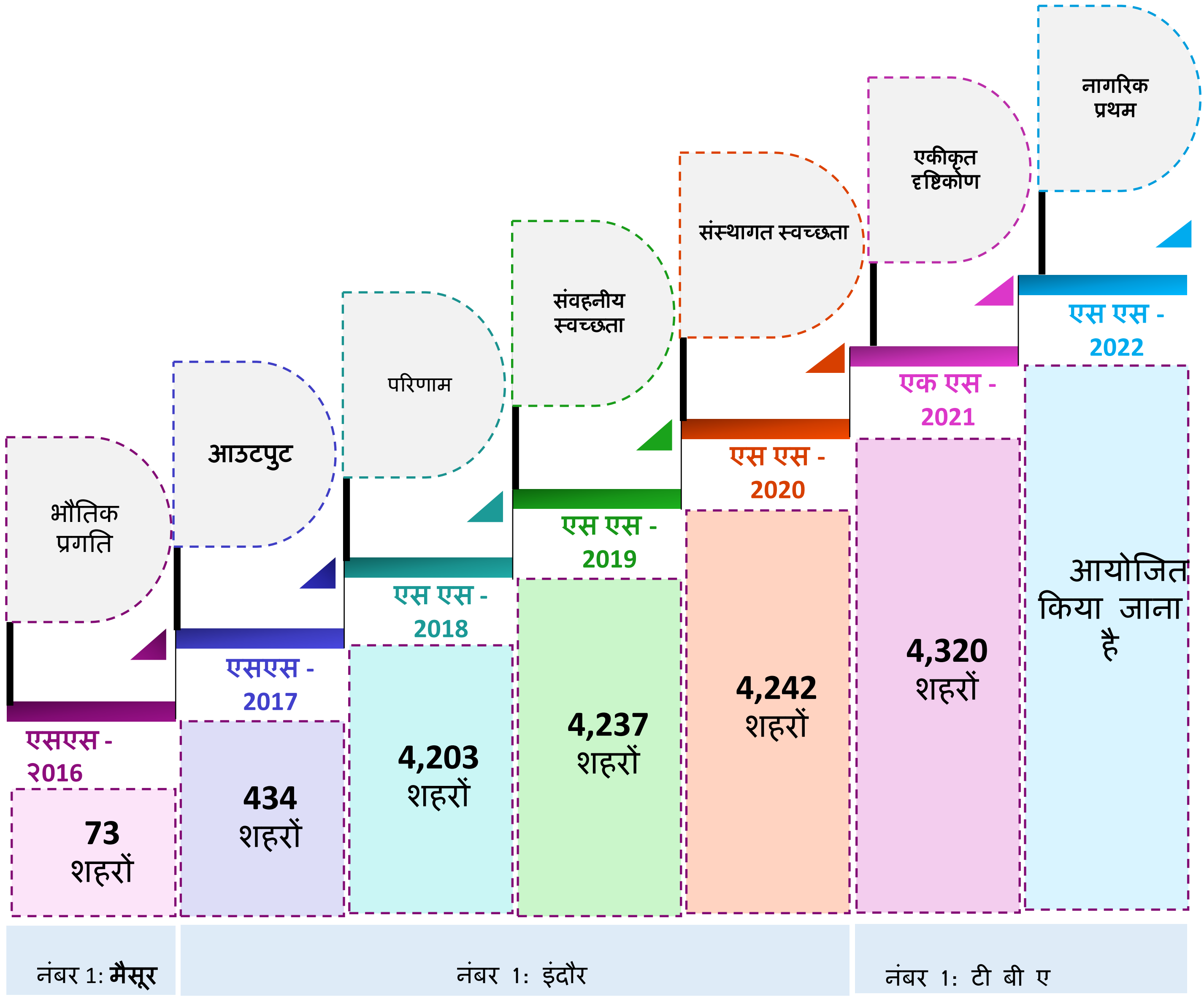


‘मॉनिटरिंग टूल’ से ‘गवर्नेंस टूल’ में परिवर्तन

# SS-2022 . के आठ स्तंभ

*India@75 ने ऐतिहासिक स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू किया*

आंकलन की बेहतर मजबूती

एसडीजी के साथ बढ़ा हुआ संरेखण

प्रक्रिया सरलीकरण

छोटे शहर के लिए अधिक अवसर

निकाय के लिए प्रणाली सुदृढ़ीकरण

राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संबंधों को मजबूतीकरण

रैखिकता से चक्रीयता की ओर गमन

**नागरिक प्रथम**

# कार्यप्रणाली

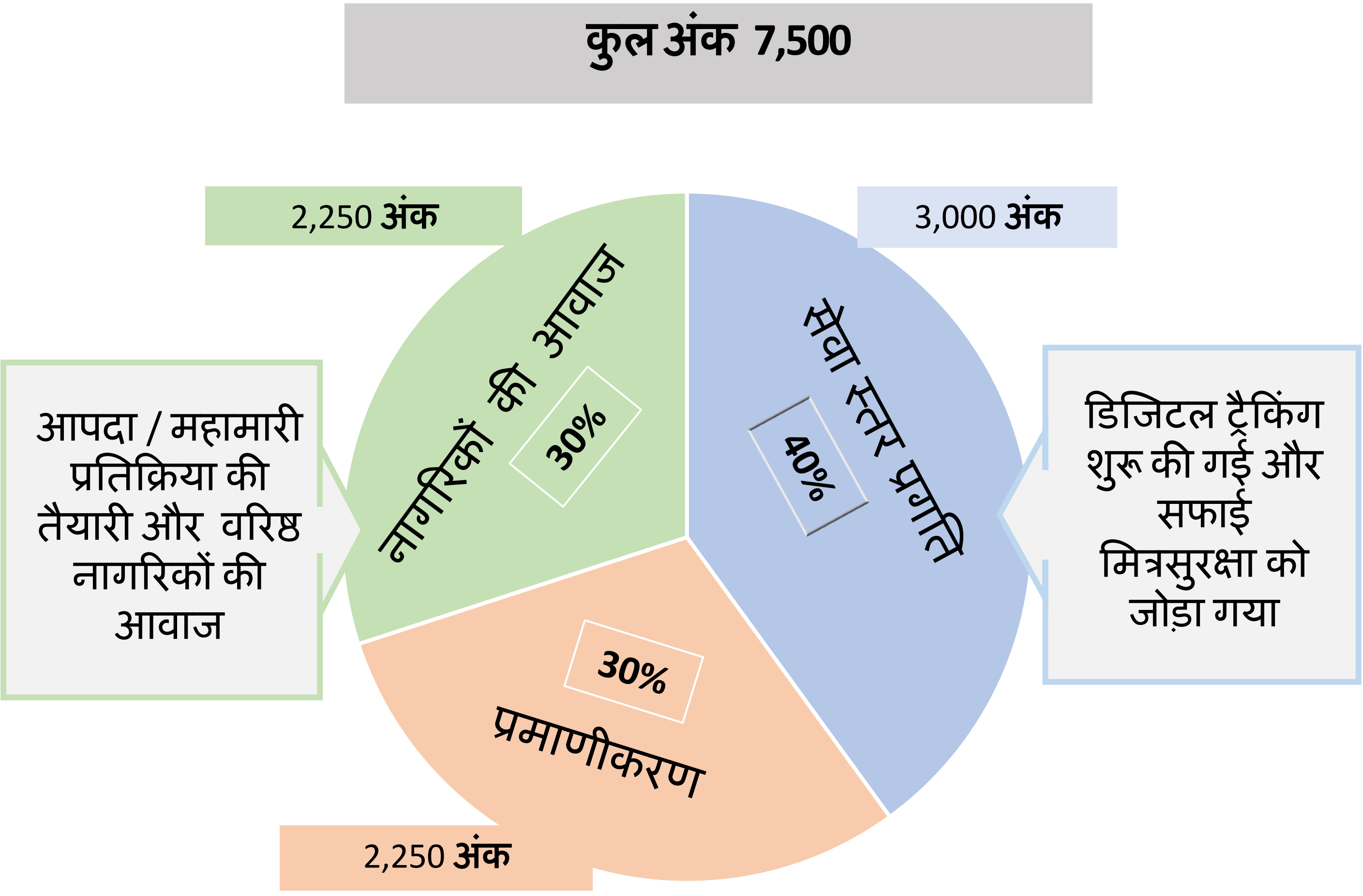
कुल अंक 7,500
2,250 अंक
नागरिकों की आवाज
30%
3,000 अंक
सेवा स्तर प्रगति
40%
प्रमाणीकरण
30%
2,250 अंक
आपदा / महामारी प्रतिक्रिया की तैयारी और वरिष्ठ नागरिकों की आवाज
डिजिटल ट्रैकिंग शुरू की गई और सफाई मित्रसुरक्षा को जोड़ा गया

# सेवा स्तर प्रगति में परिवर्तन

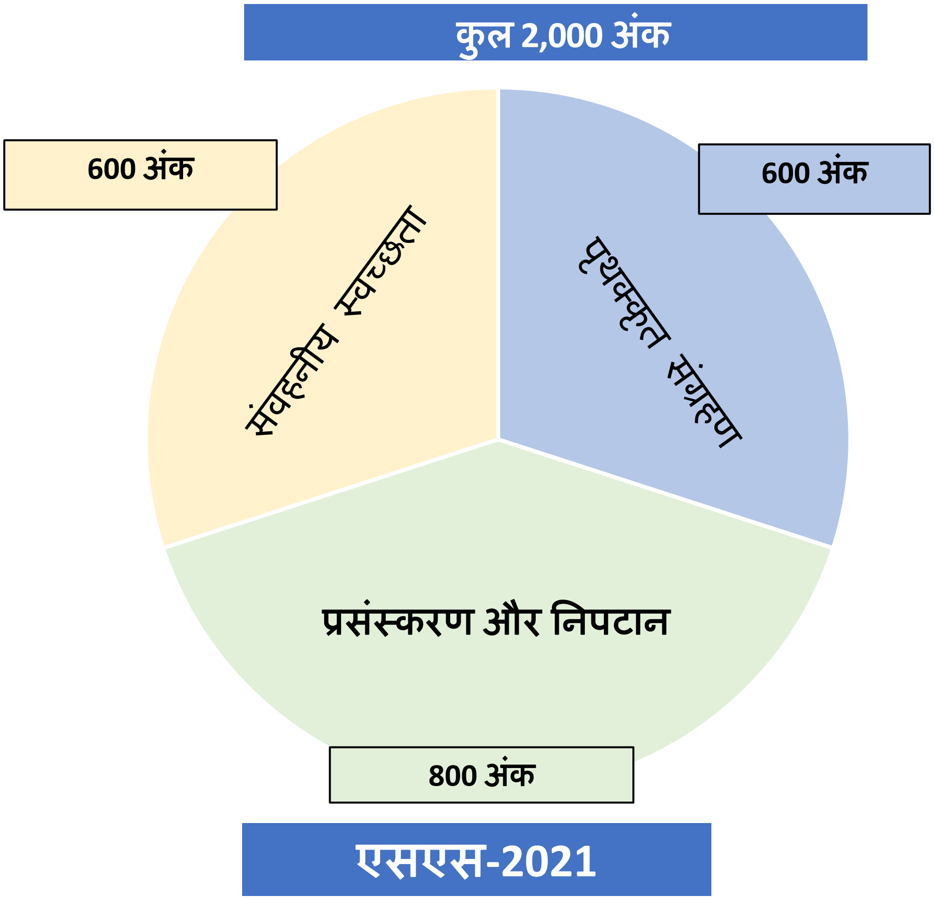


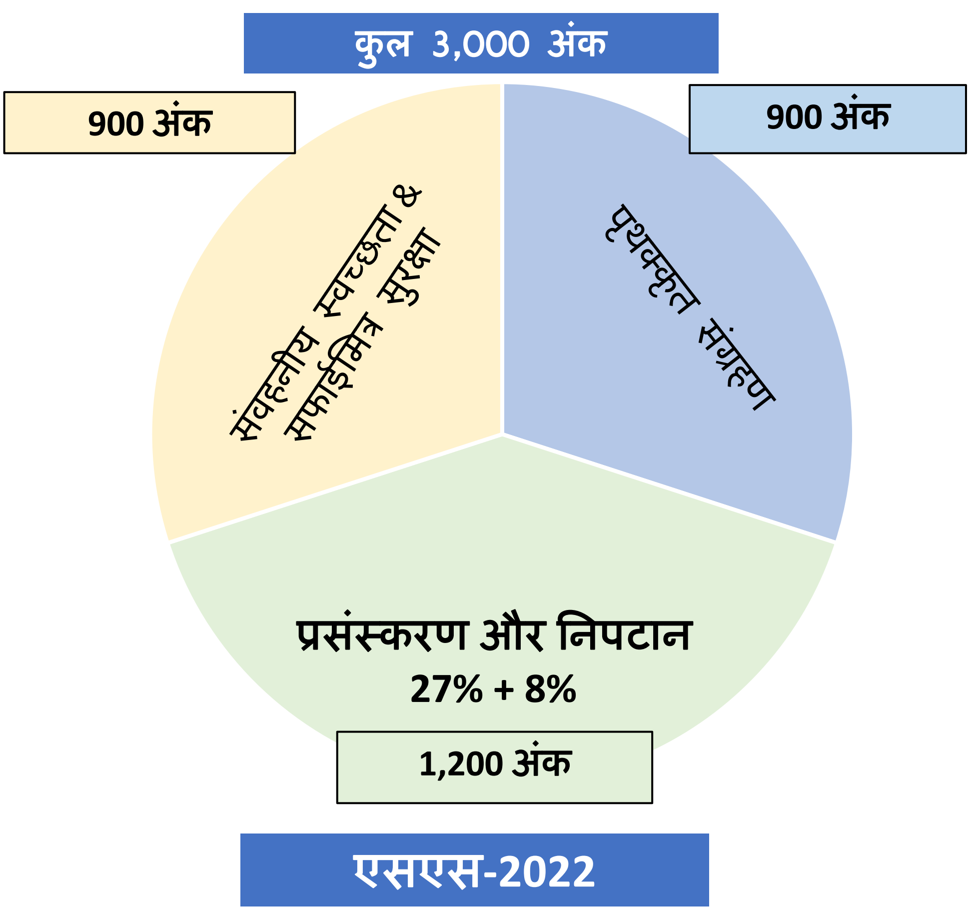

## सेवा स्तर की प्रगति का आकलन

| चरण | एसएस-2021 संकेतक | अंक | सत्यापन |
|---|---|---|---|
| **फेस-1** जुलाई - अगस्त | फेस-1 | **फेस-1 400 अंक** (3,000 का 13% ) | **ऑन-कॉल सत्यापन** अक्टूबर 2021 में |
| **फेस -2** सितंबर – अक्टूबर | फेस -2 | **फेस -2 600 अंक** (3,000 का 20% ) | **ऑन-कॉल सत्यापन** नवंबर-दिसंबर 2021 में |
| **फेस -3** नवंबर – जनवरी | फेस -3 | **फेस -3 2,000 Marks** (3,000 का 67% ) | **ऑन-फील्ड सत्यापन** फरवरी 2022 में |
| | | **कुल 3,000 अंक** | |

ध्यान दें: Ph-1 और 2 का मूल्यांकन SS-2021 के लिए बनाए गए सेवा स्तर प्रगति संकेतकों के आधार पर किया जाएगा

# रैंकिंग और पुरस्कार श्रेणियाँ

# रैंकिंग श्रेणियाँ

**1. 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर**

- जोनल रैंकिंग (5 जोन)
- प्रत्येक जोन में, 4 जनसंख्या श्रेणियाँ

**2. 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर**

- 1 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों की रैंकिंग
- 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की रैंकिंग

# पुरस्कार - जनसंख्या वर्ग

**पुरस्कार: 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर**

## राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार

1. सबसे स्वच्छ शहर – रैंक 1
2. सबसे स्वच्छ शहर - रैंक 2
3. सबसे स्वच्छ शहर - रैंक 3

**क्षेत्रीय पुरस्कारों** के लिए नीचे दी गई प्रत्येक जनसंख्या श्रेणी को **5 जोन** में विभाजित किया जाएगा

| | |
|---|---|
| 50 हजार - 1 लाख → | 535 निकाय |
| 25 - 50 हजार → | 989 निकाय |
| 15-25 हजार → | 1,020 निकाय |
| 15 हजार से कम → | 1,357 निकाय |

छावनी और गंगा शहरों के लिए अलग-अलग पुरस्कार।

## पुरस्कार : 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर

# राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार

1. सबसे स्वच्छ शहर – रैंक 1
2. सबसे स्वच्छ शहर – रैंक 2
3. सबसे स्वच्छ शहर – रैंक 3

### जनसंख्या वार पुरस्कार

| | |
|---|---|
| 1-3 लाख → | 323 निकाय |
| 3 – 10 लाख → | 99 निकाय |
| 10-40 लाख → | 40 निकाय |
| 40 लाख से अधिक → | 9 निकाय |

देश/राज्य की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश

छावनी और गंगा शहरों के लिए अलग-अलग पुरस्कार।

# राज्य की रैंकिंग
# विस्तृत पैरामीटर

## दो श्रेणियां: (1) 100 से अधिक निकाय वाले राज्य और (2) 100 से कम निकाय वाले राज्य

| 50% भारिता<br>राज्य से निकाय को सहायता | 30% भारिता<br>जीएफसी और<br>ओडीएफ+/++/वॉटर+ | 20% भारिता<br>एसएस-2022 में प्रदर्शन |
|---|---|---|
| 1. क्या 100% शहरों ने वित्त मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित फ़ंड फ्लो प्रक्रिया का पालन किया है<br>2. क्या ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम मौजूद है और एसबीएम (जीईएम या राज्य स्तरीय ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम) के तहत प्रॉक्यूरमेंट के लिए 100% निकाय द्वारा उपयोग किया जाता है।<br>3. क्या 100% निकाय प्रस्ताव ट्रैकिंग सिस्टम पर अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं<br>4. क्या जिम्मेदार स्वच्छता प्राधिकरण (आरएसए) और स्वच्छता प्रतिक्रिया इकाई (एसआरयू) सभी जिलों और निकायों में अधिसूचित और संचालित हैं<br>5. क्या संपत्ति कर फ्लोर रेट अधिसूचित है<br>6. क्या सभी शहरी स्थानीय निकायों में उपयोगकर्ता प्रभार अधिसूचित किए गए हैं<br>7. क्या प्रत्येक शहर के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना स्वीकृत और अपलोड की गई है | 1- कचरा मुक्त शहर स्टार रेटिंग - राज्य के प्रमाणित शहरों का प्रतिशत<br>A. 7 स्टार<br>B. 5 स्टार<br>C. 3 स्टार<br>D. 1 स्टार<br><br>2- खुले में शौच मुक्त - प्रदेश के प्रमाणित शहरो का प्रतिशत<br>a. वाटर प्लस<br>b. ओडीएफ++<br>c. ओडीएफ+ | 1. राज्य में एसएस-2022 प्रेरक दौर श्रेणियों में आने वाले शहरों का प्रतिशत -<br>a. प्लेटिनम (दिव्य)<br>b. गोल्ड (अनुपम)<br>c. सिल्वर (उज्ज्वल)<br>d. कांस्य (उदित)<br>e. कॉपर (आरोही) |

# PRERAK

# DAUUR

Divya Anupam Ujjwal Udit aaRohi

# SAMMAN

# प्रेरक दौड़ सम्मान

# एसएस-2022 प्रेरक दोड़ सम्मान

## शहरों का वर्गीकरण

निम्नलिखित श्रेणियों में शहरों की सूची-

I. प्लैटिनम (दिव्य) शहर
II. गोल्ड (अनुपम) शहर
III. सिल्वर (उज्ज्वल) शहर
IV. कांस्य (उदित) शहर
V. कॉपर (आरोही) शहर

# प्रेरक दौड़ सम्मान मापदंड

| रैंकिंग श्रेणियां | योग्यता मापदंड | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कचरे का पृथक्करण (गीला, सूखा और हानिकारक*) *प्लैटिनम के लिए अनिवार्य (=या>) | उत्पन्न गीले कचरे के प्रतिकूल प्रसंस्करण क्षमता (= या>) | गीले कचरे का प्रसंस्करण (= या>) | सूखे कचरे का प्रसंस्करण / पुनर्चक्रण (= या>) | सी एंड डी अपशिष्ट प्रसंस्करण (= या>) | लैंडफिल में जाने वाले कचरे का प्रतिशत | स्वच्छता स्थिति (एस.एस - 2022) | नागरिक आवाज़ में अंकों का प्रतिशत (एस.एस-2022) |
| प्लैटिनम (दिव्य) | > 95 % वार्ड | 100 % | 100 % | 100 % | 50% सी एंड डी अपशिष्ट संसाधित / पुन: उपयोग किया गया | 10% तक | वाटर प्लस | >85 % |
| गोल्ड (अनुपम) | >85 % वार्ड | 100 % | 95 % | 90 % | 50 % | 15% तक | ओडीएफ ++ | >70 % |
| सिल्वर (उज्ज्वल} | >75 % वार्ड | 95 % | 90 % | 80 % | 30% | 20% तक | ओडीएफ ++ | >55 % |
| कांस्य (उदित) | >65 % वार्ड | 90 % | 85 % | 80 % | 20% | 20% तक | ओडीएफ + | >40 % |
| कॉपर (आरोही) | >55 % वार्ड | 85 % प्रसंस्करण क्षमता | 80 % प्रसंस्करण | 80 % प्रसंस्करण/ पुनर्चक्रण | 10% प्रांस्कृत/ पुन:उपयोग | 20% तक | ओडीएफ + | >30 % |

**नोट:**

1. शहर को विशेष श्रेणी की अर्हता प्राप्त करने के लिए सभी मानदंडों को पूरा करना होगा अन्यथा शहर को अगली सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के लिए संतोष करना होगा जिसके सभी मानदंड पूर्ण हो रहे हों।

# दैनिक/मासिक आधार पर प्रगति की डिजिटल ट्रैकिंग

1. प्रमुख संकेतकों की निगरानी के लिए निकाय द्वारा कैप्चर की गई दैनिक प्रगति (जैसे, एक्सेल फाइल) को एसबीएम पोर्टल के साथ लिंक करना होगा।
   - अतिरिक्त **270 अंक**; और
   - उन इंडिकेटर के लिए **सहायक दस्तावेज** अपलोड करने में छूट

   **उदाहरण:** निकाय द्वारा एक्सेल शीट में या अन्य रूप में अलग-अलग डोर-टू-डोर संग्रह के लिए प्रतिदिन एकत्र किए गए वार्ड/वाहन-वार डेटा, यदि एसबीएम पोर्टल पर लिंक/अपलोड किया गया है तो अंकों के लिए अर्हता प्राप्त होगी।

2. निकाय की **सभी संपत्तियों** (जैसे, सूखा और गीला अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र, एमआरएफ केंद्र, एसटीपी, एफएसटीपी आदि) **को जियो-टैग किया जाना है।**

नोट: डिजिटल निगरानी और संपत्तियों की जियो-टैगिंग के लिए MOHUA द्वारा प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जाएगा ।
निकायों से अपेक्षा की जाती है कि वे अंकों का दावा करने के लिए 1 नवंबर 2021 से दैनिक प्रगति को डिजिटल रूप से अपलोड करें ।

कृपया अतिरिक्त 270 अंक वाले सेवा स्तर प्रगति संकेतकों को देखें

# याद रखने योग्य बिंदु

- मासिक एमआईएस को निकाय द्वारा अगले महीने के 5वें दिन तक अपडेट किया जाएगा, लेकिन राज्य महीने के 10वें दिन तक एमआईएस को स्वीकृति दे सकता है, ऐसा न होने पर एमआईएस स्वचालित रूप से स्वीकृत हो जाएगा। जनवरी 2022 एमआईएस के लिए, जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 है- 5 फरवरी 2022 तक राज्य द्वारा अनुमोदित किया जाना है ।
- प्रगति का आकलन करने के लिए तीसरे चरण के सभी 3 महीनों की औसत प्रगति की जाएगी। लेकिन प्रथम चरण के लिए- जुलाई -अगस्त और द्वितीय चरण के लिए- सितंबर - अक्टूबर, दो महीने का औसत लिया जाएगा।
- यदि किसी भी महीने की प्रगति/एमआईएस को भरा नहीं जाता है, तो संबंधित चरणों के अंतर्गत आने वाले सभी महीनों का औसत लेने से पहले उस विशेष महीने के लिए शून्य प्रगति पर विचार किया जाएगा ।
- तृतीय चरण (नवंबर-जनवरी) के लिए, निकाय को अपनी सिस्टम में दैनिक प्रगति को बनाए रखने है जिससे वे एसबीएम पोर्टल पर साप्ताहिक/मासिक प्रगति को अद्यतन करने में सक्षम होंगे । जबकि >5 लाख जनसंख्या श्रेणी में निकाय को रोजाना अपनी सहायक जानकारी अपलोड किया जाना है, <5 लाख जनसंख्या श्रेणी में मासिक आधार पर इसे अपलोड कर सकती हैं।
- यदि निकाय एसबीएम पोर्टल पर अपनी दैनिक/मासिक प्रगति को अद्यतन नहीं कर रहा है, तो उनकी प्रगति का समर्थन करने वाले सभी संबंधित दस्तावेजों को निकाय द्वारा बनाए रखना होगा - सत्यापन/मूल्यांकन के लिए एसबीएम पोर्टल पर अपलोड किया जाना होगा - सहायक दस्तावेजों को अपलोड करने की अंतिम तिथि 24 जनवरी 2022 होगी। ऐसे सभी मामलों में, निकाय दैनिक/ मासिक सहायक जानकारी अपलोड करने के लिए प्रदान किए गए अंक प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे ।
- मूल्यांकन एजेंसी तिमाही मूल्यांकन के दौरान जरूरत पड़ने पर किसी भी दस्तावेज की मांग कर सकती है। निकाय को अपलोड करने के लिए 48 घंटे की विंडो दी जाएगी - राज्य को भी साथ में सूचित किया जाएगा।
- यदि अनुरोधों पर संतोषजनक दस्तावेज नहीं दिए गए हैं (घोषणा के बावजूद), तो गलत/झूठी घोषणा के लिए शून्य अंक दिए जाएंगे -एजेंसी मंत्रालय के परामर्श से ऐसे सभी मामलों पर निर्णय करेगी ।
- त्रैमासिक ऑन-फील्ड/ऑन कॉल प्रगति का सत्यापन सभी संभावित संकेतकों (पहचाने गए संकेतक के अनुसार) के लिए किया जाएगा। त्रैमासिक रैंकिंग ऑन-फील्ड सत्यापन सुधारों को समायोजित करने के बाद होगी।

# याद रखने योग्य बिंदु

- लॉगबुक/सहायक दस्तावेजों को अपशिष्ट प्रसंस्करण सहित संयंत्र स्थल में ही रखा जाना चाहिए ।
- निकायों को सलाह दी जाती है कि वे केवल चिन्हित वार्डों के आधार पर अपने एमआईएस/सिटी प्रोफाइल को अपडेट करें-प्रशासनिक वार्डों मान्य नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी मामलों में, जहां चुनावी वार्ड नहीं हैं, प्रशासनिक वार्डों को MoHUA द्वारा अनुमोदन पर विचार किया जाएगा
- मासिक प्रगति 'दावा' की पुष्टि करने वाले कार्यकारी अधिकारियों की एक घोषणा (अनुभाग वार) को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरी स्थानीय निकायों के लिए पहले दो चरणों के लिए एक दस्तावेजी समर्थन के रूप में माना जाएगा।
- यदि निकाय को भंग कर दिया गया है और प्रशासक की नियुक्ति राज्य द्वारा की गई है (जहां लागू हो) ऐसी स्थिति मे प्रशासक की घोषणा को मान्य किया जाएगा।
- आवासीय क्षेत्र की भूमि मे यदि वाणिज्यिक क्षेत्र हो, तो उसे 'Mixed-land use' कहा जाएगा
  - वाणिज्यिक क्षेत्र अचल संपत्ति है जिसका उपयोग लाभकारी व्यवसायों, जैसे कार्यालय परिसर, शॉपिंग मॉल, सर्विस स्टेशन और रेस्तरां द्वारा उपयोग के लिए किया जाता है।
  - कृपया ध्यान दें, आवासीय क्षेत्र में दुकानों की संख्या (फर्श के अनुसार या एक पंक्ति में और दोनों तरफ या सड़क के केवल एक तरफ), वाणिज्यिक क्षेत्र के रूप में मान्य होगी।

| निकाय की जनसंख्या श्रेणी | 25 हजार तक | के बीच 25 -50 हजार | के बीच 50 हजार -1 लाख | के बीच 1 लाख - 3 लाख | 3 लाख से ऊपर |
|---|---|---|---|---|---|
| दुकानों की संख्या | 10 | 20 | 50 | 75 | 100 |

# संकेतक

SWACHH SURVEKSHAN 2022

सेवा स्तर प्रगति

फेस-3*

*Ph-1 और Ph-2 सेवा स्तर प्रगति संकेतक केवल SS-2022 से संदर्भित होंगे
(***Ph-1 & Ph-2 Service Level Progress** Indicators will refer from **SS-2022 only**)

# सेवा स्तर प्रगति संकेतक

**कुल 3,000 अंक**

# 1. पृथक्कृत संग्रहण

## संकेतकों की कुल संख्या : 8

**900 अंक / 3,000 अंक**

**कुल 3,000 अंक**

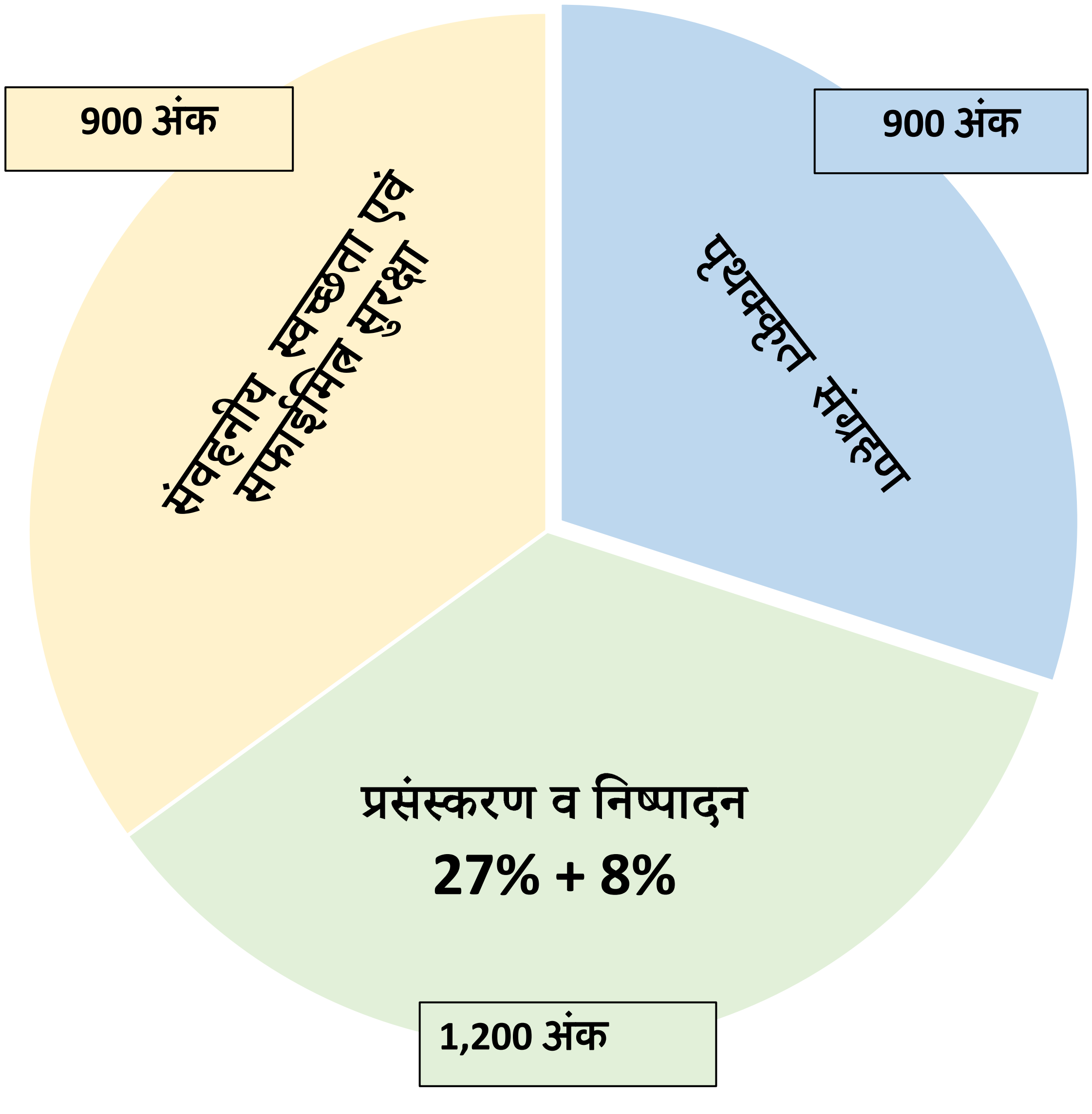

| | | |
|---|---|---|
| **1.1** | **कचरा संग्रहण करने वाले वार्डों का प्रतिशत जहां 100% स्रोत पृथक्करण (गीला, सूखा, सेनेटरी और घरेलू हानिकारक अपशिष्ट **) किया गया हो और पृथक्कृत अपशिष्ट को प्रसंस्करण / निपटान स्थल तक निरन्तर बनाए रखा हैं।**<br><br>**(> 1 लाख आबादी वाले शहरों में घरों, मंडी, सड़कों / व्यवसायिक क्षेत्रों / कूड़े के डिब्बे, होटल / रेस्तरां, पार्क / बागवानी अपशिष्ट और धार्मिक स्थानों से अलग-अलग अपशिष्ट को इकट्ठा करने का सुझाव दिया जाता है )** | **अंक 300** (270+30) |

यह संकेतक यह जॉच करता है कि क्या आपके निकाय में घर-घर कचरा संग्रहण की प्रणाली स्थापित है। (वार्ड कवरेज का तात्पर्य है वार्ड का प्रत्येक घर परिवार /गेट, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और दूकान।)

| **अंकन योजना** | **अंक** |
|---|---|
| 95% वार्डों में पृथक्कृत अपशिष्ट को प्रसंस्करण/निपटान स्थल तक बनाए रखना | 270 |
| 85% वार्डों में पृथक्कृत अपशिष्ट को प्रसंस्करण/निपटान स्थल तक बनाए रखना | 240 |
| 75% वार्डों में पृथक्कृत अपशिष्ट को प्रसंस्करण/निपटान स्थल तक बनाए रखना | 210 |
| 65% वार्डों में पृथक्कृत अपशिष्ट को प्रसंस्करण/निपटान स्थल तक बनाए रखना | 180 |
| 55% वार्डों में पृथक्कृत अपशिष्ट को प्रसंस्करण/निपटान स्थल तक बनाए रखना | 150 |
| 45% वार्डों में पृथक्कृत अपशिष्ट को प्रसंस्करण/निपटान स्थल तक बनाए रखना | 120 |

| | |
|---|---|
| निकाय द्वारा रीयल-टाइम पृथक संग्रह विवरण के साथ वाहन और विक्रेता विवरण (यदि आउटसोर्स किए गए हैं) की दैनिक निगरानी की जाए और डेटा/एक्सेल फ़ाइल को साप्ताहिक आधार पर एसबीएम पोर्टल पर किया जाना चाहिए। | 30 |

**स्वच्छता अपशिष्ट: मासिक धर्म अपशिष्ट और डायपर घरेलू खतरनाक कचरा: फेंके गए पेंट ड्रम, कीटनाशक के डिब्बे, सीएफएल बल्ब, ट्यूब लाइट, एक्सपायर्ड दवाएं, टूटे हुए पारा थर्मामीटर, इस्तेमाल की गई बैटरी, इस्तेमाल की गई सुई और सीरिंज और दूषित गेज, आदि। घरेलू स्तर - जिसे साप्ताहिक आधार पर भी एकत्र किया जा सकता है।

*गेट का मतलब उस जगह से है जहां से कचरा इकट्ठा करने वाला कचरा इकट्ठा करता है। स्वतंत्र घरों के लिए, दरवाजे को एक गेट माना जाएगा जबकि आवासीय सोसायटियों में, आमतौर पर एक ही पॉइंट होता है जहां से ये कचरा इकट्ठा करने वाला कचरा इकट्ठा करते हैं।

नोट:

- एमओएचयूए दिशानिर्देशों के अनुसार कोविड -19 के तहत घरों से निकाले कचरे को अलग से एकत्र किया जाना है।
- अलग किए गए कचरे के दैनिक संग्रह का विवरण प्रदान करने वाले निकायों को दस्तावेजी सपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त अंक प्राप्त होंगे।
- निकाय अपने अपशिष्ट संग्रह प्रणाली को सुधार करने के लिए वैकल्पिक दिन/दो बार या सप्ताह में एक बार सूखे कचरे के संग्रह का विकल्प चुन सकते हैं।
- निकाय मे घर-घर पृथकृत कचरा संग्रहण के अन्तर्गत आने वाले वार्डों की संख्या अपशिष्ट संग्रहण में मान्य होगी, जिसमे से थोक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता और गैर थोक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता जो ऑनसाइट प्रसंस्करण के माध्यम से खाद बनाते है वे शामिल नहीं होंगे।

## 1.1

कचरा संग्रहण करने वाले वार्डों का प्रतिशत जहां 100% स्रोत पृथक्करण (गीला, सूखा, सेनेटरी और घरेलू हानिकारक अपशिष्ट **) किया गया हो और पृथक्कृत अपशिष्ट को प्रसंस्करण / निपटान स्थल तक पृथक ही रखने की व्यवस्था हो।
(> 1 लाख आबादी वाले शहरों में घरों, मंडी, सड़कों / व्यवसायिक क्षेत्रों / कूड़े के डिब्बे, होटल / रेस्तरां, पार्क / बागवानी अपशिष्ट और धार्मिक स्थानों से अलग-अलग अपशिष्ट को इकट्ठा करने की सलाह दी जाती है)

## सत्यापन की पद्धति

नागरिकों से 100% नमूनों की पुष्टि'

- शहर के सेंपल आकार और जनसंख्या के आधार पर, शहर को क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा (>10लाख 5 जोन/ 1-10लाख 4 जोन /<1लाख 2 जोन )
- मूल्यांकनकर्ता रेंडम तरीके से ठोस अपशिष्ट के डोर-टू-डोर संग्रह के तहत दावा किए गए वार्डों में घरों / व्यवसायिक इकाइयों से संपर्क करेगा
- प्रश्न पूछा जाएगा की घर/वाणिज्यिक इकाई या गेट (जो भी शर्त लागू हो) से प्रतिदिन तीन अलग-अलग श्रेणियों में कचरा एकत्र किया जाता है (सूखा और खतरनाक कचरे को वैकल्पिक रूप से या सप्ताह में दो बार / एक बार एकत्र किया जा सकता है) निकाय द्वारा दैनिक आधार पर एकत्र किए गए डेटा की जांच करके आईसीटी आधारित निगरानी की वैधता की जांच की जाएगी।
- घरों/व्यवसायिक इकाइयों से प्राप्त प्रतिक्रिया (नकारात्मक / सकारात्मक) के आधार पर, स्वतंत्र सत्यापन मैट्रिक्स (आईवीएम) का प्रयोग किया जाएगा और अंतिम अंक दिए जाएंगे। अंतिम अंक = दावा किए गए अंक - स्वतंत्र सत्यापन के अंतर्गत समायोजित अंक (यदि कोई हो) ।

1.2

## कुल उत्पन्न अपशिष्ट के विरुद्ध कुल संग्रहित अपशिष्ट का प्रतिशत (%)

(BWG द्वारा संधारित अपशिष्ट, गैर-थोक जनरेटर द्वारा साइट पर प्रसंस्करण जैसे घरेलू खाद या अनौपचारिक कचरा बीनने वालों द्वारा एकत्र किया गया कचरा को छोड़कर)

**अंक 60**

निकाय से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि शहर में उत्पन्न कचरे को बड़े पैमाने पर डंपिंग या जीवीपी में विकसित न करने के लिए संग्रहित किया जाना चाहिए)

| अंक योजना | अंक |
|---|---|
| 100% उत्पन्न अपशिष्ट संग्रहित किया जाता है | 60 |
| 80% तक उत्पन्न अपशिष्ट संग्रहित किया जाता है | 40 |
| 60% तक उत्पन्न अपशिष्ट संग्रहित किया जाता है | 20 |
| 60% से कम उत्पन्न अपशिष्ट संग्रहित किया जाता है | 0 |

# 1.3

**सार्वजनिक क्षेत्रों की सफाई:** निकाय में 100 प्रतिशत वार्ड साफ और अच्छी तरह से मेंटेंड हैं, सभी व्यवसायिक और सार्वजनिक क्षेत्रों में दिन में दो बार स्वीपिंग (नाइट स्वीपिंग सहित), सभी रिहायशी इलाकों में दिन में एक बार स्वीपिंग, साफ सुथरी बैक लेन, कचरा पड़ाव स्थल (जीवीपी) का परिवर्तन और कोई भी (ZERO) सेकेंडरी स्टोरेज बिन ना हो

**Marks 130**

**यह संकेतक यह जांचने के लिए है कि, क्या शहर के सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों और परिवहन केंद्रों में दिन में कम से कम दो बार सफाई की जाती है, जिसमें शामिल हैं त्योहारों और रविवारों (अनिवार्य रात की सफाई के साथ, जीवीपी के उन्मूलन के साथ), सभी आवासीय वार्डों में दैनिक सफाई, और शहर बिन-मुक्त शहर है।**

* सार्वजनिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में बाजार क्षेत्र (मंडी (एपीएमसी) और साप्ताहिक बाजार सहित सब्जी / फल और मांस / मछली बाजार), रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, अन्य परिवहन केंद्र, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कार्यालय, धार्मिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं।, संस्थागत क्षेत्र, निकाय प्रबंधित पार्किंग क्षेत्र, सिटी पार्क और उद्यान), सड़कें और गली, और अन्य प्रासंगिक क्षेत्र शामिल हैं

** शहरी स्थानीय निकायों से अपेक्षा की जाती है कि वे वाणिज्यिक भवनों/कार्यालय परिसरों, घरों के पिछले हिस्से, धार्मिक स्थलों या शहर के किसी भी भवन के पिछले हिस्से को बनाए रखें, जो आम तौर पर दैनिक सफाई और रखरखाव के अंतर्गत नहीं आते हैं।

| अंक योजना | | अंक |
|---|---|---|
| 1- | सभी सार्वजनिक* और व्यावसायिक क्षेत्रों की सड़कों और गलियों, और अन्य संबंधित क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखी होना चाहिए तथा हवा में धूल से बचने के लिए दिन में दो बार पानी के स्प्रे *** से सफाई होना चाहिए ((नाइट स्वीपिंग सहित) (हाँ/ना)<br>नोट: >10 लाख आबादी वाले शहरी स्थानीय निकायों में 4-लेन सड़कों के लिए मशीनीकृत सफाई होना चाहिए | 30 |
| 2. | सभी आवासीय क्षेत्रों में एक बार सफाई होना चाहिए - अन्य संबंधित क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखी होना चाहिए। (हाँ/ना) | 30 |
| 3. | वाणिज्यिक/आवासीय क्षेत्रों की सभी के पीछे की गलियां ** साफ हो- कोई जलजमाव नहीं हो, जल निकासी व्यवस्था अवरुद्ध नहीं हो, जल निकासी में कोई ठोस अपशिष्ट न दिखे और दीवारों का ठीक से रखरखाव किया हो। | 30 |
| 4. | 100 लीटर से बड़े कूड़ेदान मुक्त वार्ड समस्त खली प्लॉट में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट और ठोस अपशिष्ट नहीं होना चाहिए और शहरी क्षेत्र में कचरा जलाने की गतिविधि नहीं पायी जाना चाहिए। | 20 |
| 5. | निकाय के अधिकार क्षेत्र जीवीपी मुक्त हो | 20 |

## नमूना मानदंड

| जनसंख्या श्रेणी | <25K | 25-50K | 50K-1L | 1-3L | 3-10L | >10L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लोकेशन | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| ज़ोन | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| योग | 4 | 8 | 12 | 32 | 40 | 60 |

## 1.3

**सार्वजनिक क्षेत्रों की सफाई:** निकाय में 100 प्रतिशत वार्ड साफ और अच्छी तरह से मेंटेंड हैं, सभी व्यवसायिक और सार्वजनिक क्षेत्रों में दिन में दो बार स्वीपिंग (नाइट स्वीपिंग सहित), सभी रिहायशी इलाकों में दिन में एक बार स्वीपिंग, साफ सुथरी बैक लेन, कचरा पड़ाव स्थल (जीवीपी) का परिवर्तन और कोई भी (ZERO) सेकेंडरी स्टोरेज बिन ना हो

**सत्यापन की पद्धति**

**मिश्रित नमूनें**

**प्रत्यक्ष अवलोकन + नागरिक प्रतिक्रिया**

(यदि ऑन-कॉल सत्यापन हुआ - 100% नागरिक प्रतिक्रिया)

1. शहर के सैंपल के आधार और जनसंख्या के आधार पर, शहर को आवश्यक संख्या में ज़ोन्स (Zones) में विभाजित किया जाएगा (>10 लाख को 5 जोन/ 1-10 लाख को 4 जोन /<1 लाख को 2 जोन )

2. नमूना (Sample) लेने की पद्धति :
   a. व्यावसायिक एवं सार्वजानिक क्षेत्रों में दिन में दो बार सफाई (स्वीपिंग) : **75% नमूने दुकानदारों / विक्रेताओं से + 25% प्रत्यक्ष अवलोकन**
   b. आवासीय क्षेत्रों में दिन में एक बार सफाई (स्वीपिंग) : **75% नमूने दुकानदारों/विक्रेताओं से + 25% प्रत्यक्ष अवलोकन**
   c. बैक लेन: **100% प्रत्यक्ष अवलोकन**
   d. शून्य जी.वी.पी. : **80% प्रत्यक्ष अवलोकन + 20% नागरिक प्रतिक्रिया**
   e. शून्य परित्यक्त (Abandoned) वाहन: **100% प्रत्यक्ष अवलोकन**
   f. शून्य सेकेंडरी स्टोरेज बिन : **100% प्रत्यक्ष अवलोकन**

3. नागरिकों से प्राप्त अवलोकन (Observation) / प्रतिक्रियाओं (नकारात्मक/सकारात्मक) के आधार पर स्वतंत्र सत्यापन मैट्रिक्स (आईवीएम) लागू किया जाएगा और अंतिम अंक दिए जाएंगे।

अंतिम अंक = दावा किए गए अंक - आईवीएम के अनुसार समायोजित अंक

| 1.4 | आसपास कोई ठोस कचरा और कोई अतिक्रमण दिखाई नहीं दे रहा है –<br>1. बरसाती पानी नालियाँ/ नाला<br>2. जल संरचनाएं *(तालाबों, झीलों, टंकिया, नदियों आदि) | अंक 75 (50+25) |
|---|---|---|

बरसाती नाला ठोस सतहों जैसे कार पार्क, पार्किंग स्थल, पैदल पथ, पगडण्डी, और छतों से वर्षा जल और भू-जल के निकास के लिए डिजाइन किए गए हैं। बरसाती पानी के नाले की डिजाइन छोटे आवासीय सूखे कुओं से लेकर बड़ी नगरपालिका प्रणालियों अलग अलग होते हैं। निकाय से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि बरसाती पानी के नाले ठोस कचरों से जाम नहीं हैं और पानी का बिना अवरोध के प्रवाह हो रहा है। इसी प्रकार, जल निकाय इको सिस्टम का अभिन्न अंग हैं – जिन्हें रखरखाव और नियत सफाई की आवश्यकता है। इसके अलावा, जल निकायों और बरसाती जल नालों/नाले के आसपास कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए।

| अंकन योजना – बरसाती पानी नालियाँ/ नाला | अंक 50 |
|---|---|
| शत-प्रतिशत जल निकासी नालियां/नाला (माध्यमिक/तृतीयक) में उपयुक्त दूरी पर स्क्रीन/फिल्टर होने चाहिए:<br>• अन्य जल-निकायों (water bodies) में निर्वहन के बिंदुओं पर<br>• 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए: माध्यमिक नालों पर कचरे के संग्रहण और सफाई के लिए स्वचालित / यांत्रिक स्क्रीन | 10 |
| 100 प्रतिशत क्षेत्रों में कोई ठोस कचरा तैरता / दिखाई नहीं देना चाहिए | 10 |
| सभी बरसाती पानी नालियों / नालों के आसपास बॉउड्रीवाल व्यवस्थित होनी चाहिए | 10 |
| बरसाती पानी नालियों / नालों के आसपास कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। | 10 |
| कोई सीवेज /सेप्टिक टैंक का अपशिष्ट जल का निर्वहन/निपटान नहीं किया गया हो | 10 |

| अंकन योजना – जल संरचना | Marks 25 |
|---|---|
| शतप्रतिशत क्षेत्रों के जलाशयों पर ठोस अपशिष्ट तैरते हुए नहीं दिखना चाहिए। | 5 |
| जलाशयों के आसपास कोई डंपसाइट मौजूद नहीं होना चाहिए | 5 |
| स्वीपिंग और सफाई की व्यवस्था होना चाहिए है और जल निकायों के पास कोई कचरा पड़ाव स्थल (जीवीपी) मौजूद नहीं होना चाहिए। | 5 |
| प्रत्येक 50 मीटर पर जल निकायों के पास पर्याप्त जुड़वा कूड़ादान लगे होना चाहिए और प्रत्येक 50 मीटर पर कचरा विरोधी संदेश का लगे हुए हो | 5 |
| कोई सीवेज /सेप्टिक टैंक का अपशिष्ट जल का निर्वहन/निपटान नहीं किया गया हो | 5 |

नमूना मानदंड

| जनसंख्या श्रेणी | <50K | 50K-1L | 1-3L | 3-10L | >10L |
|---|---|---|---|---|---|
| श्रेणियाँ – 2 (SWD & Nallahs) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| लोकेशन | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| जोन | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| कुल | 12 | 16 | 48 | 64 | 80 |

नोट :
जल संरचनाओं की परिधि में प्रत्येक 50 मीटर पर अपशिष्ट डब्बों (लिटर बिन) को तभी लगाया जाए जब वहाँ सार्वजनिक मार्ग हो एवं नागरिकों की पहुंच हो।

*जियो कोऑर्डिनटस (जीआईएस विवरण) के संदर्भ में अंकों के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए निकाय के सभी बरसाती नाली / नाले और जल निकायों की सीमाओं, वार्ड संख्या, वार्ड की सीमाओं, लैंडमार्क आदि निर्धारित विवरण अनुसार एसबीएम पोर्टल पर मैप और अपडेट किए गए हो (एमओएचयूए द्वारा निर्देश दिए जायेंगे)।

## 1.4

**आसपास कोई ठोस कचरा और कोई अतिक्रमण दिखाई नहीं दे रहा है –**

**1. बरसाती पानी नालियाँ/ नाला**

**2. जल संरचनाएं *(तालाबों, झीलों, टंकिया, नदियों आदि)**

**सत्यापन की पद्धति**

**केवल Qtr-3 के लिए**

**100% प्रत्यक्ष अवलोकन**

1. मूल्यांकनकर्ता दावा किए गए स्थानों का दौरा करेंगे और स्वयं मूल्यांकन निष्पादित करेंगे ।

2. नागरिकों से प्राप्त अवलोकन (Observation) / प्रतिक्रियाओं (नकारात्मक/सकारात्मक) के आधार पर, स्वतंत्र सत्यापन मैट्रिक्स (आईवीएम) का प्रयोग किया जाएगा और अंतिम अंक दिए जाएंगे।

अंतिम अंक = अंको का दावा - स्वतंत्र सत्यापन (यदि कोई हो) के अंतर्गत समायोजित अंक।

## 1.5 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 के अनुपालन में गैर-बायोडिग्रेडेबल 75 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक बैग/प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध

**अंक 60**

सिंगल-यूज प्लास्टिक, या दैनिक डिस्पोजेबल प्लास्टिक, केवल एक बार उपयोग किए जाने से पहले उन्हें फेंक दिया जाता है या पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। इन वस्तुओं में प्लास्टिक बैग, स्ट्रॉ, कॉफी स्टिरर, प्लेट, कप, गिलास, चम्मच, होर्डिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले स्ट्रोफोम आदि शामिल हैं।

यह सूचक शहर में एक बार उपयोग में लाए जाने 'प्लास्टिक' के उपयोग को बंद करने के लिए प्रेरित करने हेतु प्रवर्तन की सीमा का आकलन करेगा।
एक बार उपयोग वाले प्लास्टिक द्वारा पर्यावरण को हो रहे नुकसान को देखते हुए, शहरों को पूरे वर्ष के दौरान आयोजित कार्यक्रमों में अपने नागरिकों से सिंगल यूस प्लास्टिक का उपयोग बंद करने के लिए प्रेरित करने की दिशा में कार्य करना चाहिए।

| अंकन योजना | अंक |
|---|---|
| हाँ, प्रतिबंध अधिसूचित, प्रवर्तित है और जुर्माना वसूला जा रहा है | 60 |
| केवल प्रतिबंध अधिसूचित है | 30 |

# 1.5

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 के अनुपालन में गैर बायोडिग्रेडेबल 75 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक बैग/ प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध

**सत्यापन की पद्धति**

**मिश्रित नमूने**

**+**

**प्रत्यक्ष अवलोकन**

**+**

**नागरिक प्रतिक्रिया**

(यदि ऑन-कॉल सत्यापन हुआ - 100% नागरिक प्रतिक्रिया)

1. शहर के सेंपल के आधार और जनसंख्या के आधार पर, शहर को आवश्यक संख्या में ज़ोन्स (Zones) में विभाजित किया जाएगा (>10 लाख को 5 जोन/ 1-10 लाख को 4 जोन /<1 लाख को 2 जोन )
2. नमूना (Sample) लेने की पद्धति - व्यावसायिक एवं सार्वजानिक क्षेत्रों में दिन में दो बार सफाई (स्वीपिंग) : 75% नमूने दुकानदारों / विक्रेताओं से + 25% प्रत्यक्ष अवलोकन
3. घरों/व्यवसायिक इकाइयों से प्राप्त अवलोकन (Observation) / प्रतिक्रिया (नकारात्मक / सकारात्मक) के आधार पर, स्वतंत्र सत्यापन मैट्रिक्स (आईवीएम) का प्रयोग किया जाएगा और अंतिम अंक दिए जाएंगे।

अंतिम अंक = अंको का दावा - स्वतंत्र सत्यापन (यदि कोई हो) के अंतर्गत समायोजित अंक।

# 1.6 3R सिद्धांत: क्या सूखे/गीले कचरे के उत्पादन को कम करने के लिए पहल की गई है? (तिमाही प्रगति)

**अंक 60**

यह संकेतक शहर में घरेलू/वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा उत्पन्न कचरे को कम करने के लिए निकायों के 3 आर सिद्धांतों के प्रयासों का आकलन करेगा। कचरे की मात्रा को कम करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिसे अंततः प्रसंस्करण/निपटान स्थल पर ले जाया जाता है या ऑनसाइट पर प्रसंस्कृत कर खाद बनाई जाती है।

| अंक योजना | अंक |
|---|---|
| 25% वार्डों में कम से कम छह 3R पहल शुरू की गई हो | 60 |
| 35% वार्डों में कम से कम पाँच 3R पहल शुरू की गई हो | 50 |
| 45% वार्डों में कम से कम चार 3R पहल शुरू की गई हो | 40 |
| 55% वार्डों में कम से कम तीन 3R पहल शुरू की गई हो | 30 |
| 65% वार्डों में कम से कम दो 3R पहल शुरू की गई हो | 20 |
| 75% वार्डों में कम से कम एक 3R पहल शुरू की गई हो | 10 |

*जियो कोऑर्डिनटस (जीआईएस विवरण) के संदर्भ में अंकों के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए निकाय के सभी बरसाती नाली / नाले और जल निकायों की सीमाओं, वार्ड संख्या, वार्ड की सीमाओं, लैंडमार्क आदि निर्धारित विवरण अनुसार एसबीएम पोर्टल पर मैप और अपडेट किए गए हो (एमओएचयूए द्वारा निर्देश दिए जायेंगे)।

**निकाय 3आर पहल के लिए निम्नलिखित सूची भी देख सकते हैं:**

1. प्रयुक्त प्लास्टिक/धातु के कंटेनर/ बक्से
2. ई-कॉमर्स पैकेजिंग सामग्री
3. पुराने/बेकार सामान, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, टायर, वाहन आदि।
4. पुरानी किताबें, खिलौने आदि।

कलाकृतियाँ

स्क्रेप निर्मित बेंच

CROCKERY BANK

पुराने कपड़ों का पुन: उपयोग

INCENSE STICKS FLORAL WASTE

कपड़े के थैलों को बढ़ावा देना

# 1.6

# 3R सिद्धांत: क्या सूखे/गीले कचरे के उत्पादन को कम करने के लिए पहल की गई है?

**सत्यापन की पद्धति**

**मिश्रित नमूने**
**100%**
**प्रत्यक्ष**
**अवलोकन**

(यदि ऑन-कॉल सत्यापन हुआ - 100% नागरिक प्रतिक्रिया

1. निकाय द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा और जियो-टैग किए गए स्थानों के आधार पर, मूल्यांकनकर्ता दावे को मान्य करेगा।
2. नमूना (Sample) लेने की पद्धति - जहां इस तरह की पहल की गई है वहा भू-चिह्नित स्थानों वाले क्षेत्रों का दौरा करके 100% प्रत्यक्ष अवलोकन होगा।
3. घरों/व्यवसायिक इकाइयों से प्राप्त अवलोकन (Observation) / प्रतिक्रिया (नकारात्मक / सकारात्मक) के आधार पर, स्वतंत्र सत्यापन मैट्रिक्स (आईवीएम) का प्रयोग किया जाएगा और अंतिम अंक दिए जाएंगे।

अंतिम अंक = अंको का दावा - स्वतंत्र सत्यापन (यदि कोई हो) के अंतर्गत समायोजित अंक।

**1.7 (a)**

**सभी स्वच्छता कर्मियों को लाभ अर्थात जागीरदारी प्रणाली, एसएचजी, एनजीओ, निजी एजेंसी आदि के तहत कार्यरत कर्मी।**

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का प्रावधान - ठोस अपशिष्ट के निपटान मे लगे सभी श्रमिकों के लिए नई वर्दी, फ्लोरोसेंट जैकेट, हाथ के दस्ताने, रेनकोट, उपयुक्त जूते और मास्क का प्रावधान किया जावे।

1. 100% स्वच्छता कर्मियों ने तीन प्रशिक्षण पूरे किए गए हो * - सभी स्वच्छता कर्मियों (अनौपचारिक सहित) का डिजिटल रिकॉर्ड - नाम, पता, संपर्क नंबर आदि रखना और एसबीएम पोर्टल से जोड़ा गया हो।
2. सभी अनौपचारिक कामगारों को कम से कम ** तीन हितग्राहीमूलक सरकारी योजना से जोड़ना - एसबीएम पोर्टल पर डिजिटल रिकॉर्ड से जोड़ा गया हो।
3. प्रत्येक वार्ड में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले श्रमिकों का मासिक आधार पर सम्मान करना *** (श्रमिकों का नाम और संपर्क विवरण और सम्मानित होने का कारण। गलत विवरण नहीं होना चाहिए)

**Marks 60**

**SWM नियम 2016 में ठोस अपशिष्ट (जागीरदारी, एसएचजी, एनजीओ, निजी एजेंसी, नियमित/अनौपचारिक सफाई मित्र आदि के तहत लगे) के निपटान में शामिल सभी सफाई मित्रो के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का प्रावधान अनिवार्य है।**

| अंक योजना– प्रत्येक पैरामीटर/सूचकांक के लिए 100% अनुपालन अनिवार्य | अंक |
|---|---|
| 1. नई वर्दी के साथ सभी सफाई कर्मचारियों को पीपीई किट देना (MoHUA द्वारा प्रस्तावित किट) | 15 |
| 2. 100% स्वच्छता कर्मियों ने तीन प्रशिक्षण पूरे किए हो सभी स्वच्छता कर्मियों के डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखे हैं और उन्हें एसबीएम पोर्टल से जोड़ा गया। | 15 |
| 3. कम से कम तीन सरकारी योजनाओं (स्वास्थ्य योजना और वार्षिक स्वास्थ्य जांच के साथ जोड़ना अनिवार्य है) के साथ जोड़ना- (एसबीएम पोर्टल पर विवरण दर्ज होना अनिवार्य) | 15 |
| 4. वार्डवार मासिक रूप से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन** करने वाले सफाई मित्रों का सम्मान। | 15 |

*ई-लर्निंग पाठ्यक्रम से स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण (एसबीएम ई-लर्निंग पोर्टल), क्वारंटीन घरों से अपशिष्ट संग्रह और कोविड अपशिष्ट का प्रबंधन उपलब्ध है।

** महिला सफाई कर्मचारियों को उन योजनाओं से जोड़ा जाएगा जो विशेष रूप से महिला कल्याण से सम्बंधित हैं। जिन विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए उनमें जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना) और वित्तीय सशक्तिकरण जैसे राष्ट्रीय महिला कोष शामिल हैं। इस समावेश के लिए किसी अन्य राज्य द्वारा चिन्हित राज्य प्रायोजित योजनाओं पर विचार किया जा सकता है जो महिलाओं के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करती हैं। थर्ड जेंडर के लिए योजनाएं (जैसे गरिमा गृह (गुजरात में), ओडिशा सरकार द्वारा स्वीकृति योजना) को भी इस संकेतक के हिस्से के रूप में माना जा सकता है।

*** प्रत्येक वार्ड में एक पुरुष और एक महिला कार्यकर्ता

## अनौपचारिक कचरा संग्राहकों को लाभ दिया गया है जो की निकाय द्वारा चिन्हित किए गए है।

**1.7 (b)**

**अंक 75**

1. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का प्रावधान - ठोस अपशिष्ट के निपटान मे लगे सभी श्रमिकों के लिए नई वर्दी, फ्लोरोसेंट जैकेट, हाथ के दस्ताने, रेनकोट, उपयुक्त जूते और मास्क का प्रावधान हो।
2. 100% **अनौपचारिक कचरा बीनने वालों** ने तीन प्रशिक्षण पूरे किए गए हो|
3. सभी अनौपचारिक कामगारों को कम से कम ** तीन हितग्राही मूलक योजना से जोड़ना - एसबीएम पोर्टल पर डिजिटल रिकॉर्ड से जोड़ने की सुविधा दी गई है
4. प्रत्येक वार्ड में मासिक आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले श्रमिकों का सम्मान करना *** (श्रमिकों का नाम और संपर्क विवरण और सम्मानित होने का कारण। कार्यकर्ता के गलत विवरण नहीं होना चाहिए)
5. पहचान किए गए सभी अनौपचारिक श्रमिकों को आजीविका के अवसर प्रदान किए गए हैं – निकाय के साथ काम करने वाले निजी ठेकेदारों के साथ एकीकरण, उद्यमशीलता के अवसर या एनएसकेएफडीसी के माध्यम से या किसी अन्य योजना के तहत सॉफ्ट ऋण प्रदान करना।

एसडब्ल्यूएम नियम 2016 में ठोस अपशिष्ट (जागीरदारी, एसएचजी, एनजीओ, निजी एजेंसी, नियमित/अनौपचारिक सफाई मित्र आदि के तहत लगे) से निपटने में शामिल सभी सफाई मित्रो के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का प्रावधान अनिवार्य है।

| **अंक योजना–** प्रत्येक पैरामीटर/सूचकांक के लिए 100% अनुपालन अनिवार्य | **अंक** |
|---|---|
| 1. नई वर्दी के साथ सभी सफाई कर्मचारियों को पीपीई देना (MoHUA द्वारा प्रस्तावित किट) | 15 |
| 2. 100% स्वच्छता कर्मियों ने तीन प्रशिक्षण पूरे किए हो सभी स्वच्छता कर्मियों के डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखे हैं और उन्हें एसबीएम पोर्टल से जोड़ गया। | 15 |
| 3. कम से कम तीन पात्र सरकारी योजनाओं (स्वास्थ्य योजना और वार्षिक स्वास्थ्य जांच के साथ जोड़ना अनिवार्य है) के साथ जोड़ना- (एसबीएम पोर्टल पर विवरण दर्ज़ होना अनिवार्य) | 15 |
| 4. वार्डवार मासिक रूप से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन** करने वाले सफाई मित्रों का सम्मान। | 15 |
| 5. सभी अनौपचारिक सफाई मित्रो को आजीविका के अवसर प्रदान किए गए हो | 15 |

*ई-लर्निंग पाठ्यक्रम से स्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण पर (एसबीएम ई-लर्निंग पोर्टल), कोरनटाईन रों से अपशिष्ट संग्रह और कोविड अपशिष्ट का प्रबंधन उपलब्ध है।

** महिला सफाई कर्मचारियों को उन योजनाओं से जोड़ा जाएगा जो विशेष रूप से महिला कल्याण से सम्बंधित हैं। जिन विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए उनमें जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना) और वित्तीय सशक्तिकरण जैसे राष्ट्रीय महिला कोष शामिल हैं। इस समावेश के लिए किसी अन्य राज्य द्वारा चिन्हित राज्य प्रायोजित योजनाओं पर विचार किया जा सकता है जो महिलाओं के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करती हैं। थर्ड जेंडर के लिए योजनाएं (जैसे गरिमा गृह (गुजरात में), ओडिशा सरकार द्वारा स्वीकृति योजना) को भी इस संकेतक के हिस्से के रूप में माना जा सकता है।

*** प्रत्येक वार्ड में एक पुरुष और एक महिला कार्यकर्ता

**1.7**

**(a&b)**

**अनधिकारिक कूड़ा बीनने वाले सफाई मित्र सहित सभी सफाई मित्र जैसे जागीरदारी प्रणाली, एसएचजी, एनजीओ, निजी एजेंसियों इत्यादि को प्रदत्त हितलाभ**

1. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का प्रावधान
2. सभी सफाई कर्मचारी और अनौपचारिक कचरा बीनने वालों द्वारा 3 प्रशिक्षण पूरे करना
3. सभी सफाई कर्मचारियों (अनौपचारिक सहित) का डिजिटल रिकॉर्ड - नाम, पता, संपर्क नंबर आदि।
4. सभी अनौपचारिक सफाई कर्मचारियों को कम से कम तीन हितग्राही मूलक सरकारी योजनाओं से जोड़ने की सुविधा दी गई है।
5. प्रत्येक वार्ड में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सफाई मित्रों को सम्मान।
6. सभी अनौपचारिक कचरा बीनने वालों को आई कार्ड जारी किया गया है
7. पहचाने गए सभी अनौपचारिक सफाई मित्रों को आजीविका के अवसर प्रदान किए गए हैं।

**सत्यापन की पद्धति**

ऑन-कॉल सत्यापन - 100%)

1. सभी स्वच्छता कर्मचारियों का डिजिटल रिकॉर्ड इस सूचक को मान्य करने के लिए अनिवार्य है, सभी के नाम, पता, संपर्क नंबर, कल्याणकारी योजनाओं के साथ जुड़ाव, चाहे वह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ता के रूप में मान्यता प्राप्त हो और आजीविका के अवसरों से जुड़े अनौपचारिक श्रमिकों आदि को कैप्चर करना अनिवार्य।
2. यदि निकाय ने उन्हें सामाजिक कल्याण योजनाओं (योजनाओं का नाम) से जोड़ा है, तो मूल्यांकनकर्ता सफाई कर्मचारी को यह जांचने के लिए बुलाएगा कि क्या उसे पीपीई दिया गया है। इसके अलावा, उनके काम के लिए मान्यता प्राप्त श्रमिकों के लिए प्रदान की गई सूची के आधार पर, ऐसे श्रमिकों को उनके प्रदर्शन और आजीविका के अवसरों से जुड़े अनौपचारिक श्रमिकों के आधार पर मान्यता/ सम्मानित/ सम्मानित किए जाने पर फोन पर संपर्क किया जाएगा
3. स्वच्छता कर्मियों से प्राप्त प्रतिक्रिया (नकारात्मक/सकारात्मक) के आधार पर, स्वतंत्र सत्यापन मैट्रिक्स (आईवीएम) लागू किया जाएगा और अंतिम अंक दिए जाएंगे)। अंतिम अंक = दावा किए गए अंक - आईवीएम के अनुसार समायोजित अंक

# निकाय के लिए सिस्टम सुदृढ़ीकरण

| 1.8 | सभी कर्मचारियों की क्षमता निर्माण - स्वच्छता निरीक्षक और उससे ऊपर (आयुक्त / ईओ को छोड़कर) 100% कर्मचारियों ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से न्यूनतम 4 पाठ्यक्रम पूरे किए। | अंक 80 |
|---|---|---|

**यदि पाठ्यक्रम पहले ही पूरा हो चुका हो तो इसे पुनः किया जाए जाने की आवश्यकता है, यह प्रमाणपत्र अप्रैल 2021 से दिसंबर 2021 के बीच का माना जाएगा**

| **अंकन की योजना** - प्रत्येक पैरामीटर के विरुद्ध 100% अनुपालन | **अंक** |
|---|---|
| 1. 100% कर्मचारियों द्वारा पाठ्यक्रम पूरा किया | 80 |
| 2. 80% तक कर्मचारियों ने पाठ्यक्रम पूरा किया | 60 |
| 3. 60% तक कर्मचारियों ने पाठ्यक्रम पूरा किया | 40 |

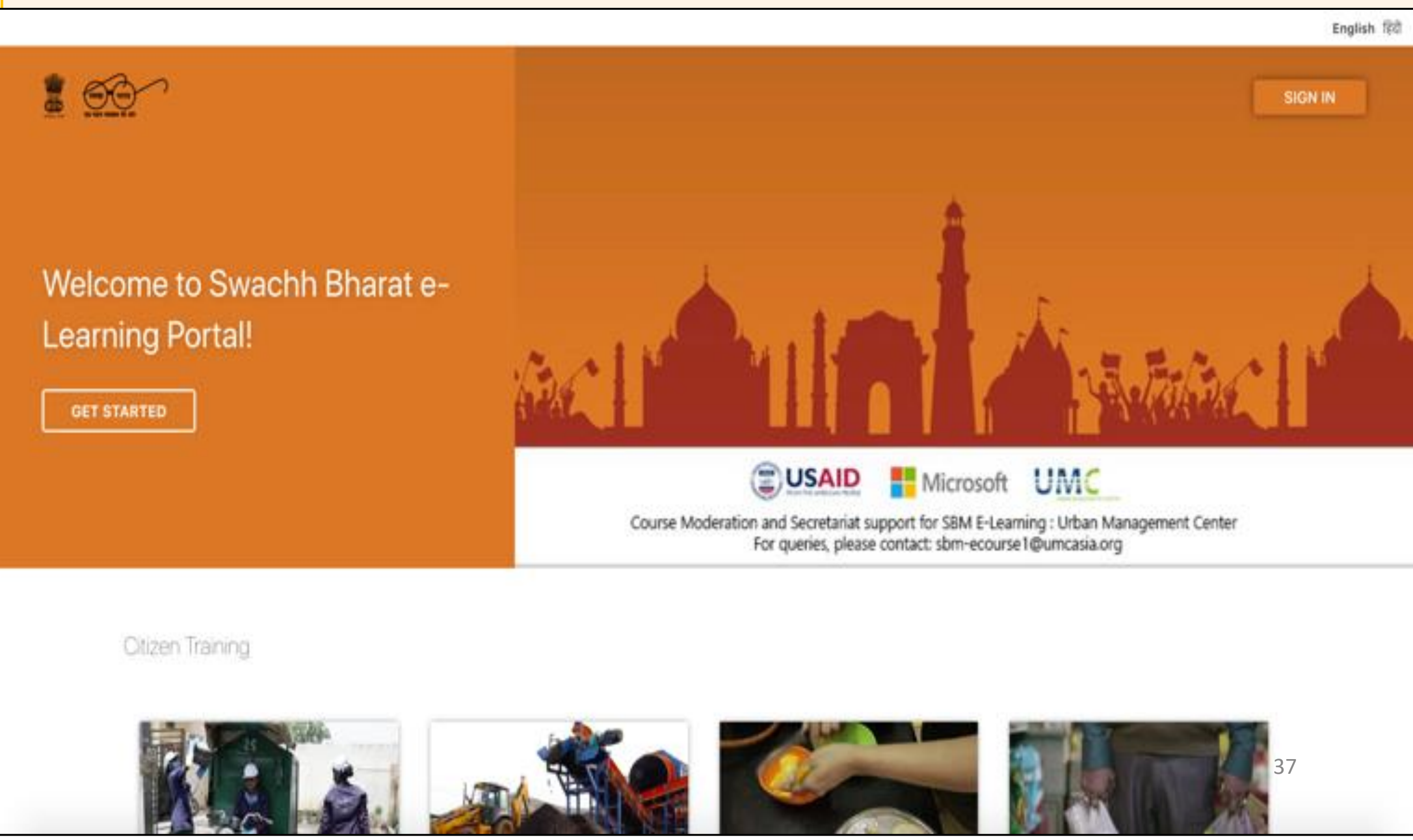

## 1.8

सभी कर्मचारियों की क्षमता निर्माण - स्वच्छता निरीक्षक और उससे ऊपर (आयुक्त / ईओ को छोड़कर) 100% कर्मचारियों ने स्वच्छ भारत मिशन (यू) के ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से न्यूनतम 4 पाठ्यक्रम पूरे किए।

**सत्यापन की पद्धति**

निकाय द्वारा पूर्ण एवं मेंटेंड किये गए सर्टिफिकेशन कोर्स, जिसका सत्यापन ई-लर्निंग पोर्टल से किया जाएगा।

# 2. प्रसंस्करण और निपटान

संकेतकों की कुल संख्या : 12

1,200 अंक / 3,000 अंक

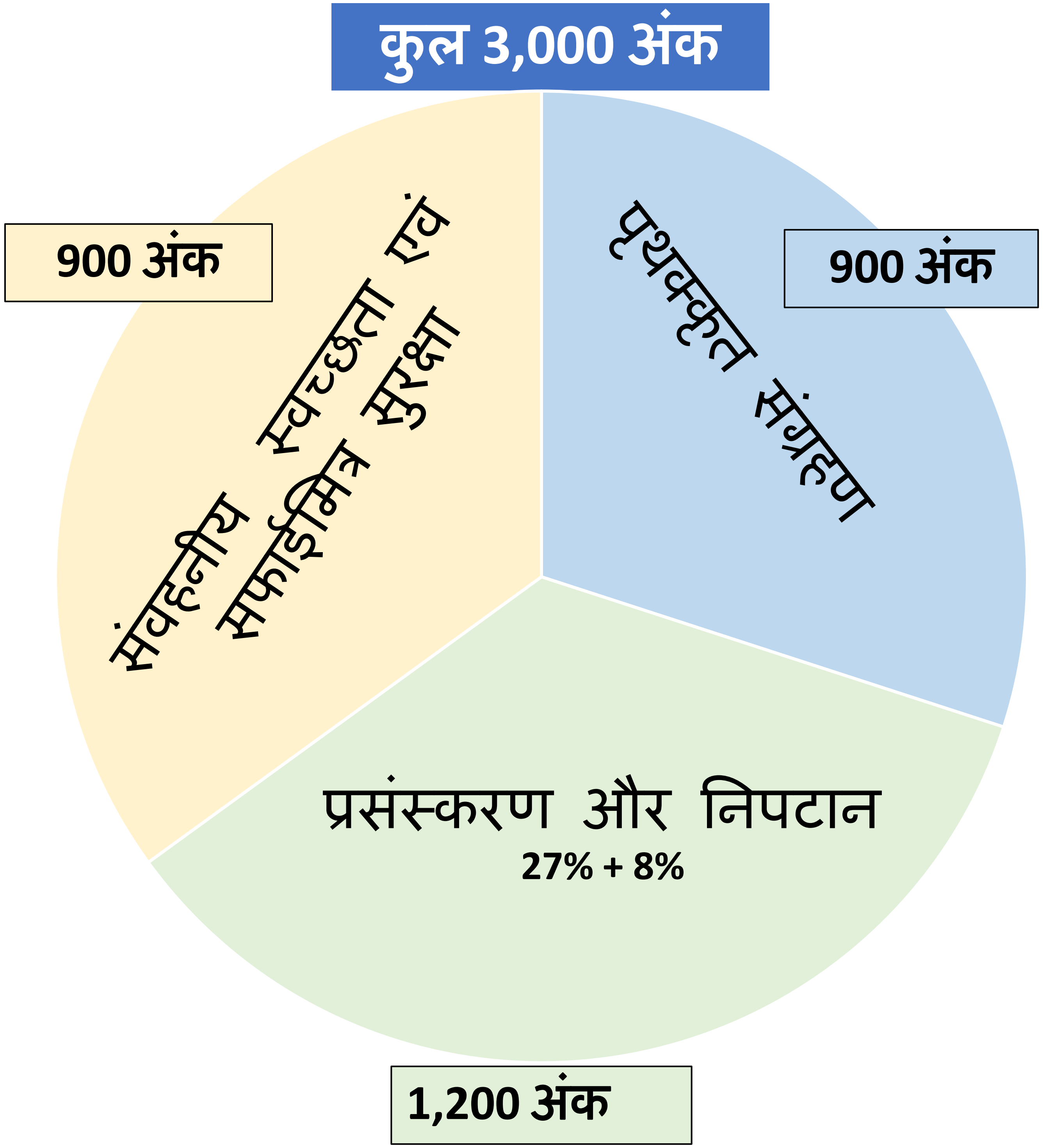

# 2.1 परिचालित गीले अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की क्षमता का प्रतिशत (कुल एकत्र किया गया गीले कचरे में से **)

**अंक 100**

संकेतक यह आकलन करेगा कि क्या शहर में एकत्र किए गए गीले कचरे को संसाधित करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं/बुनियादी सुविधाएं हैं। निकाए वास्तविक संग्रहित अपशिष्ट का आंकड़ा प्रदान करेगा जहां पर घर-घर अपशिष्ट का संग्रह होता है.

| अंकन योजना | *अंक |
|---|---|
| 91- 100% के बीच प्रसंस्करण क्षमता | 100 |
| 81- 90% के बीच प्रसंस्करण क्षमता | 90 |
| 71 - 80% के बीच प्रसंस्करण क्षमता | 80 |
| 61 -70% के बीच प्रसंस्करण क्षमता | 70 |
| 51 - 60% के बीच प्रसंस्करण क्षमता | 60 |
| 41 – 50% के बीच प्रसंस्करण क्षमता | 0 |

** थोक अपशिष्ट उत्पादक या गैर-थोक अपशिष्ट उत्पादक जो गीले कचरे को साइट पर प्रसंस्करण व प्रबंधन करते हैं, इसमें शामिल नहीं हैं (<1 लाख आबादी वाले शहरों को छोड़कर)

अंकों के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए निर्धारित विवरण (एमओएचयूए द्वारा दिया गया) के अनुसार एसबीएम पोर्टल पर मैप किये जाने वाले सभी गीले अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों, निकाय सीमाओं, वार्ड संख्या, वार्ड सीमाओं, लैंडमार्क आदि भू निर्देशांक (जीआईएस विवरण) मैप और अद्यतन किया जाना है ।

# रैखिकता से चक्रीयता

**2.2**

कुल संग्रहित किया हुआ गीले कचरे में से प्रसंस्कृत गीले कचरे का प्रतिशत और तैयार उत्पाद (उत्पादन) आगे बेचे गए।

(निकाय को अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं में महिलाओं/एसएचजी/ट्रांसजेंडरों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए)

**Marks 150** (90+30+30)

यह संकेतक संग्रहित गीले कचरे के विकेन्द्रीकृत और केंद्रीकृत प्रसंस्करण की सीमा का आकलन करता है। लैंडफिल में भेजे जा रहे गीले कचरे की मात्रा को कम से कम किया जाना चाहिए। प्राप्त गीले कचरे की मात्रा, संसाधित, लैंडफिल पर निपटान और तैयार उत्पादों (गीले कचरे से) की बिक्री से प्राप्त राजस्व रिकॉर्ड रखा जाना है। निकाय द्वारा उपभोग/अवशोषित तैयार उत्पादों को तैयार उत्पादों की वास्तविक बिक्री के अलावा अर्जित राजस्व माना जाएगा। राजस्व (स्व-उपभोग) की गणना वाणिज्यिक दर के आधार पर की जाएगी, जो निकाय खाद/मीथेन की आपूर्ति/बिक्री के लिए शुल्क लेती है।

## गीले कचरे का प्रसंस्करण

| अंकन की योजना | अंक |
|---|---|
| 91- 100% के बीच प्रसंस्कृत | 90 |
| 81- 90% के बीच प्रसंस्कृत | 80 |
| 71- 80% के बीच प्रसंस्कृत | 70 |
| 61- 70% के बीच प्रसंस्कृत | 60 |
| 51- 60% के बीच प्रसंस्कृत | 50 |
| 40- 50% के बीच प्रसंस्कृत | 40 |

## तैयार माल की मासिक बिक्री

| अंकन की योजना | अंक |
|---|---|
| 75% से अधिक तैयार उत्पाद बेचे/उपभोग किए गए | 30 |
| 50% से अधिक तैयार उत्पाद बेचे/उपभोग किए गए | 50 |

निकाय द्वारा दैनिक प्रसंस्करण लॉग बुक, बिक्री रजिस्टर और विक्रेता विवरण (यदि आउटसोर्स किया गया है) को डिजिटल रूप से बनाए रखना होगा (एक्सेल फ़ाइल) एवं साप्ताहिक आधार पर एसबीएम पोर्टल पर अपलोड करना होगा| **30**

**2.1**

**&**

**2.2**

परिचालित गीले अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की क्षमता का प्रतिशत (कुल एकत्र किया गया गीले कचरे में से)

प्रसंस्करण किए जा रहे गीले कचरे का प्रतिशत (संग्रहित कुल गीले कचरे में से)

**सत्यापन की पद्धति**
केवल Qtr-3 के लिए

**100%**
प्रत्यक्ष अवलोकन

1. एमआईएस में निकाय द्वारा अद्यतन किये गए प्रसंस्करण सुविधाओं/संयंत्रों की सूची के आधार पर, 5 मीट्रिक टन से अधिक क्षमता वाले सभी संयंत्रों तथा 5 मीट्रिक टन से कम क्षमता वाले 25% प्रसंस्करण सुविधाओं का दौरा करेगा।
2. प्रगति का पता लगाने के लिए,मूल्यांकनकर्ता संयंत्र में अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेगा। बिजली बिल की जांच करेगा और संयंत्र की कार्यक्षमता का पता लगाने के लिए संयंत्र में अन्य गतिविधियों की मानीटरिंग करेगा।
3. वह प्राप्त इनपुट (10% भिन्नता स्वीकार्य) के आधार पर आउटपुट/डंपसाइट को भेजे गए (प्रोसेस रिजेक्ट सहित) की भी जांच करेगा।
4. लॉग बुक और बिजली बिलों के अवलोकन और सत्यापन के आधार पर वरिष्ठ मूल्यांकनकर्ता संयंत्र (संयंत्रों) की पिछले समय की दक्षता आंकलन करेंगे उसी अनुसार अंक दिए जाएंगे। एजेंसी आगे निकाय द्वारा बनाए गए दस्तावेजों के बारे में पूछकर निकाय से स्पष्टीकरण मांग सकती है।
5. तैयार उत्पादों की बिक्री/औद्यानिकी या अन्य विभागों द्वारा उपयोग किए जाने के मामले में, बिक्री रसीद की आवश्यकता होगी - मुफ्त वितरण को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है (जैसे किसान/नागरिक)

## 2.3

## क्या शहर में सूखे अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की क्षमता शहर में एकत्रित कुल सूखे कचरे के अनुकूल है?

**अंक 80**

मूल्यांकनकर्ता यह आकलन करेगा कि क्या किसी शहर में एकत्र किए गए कुल सूखे कचरे को संसाधित करने के लिए पर्याप्त सुविधा/बुनियादी ढांचा है।

| अंकन की योजना | अंक |
|---|---|
| 91- 100% के बीच | 80 |
| 81- 90% के बीच | 70 |
| 71 - 80% के बीच | 60 |
| 61 -70% के बीच | 50 |
| 51 - 60% के बीच | 40 |
| 41 – 50% के बीच | 30 |

अंकों के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए निर्धारित विवरण (एमओएचयूए द्वारा दिया गया) के अनुसार एसबीएम पोर्टल पर मैप किये जाने वाले सभी सूखे अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों, निकाय सीमाओं, वार्ड संख्या, वार्ड सीमाओं, लैंडमार्क आदि भू निर्देशांक (जीआईएस विवरण) मैप और अद्यतन किया जाना है ।

# रैखिकता से चक्रीयता

## 2.4

**एमआरएफ, आरडीएफ या वेस्ट टू एनर्जी संयंत्रों आदि के माध्यम से एकत्र किए गए कुल सूखे कचरे का (स्वच्छता और घरेलू खतरनाक कचरे को छोड़कर) प्रसंस्करण किया जा रहा है**

**(निकाय को एमआरएफ केंद्रों में अनौपचारिक अपशिष्ट बीनने वाले कर्मचारी/महिला/स्वयं सहायता समूहों/ट्रांसजेंडर्स को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है)**

**अंक**
**100**
(80+20)

यह संकेतक एकत्र किए गए सूखे कचरे के विकेंद्रीकृत और केंद्रीकृत प्रबंधन की सीमा का आकलन करता है। क्या शहर के सूखे कचरे को रिसाइकल किया जा रहा है या फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है? सीमेंट संयंत्रों को बेचे जाने वाले सूखे कचरे, सड़क निर्माण के लिए उपयोग, गैर-पुनर्नवीनीकरण और सूखे अपशिष्ट के अन्य उपयोग के बारे में बताया जा रहा है। निकायों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, कि एमआरएफ में - (ए) सूखे कचरे को अलग किया जाता है (बी) अलग किए गए सूखे कचरे को पुनर्चक्रणकर्ताओं या स्क्रैप डीलरों को बेचा जाता है, (सी) प्राप्त कचरे की मात्रा का रिकॉर्ड रखा जाता है- जैसे अलग किया हुआ, प्रसंस्कृत अपशिष्ट, बेचा गया अपशिष्ट की मात्र, लैंडफिल में भेजा गया अपशिष्ट की मात्र, प्रसंस्कृत पश्चात वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त राजस्व इत्यादि। (सूखा कचरा सीधे स्क्रैप डीलरों या अनौपचारिक श्रमिकों द्वारा एकत्र किया जाता है)

| अंकन की योजना | Marks |
|---|---|
| 91- 100% के बीच प्रोसेस/बेचा गया | 80 |
| 81- 90%के बीच | 70 |
| 71 - 80% के बीच | 60 |
| 61 -70% के बीच | 50 |
| 51 - 60% के बीच | 40 |
| 41 – 50% के बीच | 30 |
| 30 – 40% के बीच | 20 |
| साप्ताहिक प्रोसेसिंग लॉग बुक, बिक्री रजिस्टर और विक्रेता विवरण (यदि आउटसोर्स किया गया है) डिजिटल रूप से बनाए रखा है (जैसे एक्सेल फाइल) और निकाय द्वारा एसबीएम पोर्टल पर अपडेट किया गया है | 20 |

नोट: बेचे गए रीसाइकल योग्य अपशिष्ट से प्राप्त राजस्व और क्रेताओ का विवरण के दस्तावेजो का सत्यापन किया जाएगा।
सीमेंट संयंत्रों को भेजे जाने वाले गैर-पुनर्नवीनीकरण को भी प्रसंस्करण के तहत माना जाएगा। अनौपचारिक कचरा बीनने वालों को पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं को इकट्ठा करने और बेचने का पहला अधिकार दिया जाना चाहिए - रसीदों का दस्तावेजीकरण किया जा सकता है।

| 2.5 | निकाय या तृतीय पक्ष जो बायो मेडिकल अपशिष्ट का निपटान करते है, द्वारा कितने प्रतिशत संग्रहित किया गया कुल सेनेटरी (*मासिक धर्म का कचरा और बच्चे / वयस्क डायपर और अन्य **) और घरेलू खतरनाक कचरे (या तो स्रोत पर अलग से एकत्र किया गया या एमआरएफ केंद्र से प्राप्त) का प्रसंस्कृत किया जाता है।<br>अस्पतालों, नर्सिंग होम/क्लीनिकों/प्रयोगशालाओं आदि से निकलने वाले खतरनाक कचरा मान्य नहीं किया जाएगा। | अंक<br>100<br>(80+20) |
|---|---|---|

| अंकन योजना | अंक |
|---|---|
| 91- 100% के बीच प्रसंस्कृत | 80 |
| 81- 90% के बीच प्रसंस्कृत | 70 |
| 71 - 80% के बीच प्रसंस्कृत | 60 |
| 61 -70% के बीच प्रसंस्कृत | 50 |
| 51 - 60% के बीच प्रसंस्कृत | 40 |
| 41 – 50% के बीच प्रसंस्कृत | 30 |
| 30 – 40% के बीच प्रसंस्कृत | 20 |
| साप्ताहिक प्रसंस्कृत लॉग बुक और विक्रेता विवरण (यदि आउटसोर्स किया गया है) डिजिटल रूप से बनाए रखना होगा (जैसे एक्सेल फाइल) और निकाय द्वारा एसबीएम पोर्टल पर अपडेट करना होगा है | 20 |

*इनसीनरेशन प्रक्रिया के माध्यम से प्रसंस्करण किया जाना।

**घरेलू स्तर पर फेके गए पेंट ड्रम, कीटनाशक के डिब्बे, सीएफएल बल्ब, ट्यूबलाइट, एक्सपायर्ड दवाएं, टूटे हुए पारा थर्मामीटर, इस्तेमाल की गई बैटरी, इस्तेमाल की गई सुई, सीरिंज और दूषित गेज इत्यादि, अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को दिया जाना हैं।

## 2.3

क्या शहर में उपलब्ध सूखे अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की क्षमता शहर में एकत्रित कुल सूखे कचरे के अनुकूल है?

## 2.4

एमआरएफ, आरडीएफ या अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों आदि के माध्यम से एकत्र किए गए कुल सूखे कचरे (स्वच्छता और घरेलू खतरनाक कचरे को छोड़कर) में से सूखे कचरे को प्रसंस्कृत किया जा रहा है

## &

## 2.5

निकाय या तृतीय पक्ष जो बायो मेडिकल अपशिष्ट का निपटान करते है, द्वारा कितने प्रतिशत संग्रहित किया गया कुल सेनेटरी (*मासिक धर्म का कचरा और बच्चे / वयस्क डायपर और अन्य **) और घरेलू खतरनाक कचरे (या तो स्रोत पर अलग से एकत्र किया गया या एमआरएफ केंद्र से प्राप्त) का प्रसंस्कृत किया जाता है।

अस्पतालों, नर्सिंग होम/क्लीनिकों/प्रयोगशालाओं आदि से निकलने वाले खतरनाक कचरा मान्य नहीं किया जाएगा।

## मूल्यांकन की पद्धति

केवल Qtr-3 के लिए

100%
प्रत्यक्ष अवलोकन

1. मूल्यांकनकर्ता एमआईएस में अद्यतन सभी संयंत्रों/प्रसंस्करण सुविधाओं का दौरा करेंगे।
2. प्रगति का पता लगाने के लिए मूल्यांकनकर्ता, संयंत्र में अधिकारियों के साथ भी चर्चा करेंगे।
3. मूल्यांकनकर्ता संयंत्र/ प्रसंस्करण सुविधा की कार्यक्षमता को सत्यापित करने के लिए संयंत्र का बिजली बिल की मांग कर सकते है इसके साथ अन्य और गतिविधियों को देखेंगे। मूल्यांकनकर्ता यह भी देखेंगे कि क्या कोई खतरनाक अपशिष्ट संयंत्र / प्रसंस्करण सुविधा के भीतर डंप/भंडारित किया गया है – जिसे पृथक से उपचार किया जाना चाहिए।
4. लॉग बुक और बिजली बिलों के अवलोकन और सत्यापन के आधार पर वरिष्ठ मूल्यांकनकर्ता, संयंत्र (संयंत्रों) की पिछले समय की दक्षता स्तर की अध्ययन करेंगे व उसी अनुसार अंक दिए जाएंगे।

2.6

स्वच्छ वायु: राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ लिंकजेस को मजबूत करना

निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार सी एंड डी कचरे को उपचरित करने के लिए कोई सिस्टम मौजूद है?

अंक 120
(50+50+20)

सी एंड डी कचरे के लिए, थोक जनरेटर वे हैं जो प्रति परियोजना >= 20 टन/दिन या 300 टन/माह उत्पन्न करते हैं, अन्य जनरेटर को गैर-थोक जनरेटर माना जाएगा।

खंड-अ: कुल भंडारित किए गए सीएंडडी कचरे मे से कितना प्रतिशत सीएंडडी का संग्रह, भंडारण और पृथक्करण किया जाता है। जो किसी निर्धारित क्षेत्र या उपयुक्त प्राधिकरणों द्वारा आवंटित स्थान या सीएंडडी रीसाइक्लिंग संयंत्र में अलग किया जाता है।

| अंकन की योजना | कुल अंक 50 |
|---|---|
| नागरिकों के लिए चलित संग्रह इकाई। (कॉल के आधार पर सीएंडडी कचरा संग्रहण सुविधा - साप्ताहिक कार्यक्रम)<br>सीएंडडी अपशिष्ट जनरेटर के लिए सीएंडडी अपशिष्ट को निश्चित दूरी के भीतर लाने और जमा करने हेतु निर्धारित संग्रह पॉइंट के साथ जियो-टैग किया है। | 20 |
| सीएंडडी अपशिष्ट के संग्रहण और परिवहन और प्रसंस्करण तथा निपटान के लिए शुल्क प्रभारों की अधिसूचना (निर्माण के लिए अनुमति के समय निर्मित प्रभारों सहित) अधिसूचित और लागू की गई है। | 10 |
| थोक/गैर-बल्क जेनरेटरों से एकत्र किए गए सभी सी एंड डी अपशिष्ट को निर्दिष्ट संग्रह पॉइंट (यदि मात्रा प्रबंधन योग्य है) और प्रसंस्करण संयंत्र पर निम्न पांच श्रेणी- कंक्रीट, मिट्टी, स्टील, लकड़ी और प्लास्टिक, ईंट और गारा मे पृथक पृथक किया गया है। | 20 |

खंड-ब: नगर निगम/सरकार/नगर पालिका द्वारा अनुमोदित निर्माण गतिविधियों में गैर-संरचनात्मक या निजी एजेंसी द्वारा उपयोग किए जाने हेतु निकाय द्वारा प्रावधान किए गए है : सड़क के फुटपाथों की निचली परतें, भीतरी कॉलोनी की सड़कें, प्लिंथ और बेसमेंट भरना आदि।

**या**

सीएंडडी अपशिष्ट से बनी सामग्री के उपयोग के लिए नगरपालिका या सरकारी निर्माण गतिविधि में या निजी एजेंसी द्वारा कर्ब स्टोन, निर्मित कंक्रीट के रूप में संरचनात्मक कंक्रीट, फ़र्श ब्लॉक, ईंट आदि में उपयोग के लिए प्रावधान किया गया है।

| गैर-थोक और थोक जनरेटर (शहर के भीतर या क्लस्टर स्तर पर) से एकत्र किए गए सीएंडडी कचरे का प्रसंस्करण और विक्रय | कुल अंक 50 |
|---|---|
| 50% से अधिक सी एंड डी अपशिष्ट का उत्पाद बनाकर या कच्चे माल प्रसंस्करण कर पुन: उपयोग किया जाता है - बेचा जाता है (बिक्री रसीद के साथ) | 50 |
| 40-50% से अधिक सी एंड डी अपशिष्ट का उत्पाद बनाकर या कच्चे माल प्रसंस्करण कर पुन: उपयोग किया जाता है - बेचा जाता है (बिक्री रसीद के साथ) | 40 |
| 30 – 39 % से अधिक सी एंड डी अपशिष्ट का उत्पाद बनाकर या कच्चे माल प्रसंस्करण कर पुन: उपयोग किया जाता है - बेचा जाता है (बिक्री रसीद के साथ) | 30 |
| 20-29% से अधिक सी एंड डी अपशिष्ट का उत्पाद बनाकर या कच्चे माल प्रसंस्करण कर पुन: उपयोग किया जाता है - बेचा जाता है (बिक्री रसीद के साथ) | 20 |
| 10-19% से अधिक सी एंड डी अपशिष्ट का उत्पाद बनाकर या कच्चे माल प्रसंस्करण कर पुन: उपयोग किया जाता है - बेचा जाता है (बिक्री रसीद के साथ) | 10 |
| 50% से अधिक सी एंड डी अपशिष्ट का उत्पाद बनाकर या कच्चे माल प्रसंस्करण कर पुन: उपयोग किया जाता है - बेचा जाता है (बिक्री रसीद के साथ) | 0 |

नोट :
1- 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए प्रोसेसिंग प्लांट (जियो-टैग) होना चाहिए
2- प्रसंस्करण में गैर-निर्माणात्मक उपयोग के लिए पुन: उपयोग किए जाने वाले सी एंड डी कचरे को भी शामिल किया जाएगा –जैसे प्लिंथ और बेसमेंट आदि को भरना,

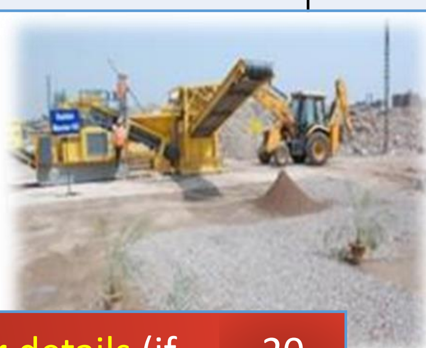

Weekly Processing Log Book, Sale Register & Vendor details (if outsourced) digitally maintained (e.g. Excel file) by ULB are linked with SBM portal — 20

## 2.6

**सीएंडडी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार सी एंड डी कचरे को इकट्ठा करने और संसाधित / पुन: उपयोग करने के लिए कोई सिस्टम मौजूद है?**

**सत्यापन की पद्ध**

**केवल Q-3 से लिए**

**100% प्रत्यक्ष अवलोकन**

1. मूल्यांकनकर्ता एमआईएस में अद्यतन किए गए संग्रह पॉइंट और सभी संयंत्रों और प्रसंस्करण सुविधाओं का दौरा करेंगे।
2. प्रगति का पता लगाने के लिए, मूल्यांकनकर्ता संयंत्र में अधिकारियों के साथ भी चर्चा करेंगे।
3. मूल्यांकनकर्ता सुविधा की कार्यक्षमता को सत्यापित करने के लिए बिजली बिल की मांग कर सकता है, तथा संग्रह केंद्र / प्रसंस्करण संयंत्र में अन्य गतिविधियों को देखेंगे।
4. मूल्यांकनकर्ता यह भी देखेंगे कि क्या सी एंड डी कचरे को 5 श्रेणियों में अलग रखा गया है - जिसमें बीडब्ल्यूजी साइट भी शामिल है
5. लॉग बुक/बिजली बिलों के अवलोकन और सत्यापन के आधार पर वरिष्ठ मूल्यांकनकर्ता संयंत्र (संयंत्रों) की पिछले समय की दक्षता का आकलन करेंगे और उस अनुसार अंक दिए जाएंगे।

# 2.7

## सैनिटरी लैंडफिल में जाने वाले कुल कचरे का प्रतिशत (प्रसंस्कृत] रिजेक्ट/बिना प्रसंस्कृत अपशिष्ट)

**Marks 100 (80+20)**

शहर को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक बार एकत्र किए गए कचरे को प्रसंस्कृत किया जाना चाहिए। केवल प्रोसेस रिजेक्ट को ही सैनिटरी लैंडफिल में जाना चाहिए। असंसाधित कचरे को केवल सैनिटरी लैंडफिल में भेजा जाना चाहिए यदि शहर में एकत्र किए गए कुल गीले / सूखे कचरे से मान से प्रसंस्करण क्षमता नहीं है.

| Scheme of Marking | Marks |
|---|---|
| 10% तक प्रोसैस रिजेक्ट, यदि हो | 80 |
| 11% - 15% (रिजेक्ट /बिना प्रसंस्कृत अपशिष्ट सहित) | 60 |
| 16% - 20% (रिजेक्ट /बिना प्रसंस्कृत अपशिष्ट सहित) | 40 |
| सेनेटरी लैंडफिल पर डिजिटल रूप से प्राप्त कचरा के लिए साप्ताहिक लॉग बुक संधारित कर किया जाना है (उदाहरण के लिए एक्सेल फाइल) जिसे निकाय द्वारा एसबीएम पोर्टल से जोड़ा गया है | 20 |

**अंकों के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए निर्धारित विवरण (एमओएचयूए द्वारा दिया गया) के अनुसार एसबीएम पोर्टल पर मैप किये जाने वाले सभी सूखे अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों, निकाय सीमाओं, वार्ड संख्या, वार्ड सीमाओं, लैंडमार्क आदि भू निर्देशांक (जीआईएस विवरण) मैप और अद्यतन किया जाना है।**

**2.7**

# सैनिटरी लैंडफिल में जाने वाले कुल कचरे का प्रतिशत (प्रसंस्कृत] रिजेक्ट/बिना प्रसंस्कृत अपशिष्ट)

**सत्यापन की पद्धति**

**केवल Q-3 . के लिए**

**100% % प्रत्यक्ष अवलोकन**

1. एमआईएस में अद्यतन जानकारी के रूप में मूल्यांकनकर्ता सैनिटरी लैंडफिल साइट (साइटों) का दौरा करेगा।
2. प्रगति का पता लगाने के लिए मूल्यांकनकर्ता साइट पर अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे।
3. निकाय के पास ट्रकों की दैनिक प्रविष्टि की जाँच करने के लिए कम से कम पिछले 3 महीने के तैयार रिकॉर्ड लॉग-बुक/रजिस्टर हो जिसमे अपशिष्ट भार) इत्यादि साइट के अंदर दर्ज किया गया हो , जिसे एजेंसी उपलब्ध कराना होगा।
4. वह एजेंसी को निकाय द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रगति के सत्यापित दस्तावेजों की रिपोर्ट करेगा।
5. वरिष्ठ मूल्यांकनकर्ता शहर से उत्पन्न अपशिष्ट के विरुद्ध प्रसंस्कृत अपशिष्ट मिलान करेंगे तथा लैंडफिल में प्रतिदिन भेजे जाने वाले कचरे का मिलान कर सकते है।

**2.8**

## सभी चिन्हित डंपसाइटों का उपचार (कोई पुराना पड़ा कचरा (डंपसाइट) नहीं/जीरो लैंडफिल शहर को अधिकतम अंक मिलेंगे)

(आकलन बेंचमार्क: दावा की गई अंतिम प्रगति पर की गई प्रगति - फरवरी 2021 के बाद कुल प्राप्त उपचारित भूमि। पूर्व में दावा की गयी समान प्रगति पर अंक नहीं दिए जाएंगे जिसका दावा एसएस-2021 में किया जा चुका है )

**अंक 120 (100+ 20)**

यदि कोई मौजूदा/पुराना डंपसाइट (शहर की सीमा के भीतर) स्थित नहीं है और शहर की सीमा के बाहर किसी साझा डंपसाइट/डंपसाइट में कचरा नहीं डंप किया जाता है, तो यह मानदंड लागू नहीं होगा और यह माना जाता है कि 100% काम पूरा हो गया है। हालांकि, यदि पुराना डंप साइट शहर की सीमा से बाहर है, तो जिस शहर ने डंप साइट में कचरे को भेजा है तो वह इसके उपचार के लिए जिम्मेदार होगा।

| अंक योजना | अंक |
|---|---|
| कुल कचरे का 100%* उपचार किया गया या कोई डंप साइट/पुराना पड़ा कचरा नहीं है | 100 |
| 80 – 99% कचरा * उपचारित | 80 |
| 60 – 79% कचरा * उपचारित | 60 |
| 40 – 59% कचरा * उपचारित | 40 |
| 20 -39% कचरा * उपचारित | 20 |
| निकाय द्वारा डिजिटल रूप से रेमेडिएशन उपचार सम्बन्धी (जैसे एक्सेल फाइल) साप्ताहिक प्रगति को एसबीएम पोर्टल से जोड़ा गया है | 20 |

अंकों की अहर्ता के लिए निकाय को भू निर्देशांक (जीआईएस विवरण) निर्धारित विवरण (एमओएचयूए द्वारा निर्धारित ) के अनुसार निकाय की सीमाओं, वार्ड नंबर, वार्ड सीमाओं, लैंडमार्क इत्यादि के साथ सभी डंप साईट हेतु एसबीएम पोर्टल पर अधतन करना होगा



*नोट: *शहर के सभी डंपसाइटों में संचय किया हुआ अपशिष्ट*

# 2.8

## सभी चिन्हित डंपसाइटों का उपचार (कोई पुराना पड़ा कचरा (डंपसाइट) नहीं/जीरो लैंडफिल शहर को अधिकतम अंक मिलेंगे)

(आकलन बेंचमार्क: दावा की गई अंतिम प्रगति पर की गई प्रगति - फरवरी 2021 के बाद कुल प्राप्त उपचारित भूमि। पूर्व में दावा की गयी समान प्रगति पर अंक नहीं दिए जाएंगे जिसका दावा एसएस-2021 में किया जा चुका है )

**सत्यापन की पद्धति**

**केवल तीसरी तिमाही हेतु**

**100% प्रत्यक्ष अवलोकन**

**मूल्यांकनकर्ता शहर में पुराने डंप साइटस का दौरा करेगा और जांच करेगा कि क्या एमआईएस में शहर द्वारा किए गए दावे के अनुसार उपचारण कार्य पूरा हुआ है या नहीं। सत्यापन के दौरान संदर्भ बिंदु एसएस-2021 में दावा की गई प्रगति से वर्तमान तक हुई प्रगति होगी।**

**2.9**

## क्या शहर में लैंडफिल एक सैनिटरी लैंडफिल है? या शहर जीरो लैंडफिल है?

**Marks 80**

**क्यों?**

यह पैरामीटर मूल्यांकन करता है कि क्या निकाय की लैंडफिल साइट वैज्ञानिक/योजनाबद्ध प्रकृति की है या एसडब्ल्यूएम 2016 के नियमों के अनुसार है। इनर्ट अपशिष्ट का उपयोग निचले इलाकों, सड़क निर्माण इत्यादि में किया जा सकता है।

| अंक योजना | अंक |
|---|---|
| सेनेटरी लैंडफिल उपलब्ध है और इस्तेमाल किया जा रहा है / जीरो लैंडफिल शहर | 80 |
| सेनेटरी लैंडफिल निर्माणाधीन है | 60 |
| निर्माण हेतु एग्रीमेंट हो गया लेकिन काम प्रारंभ नहीं हुआ है | 40 |
| सेनेटरी लैंडफिल साइट के निर्माण के हेतु निविदा /टेंडर बुलाए गए हैं | 20 |
| कोई प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गई | 0 |

अंकों की अहर्ता के लिए निकाय को भू निर्देशांक (जीआईएस विवरण) निर्धारित विवरण (एमओएचयूए द्वारा निर्धारित ) के अनुसार निकाय की सीमाओं, वार्ड नंबर, वार्ड सीमाओं, लैंडमार्क इत्यादि के साथ सभी सेनिटरी लेंडफिल हेतु एसबीएम पोर्टल पर अधतन करना होगा

## 2.9

# क्या शहर में लैंडफिल एक सैनिटरी लैंडफिल है? या शहर में लैंडफिल की आवश्यकता नहीं है/ ज़ीरो लैंडफिल शहर है

**सत्यापन की पद्धति**

केवल तीसरी तिमाही हेतु

**100% प्रत्यक्ष अवलोकन**

मूल्यांकनकर्ता यह जांचने के लिए लैंडफिल साइट (साइटों) का दौरा करेगा कि क्या लैंडफिल एक सैनिटरी लैंडफिल है

**2.10**

**गैर-थोक अपशिष्ट कचरा उत्पादकों द्वारा स्थल पर ही गीले कचरे का प्रसंस्करण -**

अपशिष्ट उत्पादकों का प्रतिशत (बीडब्ल्यूजी, आरडब्ल्यूए को छोड़कर) जहां स्थल पर गीले कचरे की प्रसंस्करण सुविधा (खाद/जैव-मिथेनेशन) होनी चाहिए। इसमें व्यक्तिगत घर (जो रहवासी संघों का हिस्सा नहीं है ), वाणिज्यिक और अन्य अपशिष्ट उत्पादक शामिल हो सकते हैं।

**अंक 70 (50+20)**

**उचित सहयोगात्मक सूचना एवं संचार गतिविधियाँ नागरिकों को स्थल पर कचरे के प्रसंस्करण को चुनने एवं स्वयं के द्वारा उत्पादित कचरे का स्वामित्व लेने में सहयोगी होगा**

**निकाय द्वारा स्थल पर कचरे के प्रसंस्करण के लिए तकनीकी सहायता हेतु प्रस्तावित सलाह में निम्न बिंदु सम्मिलित हैं –**

- वार्ड -स्तरीय व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण - निकाय का एक सक्रिय कर्मचारी इस समूह का हिस्सा होना चाहिए ताकि समस्याओं को दूर किया जा सके व समस्या का समाधान किया जा सके तथा उसके भ्रमण के कार्यक्रम को सभी से साझा किया जा सके।.
- स्थल पर कचरा प्रसंस्करण करने वाले निवासियों का विवरण
- निकाय के कर्मचारियों द्वारा महीने में कम से कम एक बार भ्रमण किया गया व रिपोर्ट तैयार की गई
- होम कंपोस्टिंग की सुविधा के लिए बायो कल्चर /सूखी पत्तियों/कोको पिट और अन्य आवश्यक उपकरणों के प्रावधान / उपलब्धता के लिए उपयुक्त तंत्र सुनिश्चित करना
- भुगतान पर आधारित कंपोस्टिंग हेतु कंपोस्टर्स उपलब्ध करवाना या होम कंपोस्टिंग के लिए मार्ट की स्थापना करना या अन्य कोई

| अंक योजना | अंक |
|---|---|
| >10% ग़ैर थोक कचरा उत्पादकों का | 50 |
| 7-10% | 40 |
| 3-6% | 30 |
| 1-2% | 20 |
| <1% | 0 |

| | |
|---|---|
| **निकाय द्वारा ऑन-साइट प्रसंस्करण को अपनाने वाले गैर-थोक अपशिष्ट जनरेटर की साप्ताहिक प्रगति डिजिटल रूप से संधारित (जैसे एक्सेल फाइल) एवं एसबीएम पोर्टल से जुड़ी हुई है** | 20 |

आज़ादी का अमृत महोत्सव

# 2.10

## गैर-थोक अपशिष्ट कचरा उत्पादकों द्वारा स्थल पर ही गीले कचरे का प्रसंस्करण

अपशिष्ट उत्पादकों का प्रतिशत (बीडब्ल्यूजी, आरडब्ल्यूए को छोड़कर) जहां स्थल पर गीले कचरे की प्रसंस्करण सुविधा (खाद/जैव-मिथेनेशन) होनी चाहिए। इसमें व्यक्तिगत घर (जो रहवासी संघों का हिस्सा नहीं है ), वाणिज्यिक और अन्य अपशिष्ट उत्पादक शामिल हो सकते हैं।

**सत्यापन की पद्धति**

**केवल तीसरी तिमाही हेतु**

**100% प्रत्यक्ष अवलोकन**

1. क्षेत्रीय मूल्यांकन करने वाला मूल्यांकनकर्ता जनसंख्या के आधार पर नमूने लेकर वार्ड में जहां गीले कचरे का स्थल पर प्रसंस्करण का दावा किया गया है, उन घरों/वेंडर्स का अनियमित भ्रमण करेगा(यदि पता ग़लत पाया गया तो लिया गया सेम्पल फेल माना जाएगा ।

2. यदि स्थल पर प्रसंस्करण का अभ्यास किया जा रहा है तो प्रश्न पूछे जाएँगे और व्यक्तिगत रूप से अवलोकन भी किया जाएगा ।

3. क्षेत्रीय मूल्यांकन के आधार पर स्वतंत्र सत्यापन मैट्रिक्स (आईवीएम) लागू किया जाएगा और अंतिम अंक दिए जाएंगे।

अंतिम अंक = दावा किए गए अंक - आईवीएम के अनुसार समायोजित अंक

| 2.11 | थोक कचरा उत्पादक द्वारा (i) रसोई और बगीचे के कचरे या जैविक कचरे सहित उत्पन्न गीले कचरे का स्थल पर प्रसंस्करण करना या निकाय द्वारा अधिकृत प्राइवेट एजेंसी द्वारा एकत्रित गीले कचरे को प्राप्त करना और प्रसंस्कृत करना (ii) अलग किए गए सूखे कचरे को अधिकृत कचरा बीनने वालों या कचरा संग्रहकर्ताओं को सौंपना। | अंक 80 (60+20) |
|---|---|---|

- एक थोक कचरा उत्पादक उसे माना जाएगा जो महीने में 15 दिनों से अधिक के लिए प्रति दिन (या निकाय /राज्य द्वारा परिभाषित) कुल 100 किलोग्राम से अधिक कचरा उत्पन्न करता है।
- सामुदायिक हॉल/फंक्शन हॉल/मैरिज हॉल/पब्लिक गैदरिंग इत्यादि अपशिष्ट उत्पादकों को थोक कचरा उत्पादक माना जाएगा यदि इन इकाइयों की होल्डिंग क्षमता 200 पैक्स (200 व्यक्तियों हेतु कार्यक्रम आयोजित करने की क्षमता ) से अधिक है

| अंक योजना | | अंक |
|---|---|---|
| >95% | स्थल पर प्रसंस्करणकर रहे थोक कचरा उत्पादक | 60 |
| 80-95 % | | 50 |
| 60-79% | | 40 |
| 40-59% | | 30 |
| 20-39% | | 20 |
| निकाय द्वारा सभी थोक कचरा उत्पादकों सम्बन्धी रिकार्ड डिजिटल तरीक़े से संधारित किये जा रहे हैं (उदाहरण – एक्सल फ़ाइल ) एस बी एम पोर्टल से लिंक्ड हैं | | 20 |

**नोट :**

1. <1 लाख आबादी वाले शहरों में शहरी स्थानीय निकायों को थोक कचरा उत्पादकों के कचरे को प्रसंस्करण करने की अनुमति है, बशर्ते सभी थोक कचरा उत्पादकों को चिन्हित किया जाए और व्यवसायिक क्षेत्रों की दरों के आधार पर शुल्क अधिरोपित किया जाए।

2. यदि शहर की जनसंख्या>1 लाख है, तो थोक कचरा उत्पादक स्थल पर ही प्रसंस्करण करें या निजी ऑपरेटरों को आउटसोर्स प्रोसेसिंग के लिए कहें|

अंकों की अहर्ता पूर्ण करने के लिए निकाय को थोक कचरा उत्पादकों सम्बन्धी भू निर्देशांक (जीआईएस विवरण)निर्धारित विवरण (एमओएचयूए द्वारा दिया जाने वाला) के अनुसार एसबीएम पोर्टल पर अपडेट करना होगा जिनमे,निकाय की सीमाओं, वार्ड नंबर, वार्ड सीमाओं, लैंडमार्क इत्यादि का उल्लेख हो |

2.11

**थोक कचरा उत्पादक द्वारा (i) रसोई और बगीचे के कचरे या जैविक कचरे सहित उत्पन्न गीले कचरे का स्थल पर प्रसंस्करण करना या निकाय द्वारा अधिकृत प्राइवेट एजेंसी द्वारा एकत्रित गीले कचरे को प्राप्त करना और प्रसंस्कृत करना (ii) अलग किए गए सूखे कचरे को अधिकृत कचरा बीनने वालों या कचरा संग्रहकर्ताओं को सौंपना।**

**पुष्टिकरण के लिए पद्धति**

**केवल तीसरी तिमाही हेतु**

**100% प्रत्यक्ष अवलोकन**

1. क्षेत्रीय मूल्यांकनकर्ता अनियमित तरीक़े (रेंडम आधार पर ) से गीले कचरे के स्थल पर प्रसंस्करण के अंतर्गत दावा किए गए वार्डों में हाउसिंग सोसाइटियों/आरडब्ल्यूए/विक्रेताओं का दौरा करेंगे – जनसंख्या के आधार पर नमूनों के आकार को लिया जाएगा।

2. यदि स्थल पर प्रसंस्करण का अभ्यास किया जा रहा है तो प्रश्न पूछे जाएँगे और व्यक्तिगत रूप से अवलोकन किया जाएगा

3. क्षेत्रीय मूल्यांकन के आधार पर स्वतंत्र सत्यापन मैट्रिक्स (आईवीएम) लागू किया जाएगा और अंतिम अंक दिए जाएंगे।

अंतिम अंक = दावा किए गए अंक - आईवीएम के अनुसार समायोजित अंक

**2.12**

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की परिचालन लागत का कितना प्रतिशत कवर किया जा रहा है

**'कचरे का संग्रह और परिवहन 'का व्यय केवल उपयोगकर्ता शुल्क (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधित सेवाओं के लिए) द्वारा सीधे एकत्र किया जाता है या संपत्ति कर / पानी / बिजली बिल आदि के माध्यम से एकत्र किए गए उपयोगकर्ता शुल्क (एसडब्ल्यूएम उप शीर्ष) द्वारा कवर किया जाता है?**

सेवा प्रदाताओं (रिक्त पदों के विरुद्ध) के माध्यम से प्रदत्त दैनिक वेतनभोगी, संविदा या आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन व्यय को लागत के साथ जोड़ा जाएगा

सार्वजनिक/व्यावसायिक क्षेत्रों की सफाई से संबंधित खर्च **और** कचरे के प्रसंस्करण और निपटान से संबंधित खर्च सम्मिलित नहीं हैं।

**अंक 100**

# ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं की लागत वसूली की सीमा का आकलन करने के लिए

| अंक योजना | अंक |
|---|---|
| 95% - 100% लागत का | 100 |
| 80% – 94% लागत का | 80 |
| 65% – 79% लागत का | 60 |
| 50% – 64% लागत का | 40 |
| <50% लागत का | 0 |

**नोट :**

- शहर को अपने दावे का समर्थन करने के लिए या तो एक विस्तृत विवरण या चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाण पत्र साक्ष्य के रूप में संधारित करना /देना चाहिए ।
- त्रैमासिक प्रदर्शन के अलावा, 31 दिसंबर 2021 तक एकत्र किए गए कुल राजस्व विरूद्ध 31 दिसंबर 2021 तक की गई कुल संचयी परिचालन लागत के लिए भी प्रदर्शन का आकलन किया जा सकता है – उत्कृष्ट प्रदर्शन को प्रथम तिमाही और द्वितीय तिमाही में अंक देते समय लागू किया जायेगा ।

# 3. सतत् स्वच्छता और सफाई मित्र सुरक्षा

**कुल संकेतक : 7**

**900 अंक / 3,000 अंक**

**कुल 3,000**

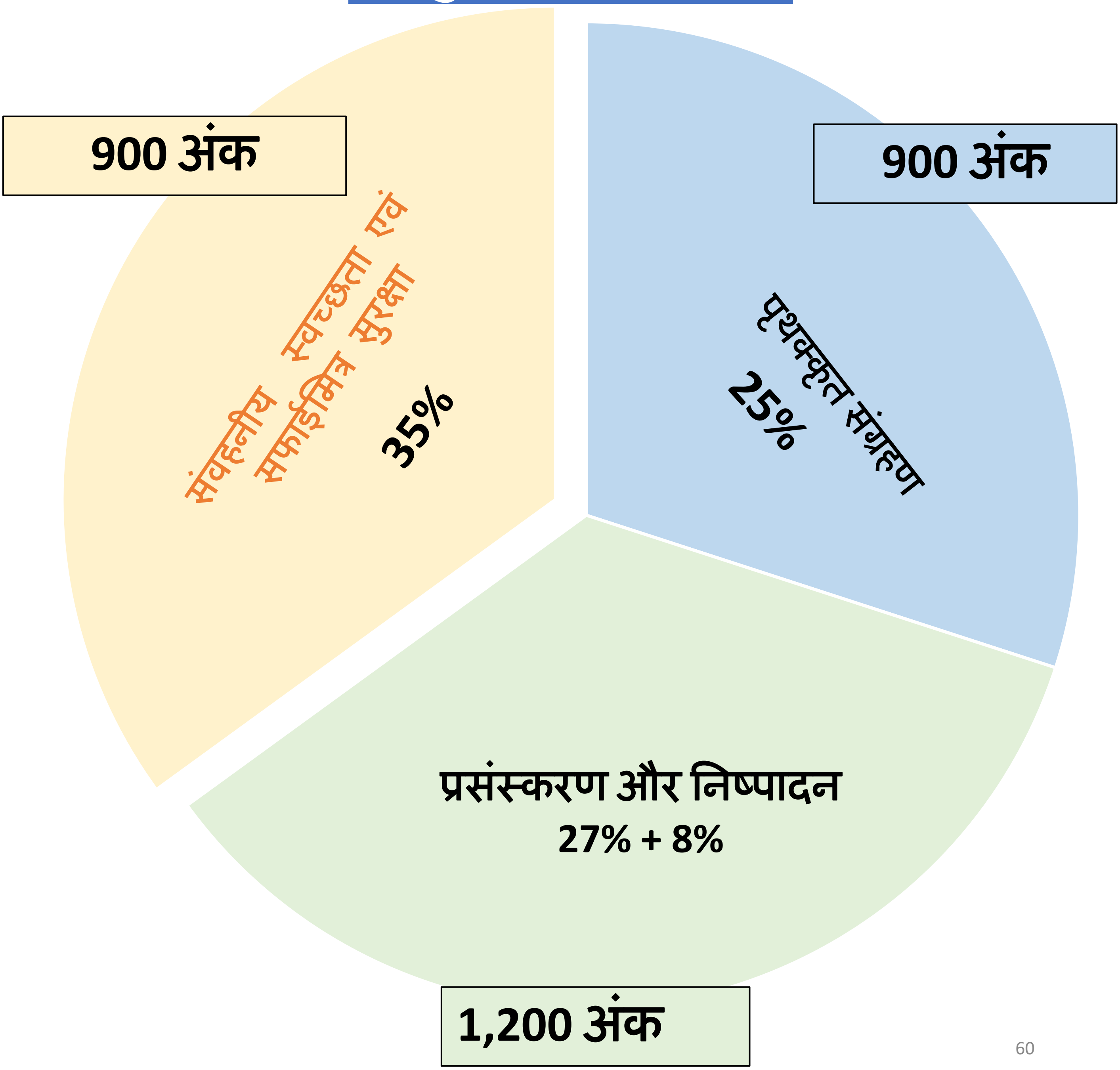

**3.1**

कितने प्रतिशत घर, वाणिज्यिक संस्थान, प्रतिष्ठान और सार्वजनिक क्षेत्र के सीटी / पीटी एक बंद प्रणाली जैसे सीवरेज, सेप्टिक टैंक + सोक पिट, ट्विन-पिट सिस्टम आदि से जुड़े हैं। (कोई खुली प्रणाली / कनेक्शन / प्रवाह / खुले में बहाव नहीं)

**अंक**
**50**
(40+10)

## यह संकेतक यह पता लगाएगा कि शहर में सीवरेज नेटवर्क या सेप्टिक टैंक का पर्याप्त कवरेज है या नहीं

| अंक की योजना | अंक |
|---|---|
| > 95% घरो/व्यवसायिक प्रतिष्ठान/क्या सी.टी और पी.टी सीवेज सिस्टम से जुडे हुए है अथवा सेप्टिक टैंक + सोक पिट् के साथ है | 40 |
| 80-94% घर/व्यावसायिक प्रतिष्ठान/ सीवरेज/सीटी और पीटी सीवेज सिस्टम के साथ जुड़े हैं /सेप्टिक टैंक + सोक पिट् के साथ है | 30 |
| 60-79% घरो/व्यवसायिक प्रतिष्ठान/सीटी और पीटी सीवेज सिस्टम से जुडे हुए है /सेप्टिक टैंक + सोक पिट् के साथ है | 20 |
| < 60% घरो/व्यवसायिक प्रतिष्ठान/सीटी और पीटी क्या सीवेज सिस्टम से जुडे हुए है या सेप्टिक टैंक + सोक पिट् या कोई डाटा उपलब्ध नही है। | 0 |
| निकाय द्वारा सीवर सिस्टम/सेप्टिक टैंक+सोक पिट/ट्विन पिट सिस्टम के माध्यम से कवर किए गए सभी क्षेत्रों का रिकॉर्ड डिजिटली संधारित एवं एसबीएम पोर्टल से जुड़ा हुआ हो(अपलोड होना चाहिए) | 10 |

नोट: शहर यह भी पुष्टि करेगा कि जितने घर किसी एक बंद प्रणाली प्रणाली से नहीं जुड़े हैं उनमे सीवरेज प्रणाली है |

**3.1**

**कितने प्रतिशत परिवार, वाणिज्यिक संस्थान, प्रतिष्ठान और सार्वजनिक क्षेत्र के सीटी / पीटी एक बंद प्रणाली जैसे सीवरेज, सेप्टिक टैंक + सोक पिट, ट्विन-पिट सिस्टम आदि से जुड़े हैं। (कोई खुली प्रणाली / कनेक्शन / प्रवाह / खुले में बहाव नहीं)**

**पुष्टिकरण के लिए पद्धति**

**केवल तृतीय तिमाही**

**100% प्रत्यक्ष अवलोकन**

1.निकाय द्वारा दावा किए गए कवरेज के अनुसार, स्थलीय (असेसर) मूल्यांकनकर्ता पूर्ण-शहर के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर खुले में बहाव(निर्वहन) की जाँच करेगा

2.स्थलीय अवलोकन पर, स्वतंत्र सत्यापन मैट्रिक्स **(आई.वी.एम) लागू किया जाएगा** और अंतिम अंक दिए जाएंगे।

अंतिम अंक = दावा किए गए अंक – आई.वी.एम के अनुसार समायोजित अंक|

**3.2**

**क्या शहर में एफएसटीपी और एसटीपी की क्षमता* शहर में एकत्रित/ उत्सर्जित होने वाले कुल मल कीचड़ और सीवेज से मिलान हो रही है?***

**क्लस्टर के सन्दर्भ/_दृष्टिकोण में क्षमता पर मान्य किया जाएगा बशर्ते शहर की सीमा से 50 किमी तक की नियत दूरी में होना चाहिए**

**अंक 110**

यह संकेतक आकलन करेगा कि शहर में उत्पन्न होने वाले पूरे मल कीचड़ और सीवेज के उपचार के लिए आधारभूत संरचना / ढांचा उपलब्ध है या क्लस्टर आधारित ढांचा उपलब्ध है? (50 किमी तक की परिधि में )

| अंक योजना | अंक |
|---|---|
| >95% क्षमता कुल उत्सर्जित मल कीचड़ और सीवेज के साथ मेल खा रही है | 110 |
| 75% -95% के बीच में | 90 |
| 50% - 74%के बीच में | 70 |
| Between 30% – 49% के बीच में | 50 |
| <30% परन्तु शून्य नही | 30 |

अंकों की अर्हता प्राप्त करने के लिए सभी अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों (एफएसटीपी/एसटीपी),यूएलबी सीमाओं, वार्ड संख्या, वार्ड सीमाओं, लैंडमार्क आदि के संदर्भ में भू निर्देशांक (जीआईएस विवरण) निर्धारित विवरण के साथ एसबीएम पोर्टल पर मैप किया जाना है (MoHUA द्वारा दिया गया है )

# रैखिकता से चक्रीयता

| 3.3 | घरों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों/सीटी/पीटी से एकत्रित मल कीचड़ या निकाय में कुल उत्पादित सीवेज का कितना प्रतिशत एफएसटीपी/एसटीपी में संसाधित किया जाता है - मल कीचड़ और सीवेज का वैज्ञानिक प्रसंस्करण - क्या एसटीपी से उपचारित अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग/पुनर्नवीनीकरण और राजस्व उत्पन्न होता है? | Marks 175 (80+50+ 25+20) |
|---|---|---|

यह संकेतक यह पता लगाएगा कि क्या शहर में अधिकांश मल कीचड़ और सीवेज को वैज्ञानिक रूप से संसाधित किया जा रहा है और खुले में नहीं छोड़ा जा रहा है - और क्या शहर एसटीपी / एफएसटीपी से उपचारित अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग / पुनर्चक्रण करता है। उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग और उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग करके बचाए गए राजस्व को उपचारित अपशिष्ट जल की वास्तविक बिक्री के अलावा उत्पन्न राजस्व के रूप में माना जाएगा। राजस्व की गणना उस वाणिज्यिक दर के आधार पर की जाएगी जो निकाय जल की आपूर्ति/विक्रय के लिए शुल्क लेता है।

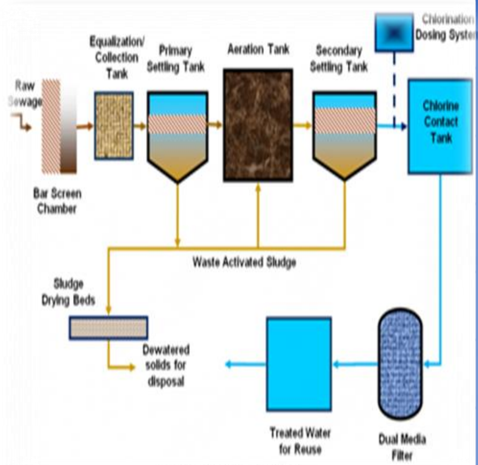


Sewage Treatment Plant

| अंक योजना - उपचार | अंक |
|---|---|
| >95%मल/ सीवरेज का उपचार किया जाता है। | 80 |
| 85-95%मल/ सीवरेज का उपचार किया जाता है। | 60 |
| 75-84%मल/ सीवरेज का उपचार किया जाता है। | 40 |
| 65 – 74%मल/ सीवरेज का उपचार किया जाता है। | 20 |
| 55 – 64%मल/ सीवरेज का उपचार किया जाता है। | 10 |
| < 55% मल/ सीवरेज का उपचार किया जाता है **या** कोई आंकड़े उपलब्ध नही है | 0 |

**क्या उपचारित अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग / पुनर्चक्रण किया जाता है? (ताजे पानी पर भार कम करने के लिए)**

| अंक योजना | अंक |
|---|---|
| >30%अपषिष्ट जल का पुनः उपयोग/पुनर्नवीनीकरण किया जाता है | 50 |
| 20% - 29%अपषिष्ट जल का पुनः उपयोग/पुनर्नवीनीकरण किया जाता है | 40 |
| 10% - 19% अपषिष्ट जल का पुनः उपयोग/पुनर्नवीनीकरण किया जाता है | 30 |
| <10% अपषिष्ट जल का पुनः उपयोग/पुनर्नवीनीकरण किया जाता | 20 |

**क्या शोधित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग/पुनर्चक्रण से राजस्व उत्पन्न होता है?**

| अंक योजना | अंक |
|---|---|
| > 20% उपचारित अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग / पुनर्चक्रण किया जाता है, जिसमें से > 30% जल राजस्व उत्पन्न होता है | 25 |
| **20% तक उपचारित अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग / पुनर्चक्रण किया जाता है, जिसमें से 20% -30% राजस्व उत्पन्न होता है** | 15 |



निकाय द्वारा शोधन, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग/पुनर्चक्रण और उससे उत्पन्न राजस्व का साप्ताहिक लॉग डिजिटल रूप में (जैसे एक्सेल फाइल) एसबीएम पोर्टल पर लिंक है। 20 Marks

# 3.2 & 3.3

**क्या शहर में एफएसटीपी/एसटीपी की क्षमता* शहर में एकत्रित/उत्पन्न कुल मल कीचड़ और सीवेज से मेल खा रही है?***

क्लस्टर के सन्दर्भ /दृष्टिकोण के तहत क्षमता मान्य किया जाएगा बशर्ते शहर की सीमा से 50 किमी तक की दूरी हो

घरों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों/सीटी/पीटी से एकत्रित मल कीचड़ या सीवेज का कितना प्रतिशत एफएसटीपी/एसटीपी में उपचारित किया जाता है - मल कीचड़ और सीवेज का वैज्ञानिक प्रसंस्करण - क्या एसटीपी/एफएसटीपी से उपचारित अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग / पुनर्चक्रण किया जाता है?

**उत्पादन के अनुसार:**
एसटीपी की डिज़ाइन की गई इनपुट क्षमता (एमएलडी में) + एफएसटीपी की डिज़ाइन की गई इनपुट क्षमता (एमएलडी में परिवर्तित होने के लिए केएलडी में)
मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) में उत्पन्न सीवेज की अनुमानित मात्रा (आपूर्ति किए गए जल का 80% लिया जा सकता है) + इन सेप्टिक टैंकों से निकलने वाले सेप्टेज की अनुमानित मात्रा (फेकल स्लज जनरेशन)
संग्रहन के अनुसार:
एमएलडी में सीवरों के माध्यम से एकत्रित सीवेज की मात्रा + एमएलडी में नालियों से प्राप्त सीवेज की मात्रा + एमएलडी में सीवरों के माध्यम से एकत्रित सीवेज की मात्रा + सोकपिट के साथ या बिना सेप्टिक टैंक से निकाले गए सेप्टेज की वास्तविक मात्रा (रिकॉर्ड बुक / डेटाबेस से उपलब्ध मात्रा) द्वारा (i) निकाय (ii) निकाय (मासिक) के साथ पंजीकृत निजी डीस्लजिंग ऑपरेटर्स
एसटीपी की डिज़ाइन की गई इनपुट क्षमता (एमएलडी में) + एफएसटीपी की डिज़ाइन की गई इनपुट क्षमता (एमएलडी में परिवर्तित होने के लिए केलडी में )

**पुष्टिकरण के लिए पद्धति**

**केवल तृतीय तिमाही**

**100% प्रत्यक्ष(Direct) अवलोकन**

1. एम.आई.एस में निकाय द्वारा दर्शाये गए प्रसंस्करण सुविधाओं/संयंत्रों (एस.टी.पी/एफ.एस.टी.पी) की सूची के आधार पर मूल्यांकनकर्ता सभी संयंत्र पर जायेगा |
2. प्रगति का पता लगाने के लिए, मूल्यांकनकर्ता संयंत्र में अधिकारियों के साथ बातचीत करेगा |
3. मूल्यांकनकर्ता कम से कम पिछले 3 महीने के रिकॉर्ड और बिजली बिल को सत्यापित करने के लिए लॉग-बुक की जाँच करेगा|
4. मूल्यांकनकर्ता यह भी जांच करेगा कि उपचारित अपशिष्ट जल का दावा/दावे के अनुसार पुन: उपयोग किया जा रहा है या नहीं|
5. लॉगबुक/बिजली बिलों के अवलोकन और सत्यापन के आधार पर, बैक-एंड पर वरिष्ठ मूल्यांकनकर्ता पहुंचेंगे संयंत्र (संयंत्रों) की दक्षता स्तर पर और संकेतक-वार अंक दिए जाएंगे|

आज़ादी का अमृत महोत्सव

# 3.4 क्या सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय और सामुदायिक शौचालय स्वच्छ और उपयोगकर्ता के अनुकूल हैं - प्रत्येक संकेतक का उत्तर हां या ना में दिया जाना चाहिए।

**अंक 190 (65+65+40 +20)**

यह संकेतक शहर में सीटी / पीटी / मूत्रालयों की कार्यक्षमता का आकलन करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शौचालय/मूत्रालय नागरिक के उपयोग करने के लिए सहज हैं। प्रत्येक नमूने के लिए **'हाँ'** को पूर्ण अंक मिलेंगे और **'नहीं'** शून्य अंक प्रदान किए जाएंगे।

## सार्वजनिक शौचालय

| अंक योजना | अंक |
|---|---|
| पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग भाग(सेक्शन) | 10 |
| सूखा और साफ | 10 |
| पानी की व्यवस्था-नल और फ्लश काम कर रहा है | 10 |
| अच्छी तरह से प्रकाशित हो , बिजली / प्राकृतिक प्रकाश | 5 |
| सभी दरवाजों पर कार्यात्मक बोल्टिंग | 5 |
| *केयरटेकर रखरखाव के लिए मौजूद है | 5 |
| सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है | 5 |
| दिव्यांगो लोगों के लिए उपयोग के अनुकूल | 10 |
| सेनेटरी नैपकिन वितरण प्रणाली/उपलब्धता | 5 |

## सामुदायिक शौचालय

| अंक योजना | अंक |
|---|---|
| पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग भाग(सेक्शन) | 10 |
| सूखा और साफ | 10 |
| पानी की व्यवस्था-नल और फ्लश काम कर रहा है | 10 |
| अच्छी तरह से प्रकाशित हो. बिजली / प्राकृतिक प्रकाश | 5 |
| सभी दरवाजों पर कार्यात्मक बोल्टिंग | 5 |
| संस्थागत रखरखाव/सफाई के लिए व्यवस्था | 5 |
| 24-घंटे खुला | 5 |
| दिव्यांगो लोगों के लिए उपयोग के अनुकूल | 10 |
| सेनेटरी नैपकिन वितरण प्रणाली/उपलब्धता | 5 |

## मूत्रालय

| अंक योजना | अंक |
|---|---|
| सूखा और साफ | 10 |
| पानी की व्यवस्था (फ्लशिग हेतु) | 10 |
| अच्छी तरह से प्रकाशित हो , बिजली / प्राकृतिक प्रकाश | 5 |
| संस्थागत रखरखाव/सफाई के लिए व्यवस्था | 5 |
| दिव्यांगो लोगों के लिए उपयोग के अनुकूल | 10 |

* महिलाओं को कार्यबल में शामिल होने के लिए प्रेरित करने और उन्हें एक सुदृढ़ आजीविका अवसर प्रदान करने के लिए, महिला SHG सदस्यों द्वारा ओ एंड एम और पीटी के लिए महिलाओं / तीसरे लिंग के देखभालकर्ताओं की नियुक्ति को दृढ़ता से प्रोत्साहित करना है (केवल दिन की पाली के दौरान)

| | |
|---|---|
| फ़ीडबैक(प्रतिक्रिया)-प्रणाली सभी सार्वजनिक, सामुदायिक शौचालय, मूत्रालय पर मौजूद हो और एस.बी.एम पोर्टल के साथ जुड़ा हुआ (लिंक) हों | 20 Marks |

अंकों के प्राप्त करने के लिए निकाय सीमाओं, वार्ड संख्या, वार्ड सीमाओं के संदर्भ में भू-निर्देशांक (जीआईएस विवरण), सभी सीटी, पीटी और यूरिनल के लैंडमार्क आदि को मैप किया जाएगा और एसबीएम पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। (MoHUA द्वारा प्रदत)

**3.4**

**क्या सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय और सामुदायिक शौचालय स्वच्छ और उपयोगकर्ता के अनुकूल हैं – प्रत्येक घटक/प्रश्न का उत्तर हां या ना में दें**

**पुष्टिकरण के लिए पद्धति**

**केवल तृतीय तिमाही .**

**100% प्रत्यक्ष(Direct) अवलोकन**

1. निकाय के दावे के आधार पर, मूल्यांकनकर्ता सत्यापन के लिए नमूने के अनुसार चयनित सी.टी/पी.टी/यूरिनल का दौरा कर दावे की जांच करेगा । वह एकाएक नागरिकों से बात करेगा और पता लगाएगा कि क्या नागरिक सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों और मूत्रालयों की कार्यक्षमता के साथ संतुष्ट हैं |
2. मूल्यांकनकर्ता प्रश्न केवल सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों और मूत्रालयों का उपयोग करने वाले नागरिकों से ही पूछेगा |
3. स्थलीय सत्यापन के दौरान, प्रश्न केवल सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय और मूत्रालय का उपयोग करते हुए देखे गए नागरिकों से ही पूछा जाएगा |
4. अवलोकन और नागरिकों/संयंत्र अधिकारी के साथ बातचीत के आधार पर, **स्वतंत्र सत्यापन मैट्रिक्स (आईवीएम)** लागू किया जाएगा और अंतिम अंक दिए जाएंगे)। अंतिम अंक = दावा किए गए अंक - आईवीएम के अनुसार समायोजित अंक |

# नागरिक सबसे पहले

SAFAIMITRA SURAKSHA CHALLENGE

## 375 अंक

**सफाईमित्र सुरक्षा संकेतकों के तहत 375 अंकों का दावा करने के लिए अनिवार्य शर्तें**

**(i) आरएसए और एसआरयू अधिसूचित और संचालन (ii) ओडीएफ + प्रमाणपत्र, और (iii) एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंधित**

# 3.5 जागरूकता: क्या सभी नागरिक और निकाय के कर्मचारी अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में जानते हैं

**अंक 40**

निकाय से यह अपेक्षा की जाती है सभी नागरिकों और हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेप्टिक टैंक और मशीनहोल (सीवर लाइन) की सफाई के लिए केवल निकाय से संबद्ध सेवाओं का लाभ उठाया जा सके। **सूचना एवं संचार सामग्री को लिंग-संवेदनशील और समावेशी तरीके से डिजाइन किया जाना चाहिए**

| अंक योजना | अंक |
|---|---|
| नागरिकों की मदद के लिए 24X7 हेल्पलाइन 14420 की उपलब्धता के बारे में सूचना संचार सन्देश/ जागरूकता , सेप्टिक-टैंक और सीवर-लाइन (मशीन होल) की सफाई के संबंध में पूछताछ/शिकायतें/ जल निकासी या यू.एल.बी द्वारा प्रदान की जाने वाली कोई अन्य सेवाओं की जागरूकता आई.ई.सी/ संदेश द्वारा होनी चाहिए। हेल्पलाइन को सफाईमित्र की शिकायतों का भी समाधान करना चाहिए | 10 |
| **सेप्टिक टैंकों की निर्धारित सफाई (Scheduled Cleaning ) (हर 3 साल में एक बार) हेतु सूचना संचार / आईईसी संदेश** | 10 |
| **मैनुअल स्कैवेंजर्स का संरक्षण,रोजगार व पुनर्वास अधिनियम (PEMSRA) 2013'** गैर-अनुपालन के लिए दंडात्मक कार्रवाइयों के सूचना संचार /आ.ई.ईसी संदेश | 10 |
| सभी वार्डों में केवल लाइसेंस प्राप्त डी-स्लजिंग ऑपरेटरों का कार्यचालन हेतु संचार /आ.ई.ईसी संदेश और 100% डी-स्लजिंग वाहन के मध्यम से सूचना संचार /आ.ई.ईसी संदेश | 10 |

# 3.5

# जागरूकता: क्या सभी नागरिक और निकाय के कर्मचारी अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में जानते हैं

**पुष्टिकरण के लिए पद्धति**

**केवल तृतीय तिमाही** .

**100% प्रत्यक्ष(Direct) अवलोकन**

1. दावे के आधार पर, मूल्यांकनकर्ता अनियमित तरीके से नागरिकों से बात करेगा और यह पता लगाएगा कि क्या नागरिकों द्वारा निकाय द्वारा की गई सूचना संचार/आईईसी गतिविधियों के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गयी है।
2. नागरिकों/संयंत्र अधिकारी के साथ बातचीत एवं अवलोकन के आधार पर, स्वतंत्र सत्यापन मैट्रिक्स (आईवीएम) लागू किया जाएगा और अंतिम अंक दिए जाएंगे)। अंतिम अंक = दावा किए गए अंक - आईवीएम के अनुसार समायोजित अंक

# 3.6

# प्रणाली और अधोसंरचना : क्या निकाय में सेप्टिक टैंकों और सीवर लाइनों की मशीनीकृत सफाई की व्यवस्था है? क्या निकाय ने सेवाओं के संचालन के लिए बुनियादी शर्तों को पूरा किया है

**अंक 250**

## 100% सीवरेज कवरेज वाले शहरों पर डी-स्लजिंग संबंधित शर्तें लागू नहीं होंगी - अधिकतम अंक दिए जाएंगे

| अंक योजना | अंक |
|---|---|
| 100% निजी/अनुबंधित डी-स्लजिंग ऑपरेटर निकाय के साथ पंजीकृत हैं (कोई अनधिकृत ऑपरेटर ऑपरेटिंग नहीं है) - वाहन यदि निकाय के स्वामित्व में हैं तो निकाय अंकों के लिए अर्हता पूर्ण करेंगा | 20 |
| क्या डी-स्लजिंग वाहन की क्षमता कुल निकाय की डी-स्लजिंग मांग से मेल खा रहे हैं: हां 100% मांग पूरी हुई (निकाय को हर 3 साल में मल खाली(de-sludging ) अनिवार्यता के अनुरूप निकाय की मांग पता लगाने की आवश्यकता है ) | 10 |
| **क्या निकाय के पास सीपीएचईईओ मानदंडों के अनुसार पर्याप्त संख्या में उपकरण (विशेष रखरखाव उपकरण सहित) और बुनियादी ढाँचा है?** | **20** |
| **क्या CPHEEO मानदंडों के अनुसार निकाय के पास पर्याप्त संख्या में कार्यबल है?** | 20 |
| **क्या निकाय ने नालों और / या खुले क्षेत्रों में अनुपचारित मल कीचड़ डंप करने वाले व्यक्तियों / डी-स्लजिंग ऑपरेटरों के खिलाफ जुर्माना अधिसूचित और जुर्माना वसूल किया है (हां / नहीं)** | 20 |
| क्या एसआरयू की स्थापना सीवरों और सेप्टिक टैंकों की रुकावटों की आपातकालीन स्थितियों की देखभाल करने के लिए की गई है जिसके मैनुअल असुरक्षित/ खतरनाक सफाई को रोका जा सके | 25 |
| **क्या शहर में मैनुअल खतरनाक प्रवेश (बिना सुरक्षा गियर के) पर प्रतिबंध लगा दिया गया है - अधिसूचित और लागू किया गया है (हां/नहीं)** | 25 |
| **क्या एकत्र किया गया उपयोगकर्ता शुल्क (डी-स्लजिंग सेवाएं) परिचालन लागत से >75% है** | 25 |
| **क्या 1 जनवरी 2021 के बाद निर्मित सभी सेप्टिक टैंक मशीनीकृत सफाई की सुविधा और रुकावटों को कम करने के लिए निर्धारित डिजाइन (आईएस 2470) और विनिर्देशों के अनुसार हैं (आईएस 2470 भवन उप-नियमों में शामिल)** | 15 |
| **जोखिम वाले स्वच्छता स्थल (हॉट स्पॉट): क्या निकाय/वॉटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड /जल बोर्ड ने शहर के उन क्षेत्रों की पहचान की है जहां अक्सर रुकावटें/दुर्घटनाएं होती हैं और आवश्यक कार्य योजना तैयार की है** | 20 |
| **14420 (हेल्पलाइन/पोर्टल/व्हाट्सएप) के माध्यम से दर्ज की गई >80% शिकायतों का संतोषजनक समाधान किया गया है** | 20 |
| **क्या >75% सेप्टिक टैंक नियमित सफाई के लिए जियो-टैग किए गए हैं?** | 30 |

# 3.6

## प्रणाली एवं अधोसंरचना : क्या निकाय में सेप्टिक टैंकों और सीवर लाइनों की मशीनीकृत सफाई की व्यवस्था है? क्या निकाय ने सेवाओं के संचालन के लिए बुनियादी शर्तों को पूरा किया है

**पुष्टिकरण के लिए पद्धति**

**केवल तृतीय तिमाही**

100 % नागरिक/प्लांट के अधिकारी

1. मल एकत्रित करने वाली सेवाओं के दावे और कवरेज के आधार पर, मूल्यांकनकर्ता यादृच्छिक (Random) तरीके से नागरिकों से बात करेगा और यह पता लगाएगा कि क्या नागरिकों को जानकारी है कि–

- सुरक्षा गियर के बिना मैन्युअल प्रवेश प्रतिबंधित है
- सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए यूजर चार्ज वसूला जाता है
- जल जमाव से बचने के लिए निकाय लगातार सीवर लाइन/वर्षा जल नालियों की नालियों की सफाई करता है

1. उपचार के लिए संयंत्र में मल अपशिष्टको खाली करने के बाद उपचार संयंत्र में किए गए भुगतान के लिए डी-स्लजिंग ऑपरेटर को पर्चियां जमा करने की आवश्यकता होती है।

2. मूल्यांकनकर्ता सभी डी-स्लजिंग लेनदेन को कैप्चर करने वाले उपचार संयंत्र में बनाए गए रिकॉर्ड के लिए पूछेगा।

3. मूल्यांकनकर्ता नागरिकों/संयंत्र अधिकारियों से यह भी जांच करेगा कि मल जल प्रबंधन की गतिविधियों में लगे कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित और सुरक्षा गियर से पूरी तरह सुसज्जित हैं या नहीं।

4. अवलोकन और नागरिकों/संयंत्र अधिकारी के साथ बातचीत के आधार पर, स्वतंत्र सत्यापन मैट्रिक्स (आईवीएम) लागू किया जाएगा और अंतिम अंक दिए जाएंगे)। अंतिम अंक = दावा किए गए अंक - आईवीएम के अनुसार समायोजित अंक

आज़ादी का अमृत महोत्सव

| 3.7 | क्षमता अभिवर्धन, सुरक्षा और कल्याण: क्या तरल अपशिष्ट प्रबंधन में लगे सभी श्रमिकों (अनौपचारिक श्रमिकों सहित) को सामाजिक कल्याण योजनाओं से जोड़ा गया है और उनकी कार्य की भूमिका पर प्रशिक्षित किया गया है? | अंक 85 |
|---|---|---|

**संकेतक 100% सीवरेज कवरेज वाले शहरों पर लागू नहीं होने पर - अधिकतम अंक दिए जाएंगे**

| अंक योजना – प्रत्येक पैरामीटर के विरूद्ध 100% अनुपालन | Marks |
|---|---|
| व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) दिया गया - जिसमें एमओएचयूए द्वारा सुझाय नई वर्दी , हाथ के दस्ताने, भूमिगत सफाई के लिए सुरक्षा गियर, उपयुक्त जूते, मास्क और फ्लोरोसेंट जैकेट | 10 |
| क्या सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले श्रमिकों को मासिक सम्मान /मान्यता दी गई है (पुरुष और महिला अलग-अलग, यदि लागू हो) | 10 |
| ***ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन करने वाले सभी स्वच्छता कर्मियों (अनौपचारिक सहित) का डिजिटल रिकॉर्ड - नाम, पता, संपर्क नंबर, लिंग, कोई विशेष आवश्यकता आदि।*** | 5 |
| सभी अनौपचारिक/संविदा कर्मियों को कम से कम तीन सरकारी योजनाओं से जोड़ने की सुविधा प्रदान की गई है। आयुष्मान भारत, जीवन/दुर्घटना बीमा, शिक्षा, राशन कार्ड प्रदान करना ताकि सब्सिडी वाले खाद्यान्न आदि तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। (अतिरिक्त: त्रैमासिक स्वास्थ्य जांच अनिवार्य है) | 15 |
| चिन्हित किये गए सभी अनौपचारिक श्रमिकों को आजीविका के अवसर प्रदान किए जाने हैं - उदा. डी-स्लजिंग ऑपरेटरों के साथ एकीकरण/ समायोजन सीटी/पीटी के केयर टेकर के रूप में या सब्सिडी वाले ऋण (ऋण मेला) तक उनकी पहुंच सुनिश्चित कर उधमिता विकास मॉडल के रूप में शामिल करना | 15 |
| **क्या सभी डी-स्लजिंग ऑपरेटरों/स्टाफ (इन-हाउस/प्राइवेट ऑपरेटर)/अनौपचारिक सफाईमित्रों ने एक प्रमाणित प्रशिक्षण प्राप्त किया है**<br>**सुरक्षा उपाय और कानूनी मानदंड -**<br>**मैला ढोने वाले के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा**<br>**कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013,**<br>**सेप्टिक टैंक / सीवर लाइन / स्टॉर्मवाटर ड्रेन मशीनहोल की मशीनीकृत सफाई**<br>**आयोजित सभी प्रशिक्षणों / प्रसिक्षुओं का डिजिटल रिकॉर्ड एसबीएम् पोर्टल के साथ लिंक है** | 10<br>**10** |
| क्या सभी सीवर एंट्री प्रोफेशनल्स को प्रत्येक खतरनाक कार्य के लिए वेतन के साथ जोखिम भत्ता या न्यूनतम 10% मासिक खतरनाक कार्यों हेतु भत्ता दिया जाता है | 10 |

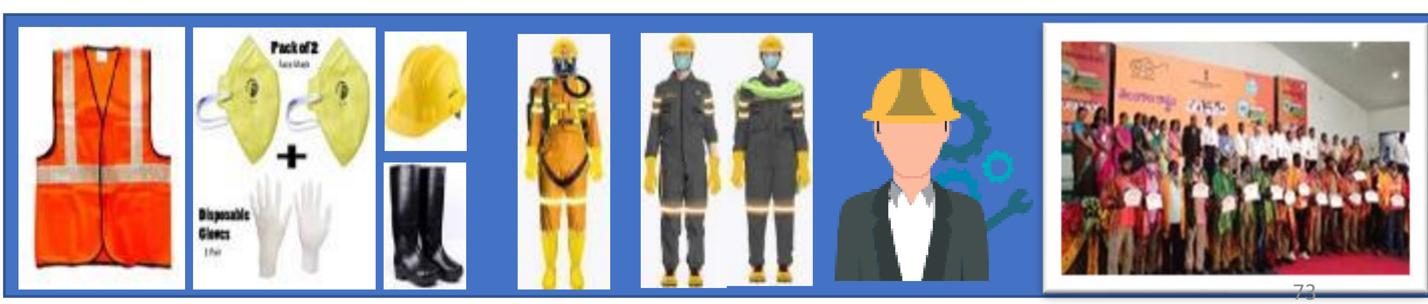

3.7

## क्षमता निर्माण, सुरक्षा और कल्याण: क्या तरल अपशिष्ट प्रबंधन में लगे सभी श्रमिकों (अनौपचारिक श्रमिकों सहित) को सामाजिक कल्याण योजनाओं से जोड़ा गया है और उनकी कार्य की भूमिका पर प्रशिक्षित किया गया है।

**पुष्टिकरण के लिए पद्धति**

**100% ऑन-कॉल सत्यापन**

1. सभी स्वच्छता कर्मचारियों का डिजिटल रिकॉर्ड नाम, पता, संपर्क नंबर, कल्याणकारी योजनाओं के साथ जुड़ाव के साथ चाहे वह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ता के रूप में मान्यता प्राप्त हो और आजीविका के अवसरों से जुड़े अनौपचारिक श्रमिकों के रूप में पहचाने जाने वाले सभी स्वच्छता कर्मचारियों का डिजिटल रिकॉर्ड, प्रमाण पत्र के साथ पूरा प्रशिक्षण आदि। इस संकेतक पुष्टिकरण अनिवार्य है
2. मूल्यांकनकर्ता यादृच्छिक (Random) तरीके कर्मचारी को यह जांचने के लिए कॉल करेगा कि क्या उसे पी.पी.ई दिया गया था? क्या यू.एल.बी ने उन्हें कोई सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा है (योजनाओं का नाम)। इसके अलावा, श्रमिकों की प्रदान की गई सूची के आधार पर, एवं उनके काम के आधार पर कामगारों से फोन पर संपर्क किया जाएगा यदि उन्हें उनके प्रदर्शन पर मान्यता/सम्मानित किया जाता है एवं अनौपचारिक श्रमिक कों आजीविका के अवसरों से जोड़ा गया है

3. |स्वच्छता कर्मियों से प्राप्त प्रतिक्रिया(फीडबैक) (नकारात्मक/सकारात्मक) के आधार पर, **स्वतंत्र सत्यापन मैट्रिक्स (आईवीएम)** लागू किया जाएगा और अंतिम अंक दिए जाएंगे)। अंतिम अंक = दावा किए गए अंक - आईवीएम के अनुसार समायोजित अंक

# सुदृढीकृत एवं मजबूत आंकलन

# स्वतंत्र सत्यापन मैट्रिक्स

## प्रतिदर्श (सैंपल) चयन के मानदंड

# स्वतंत्र सत्यापन मैट्रिक्स: जनसंख्या के अनुसार उत्तरदाता

| मूल्यांकन का क्षेत्र | जनसंख्या | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | <50 हज़ार | 50 हज़ार - 1 लाख | 1-3 लाख | 3-10 लाख | >10 लाख |
| उत्तरदाताओं की संख्या(सेम्पल) प्रथम और द्वितीय तिमाही के लिए कॉल के द्वारा ) | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| उत्तरदाताओं की संख्या(सेम्पल) (तृतीय तिमाही के लिए क्षेत्रीय मूल्यांकन ) | 100 | 125 | 150 | 175 | 300 |

## स्वतंत्र सत्यापन – दावा किये गए 'सेवा स्तर की प्रगति/सिटिज़न वाइस' के अंको पर प्रभाव

- **चरण -1:** समायोजित अंक - असफल नमूनों का प्रतिशत 'सेवा स्तर प्रगति' के तहत दावा किए गए अंकों में से काटे गए अंकों के प्रतिशत के समान होगा।
- **चरण -2:** नकारात्मक अंकन - 20% से नमूनों की असफलता के कारण, 'अंतिम/ फायनल अंक' की गणना करने के लिए, निम्न तालिका के अनुसार आगे नकारात्मक अंकन लागू किया जाएगा।

| असफल नमूनों का प्रतिशत % | दावा किये गए कुल अंको में से नकारात्मक अंको के % को समायोजित किये गए अंको में से घटाया जायेगा |
|---|---|
| <20% | 0% |
| 20%-30% | 5% |
| 31%-40% | 10% |
| 41%-50% | 20% |
| 51%-60% | 30% |
| 61%-70% | 40% |
| 71%-80% | 50% |
| 81%-90% | 60% |
| 91%-100% | 70% |

### उदाहरण - 3 परिदृश्य प्रस्तुति

| संकेतक क्र. | कुल अंक | दावा किये गए अंक | असफल नमूनों का % | चरण 1 के अनुसार काटे जाने वाले अंक | समायोजित अंक (चरण 1 के समायोजन पश्चात ) | नेगेटिव अंकन (चरण -2 के अनुसार ) | फ़ाइनल अंक (चरण 2 के समायोजन पश्चात ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 100 | 90 | 15% | 14 | 77 | 0 | 77 |
| | 100 | 90 | 30% | 27 | 63 | 3 | 60 |
| | 100 | 90 | 55% | 50 | 41 | 12 | 28 |

नोट: ऑन-कॉल सत्यापन के लिए 40% वार्ड और ऑन-फील्ड सत्यापन के लिए 100% को नागरिक सत्यापन के तहत कवर किया जाएगा (जहां प्रगति का दावा किया गया है)।

# प्रमाणन

**प्रमाणन : 2,250 / 7,500 अंक**

**कुल सूचकांक की संख्या : 2**

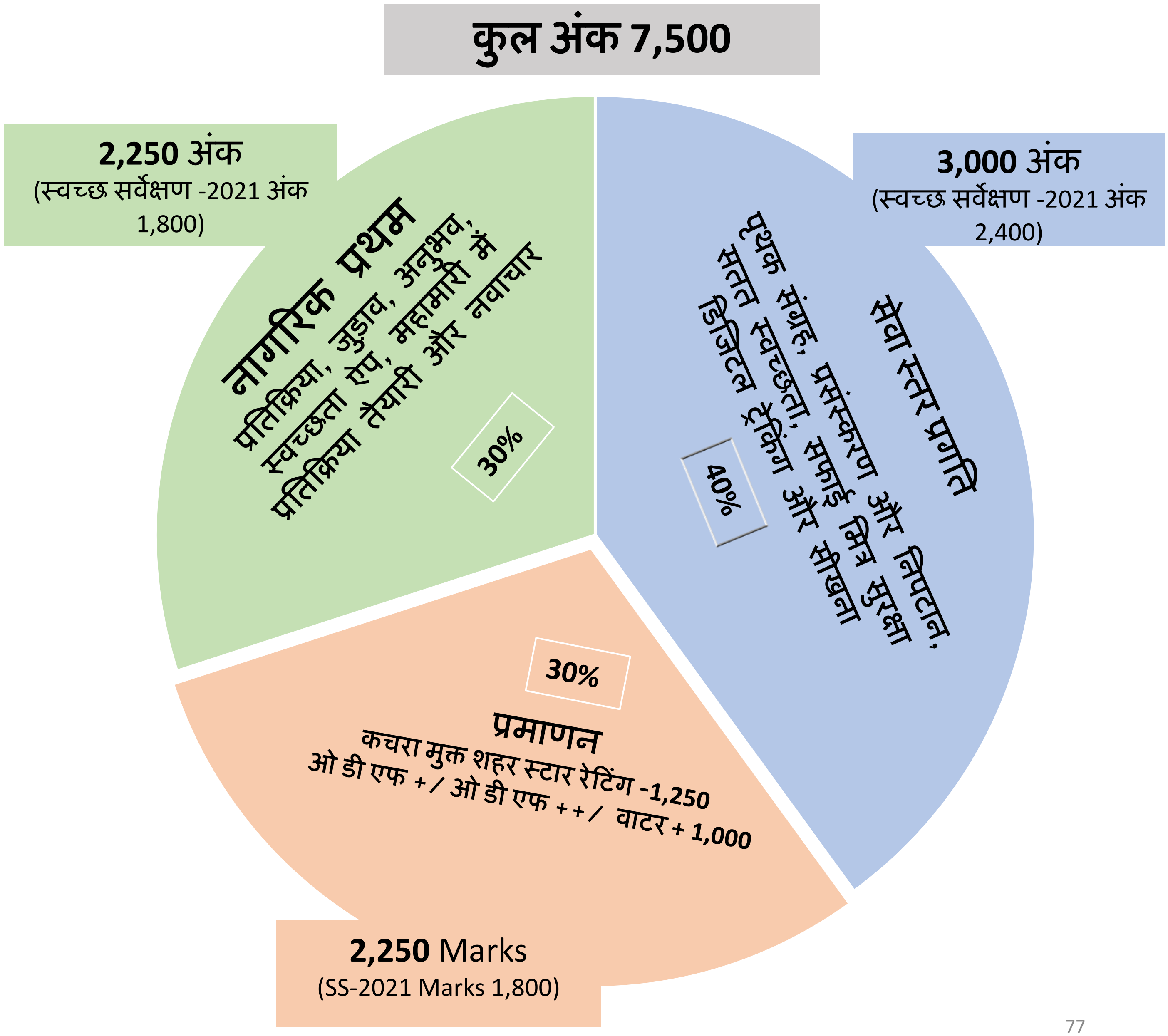

# प्रमाणन : 2,250 / 7,500 अंक

**कचरा मुक्त शहर प्रमाणन की स्थिति**
(31.01.2022 को )

| अंक योजना | अंक |
|---|---|
| **7 स्टार शहर** (वाटर**+** अनिवार्य)प्रमाणित | **1,250** |
| **5 स्टार शहर** (ओडीएफ**++** अनिवार्य) प्रमाणित | **1,000** |
| **3 स्टार शहर** (ओडीएफ**++** अनिवार्य) प्रमाणित | **800** |
| **1 स्टार शहर** (ओडीएफ**+** अनिवार्य) प्रमाणित | **500** |

**खुले में शौच से मुक्ति प्रमाणन की स्थिति**
(31.01.2022 को )

| अंक योजना | अंक |
|---|---|
| वाटर**+** शहर | **1,000** |
| ओडीएफ ++ प्रमाणित शहर | **800** |
| ओडीएफ + प्रमाणित शहर | 400 |

**नोट :**

1. मौजूदा प्रमाणपत्र 2020 की प्रगति/अनुरोधों पर आधारित हैं। एसएस-2022 के लिए नए आवेदन/प्रमाणन की आवश्यकता है।

रेंकिंग के लिए विभिन्न लेंसों का उपयोग – स्वच्छ **सर्वेक्षण , स्टार रेटिंग और ओडीएफ** तीनो का स्वतंत्र अवलोकन

# सिटीजन वॉइस

**सिटीजन वॉइस : 2,250 / 7,500 Marks**

**कुल इंडिकेटर : 31**

**कुल अंक 7,500**

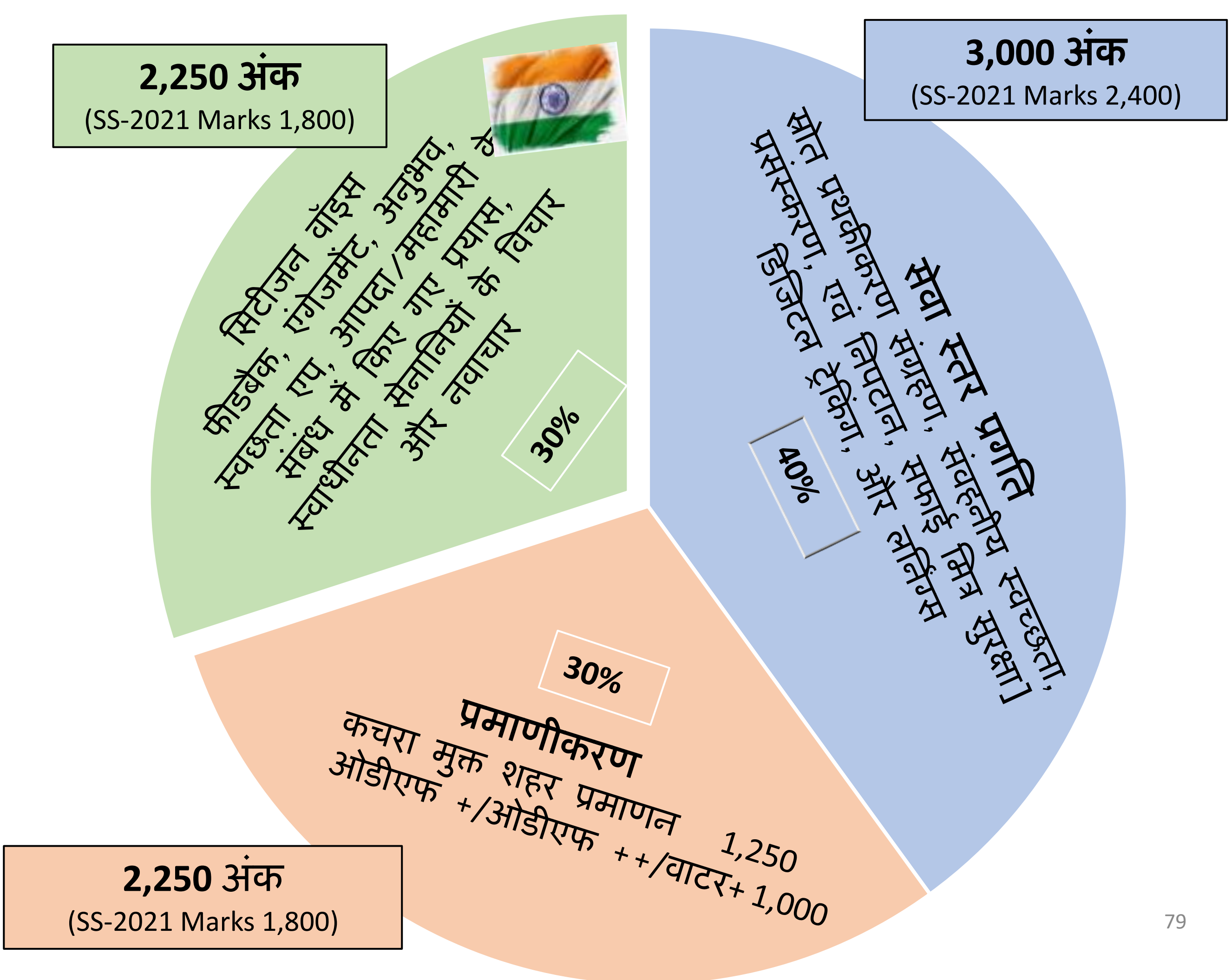

# सिटीजन वॉइस

# नागरिक सर्वप्रथम

# सिटीजन फीडबैक – 600/2,250 Marks

सिटीजन फीडबैक को दिनांक 01 जनवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 तक संग्रह किया जाएगा।

- 10 सवाल होंगे।
- इनमें से कोई भी 04 सवाल पुछे जा सकते हैं।
- सवालों का क्रम कोई भी हो सकता है

## सिटीजन फीडबैक को प्राप्त करने के 6 तरीके

समक्ष में

MyGov

Vote For Your City

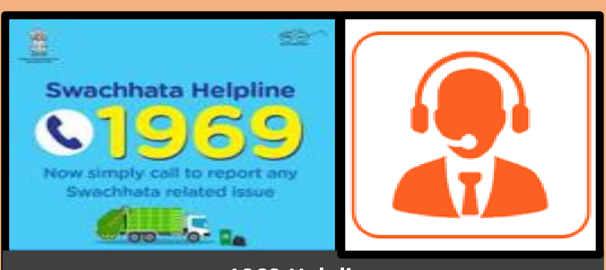


1969 Helpline

QR Code Based Feedback

SS2022 Portal

SwachhataApp



One Citizen One Feedback

आज़ादी का अमृत महोत्सव

A

# Citizen Feedback

**युवाओं (15 – 29 वर्ष) से प्राप्त फीडबैक के आधार पर 50% वेटेज दिया जाएगा।**

कोई भी 4 प्रश्न X 50 अंक प्रत्येक = कुल 200 अंक

1. क्या आपके घर से प्रतिदिन कचरा संग्रहण किया जाता है। **(Yes/No)**

2. क्या आपके द्वारा कचरा संग्राहक को सूखा व गीला कचरा अलग अलग करके देते हैं। ? **(Yes/No)**

3. क्या आप जानते हैं कि आपके नजदीक का स्वच्छ शौचालय सर्च करने के लिए आप गूगल टॉयलेट लोकेटर का प्रयोग कर सकते हैं। **(Yes/No)**

4. क्या आपने स्वच्छता संबंधी षिकायतों के निराकरण हेतु स्वच्छता एप या कोई अन्य एप डाउनलोड किया है। **(No/Yes)**

5. क्या आप अपना आस पड़ोस हमेषा साफ पाते हैं। ? **(No/Yes)**

6. क्या आप होम कंपोस्टिंग के बारे में जानते हैं।? **(No/Yes)**

7. क्या आप जानते हैं कि पुराने व टूटे खिलौने, किताबें, कपड़े जूते आदि रिसाइकल और रियाज किए जा सकते हैं ? **(No/Yes)**

8 क्या आप जानते हैं कि आपका शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में भागीदारी कर रहा हे।? **(Yes/No)**

9. क्या आप जानते हैं कि खुले में मूत्र विसर्जन से बने हुए यलो स्पॉट को बदला गया है। ? **(Yes/No)**

10. क्या कोविड 19 प्रभावित परिवारों से पृथक से कचरा संग्रहण किया जा रहा है।? **(Yes/No)**

# B Citizen Feedback

60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों से पूछे जाने वाले चार सवालों से कुल 160 अंक प्राप्त होंगे। कुल अंक 400

## 1 4 प्रश्न ठोस अपशिष्ट प्रबंधन : 4x40 = कुल 160 अंक

इसके अंतर्गत स्वच्छ भारत मिषन के पूर्व की स्थितियों से तुलनात्मक अनुभवों को प्राप्त किया जाएगा।

i. क्या आप अपने शहर को पहले की तुलना में अधिक साफ पाते हैं

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | 40 अंक | Partially | 20 अंक | No | 0 अंक |

ii. क्या नगरीय निकाय द्वारा घरों से कचरा संग्रहण व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं?

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | 40 अंक | Partially | 20 अंक | No | 0 अंक |

iii. क्या आप अपने घर से कचरा संग्राहक हो अलग अलग देते हैं।?

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Always | 40 अंक | Only when asked | 20 अंक | No | 0 अंक |

iv. क्या आप लोगों के व्यवहार में कचरे के जिम्मेदार प्रबंधन के प्रति बदलाव को देख सकते हैं। ?

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | 40 अंक | Partially | 20 अंक | No | 0 अंक |

# B Citizen Feedback

60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों से पूछे जाने वाले चार सवालों से कुल 160 अंक प्राप्त होंगे। कुल अंक 160

## 2 4 प्रश्न – ठोस अपशिष्ट प्रबंधन : 4x40 = कुल अंक 160

इसके अंतर्गत स्वच्छ भारत मिषन के पूर्व की स्थितियों से तुलनात्मक अनुभवों को प्राप्त किया जाएगा।

**i.** क्या आप खुले में शौच या यूरिनेषन के प्रति नागरिकों को अधिक संवेदनषील पाते हैं। ?

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | 40 अंक | Partially | 20 अंक | No | 0 अंक |

ii. क्या आप पहले की तुलना में सार्वजनिक शौचालयों को अधिक उपयोगी और साफ पाते हैं।?

| | | | |
|---|---|---|---|
| Yes | 40 अंक | No | 0 अंक |

iii. क्या आप सेप्टिक टैंक, सीवर लाइन आदि की समस्याओं को प्राथमिकता से समाधान होना पाते हैं। हां 40 अंक, आंषिक?

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Always | 40 अंक | Sometimes | 20 अंक | Never | 0 अंक |

iv. क्या आप सेप्टिक टैंक, सीवर लाइन आदि की सफाई करते हुए सफाई कर्मियों को सुरक्षा उपकरणों के साथ करते हुए देखते हैं। ?

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Always | 40 अंक | Sometimes | 20 अंक | Never | 0 अंक |

B

# Citizen Feedback

वरिष्ठ नागरिकों से स्वच्छता जागरूकता पर निम्न 04 सवाल पूछे जाएंगे, जो प्रत्येक 20 अंकों का होगा कुल अंक 80

3

## 4 प्रश्न जन जागरूकता : 4x20 = कुल अंक 80

इसके अंतर्गत स्वच्छ भारत मिषन के पूर्व की स्थितियों से तुलनात्मक अनुभवों को प्राप्त किया जाएगा।

**i.** क्या आप पहले की तुलना में अपने शहर में स्वच्छता के संदेषों को अधिक पाते हैं। हां �20 अंक�, आंषिक �10 अंक� नहीं?

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | 20 अंक | Partially | 10 अंक | No | 0 अंक |

ii. क्या आप स्वयं को पहले की तुलना में उत्तम स्वच्छता व्यवहारों के संबंध में अपने निकाय से अधिक एंगेज पाते हैं। ?

| | | | |
|---|---|---|---|
| Yes | 20 अंक | No | 0 अंक |

iii. क्या आप नागरिकों को सब्जी आदि खरीदने के लिए कपड़े का थैला साथ में ले जाते हुए देखते हैं। ?

| | | | |
|---|---|---|---|
| Yes | 20 अंक | No | 0 अंक |

iv. क्या आप देख पाते हैं कि दुकानदार/वेंडर पॉलीथीन रखने या देने को पहले की तुलना में अधिक सख्ती से पालन कर रहे है?

| | | | |
|---|---|---|---|
| Yes | 20 अंक | No | 0 अंक |

# सिटीजन एंगेजमेंट

## कुल इंडिकेटर - 12

## 550 / 2,250 अंक

**प्लीज नोट :**

प्रगति को MIS के माध्यम से दावा किया जाए। (इस घटक के अंतर्गत कुल 12 इंडीकेटर्स में 550 अंकों को शामिल किया गया है। यहां मुख्य रूप से समझने वाली बात है कि इंडीकेटर 11 एवं 12 को छोड़कर सभी की प्रगति एमआईएस, स्वच्छ मंच एवं अन्य सोषल मीडिया प्लेटफार्म पर अपलोड करना अनिवार्य है। इस समस्त प्रगति को माह जनवरी 2022 से प्रस्तावित जमीनी सत्यापन की प्रक्रिया में जांचा-परखा जाएगा।

# सिटीजन एंगेजमेंट

**अंक 160**

**1. स्वाधीनता सेनानियों को सम्मान :** इनसे संबन्धित सभी स्मारकों/ पार्कों को साफ करें और उनका उचित रखरखाव अवसीय संघों, नागरिक समूहों और नागरिकों को करना है।
(*निकाय के परिक्षेत्र में सभी)

शहरों के पार्क, चौराहों व अन्य स्थलों पर भारत के स्वाधीनता संघर्ष में शामिल सेनानियों के सम्मान में उनके प्रतिमाएं लगाई हुई हैं। इस घटक में यह सुनिष्चित किया जाएगा कि नगर के अंतर्गत उक्तानुसार स्थापित समस्त प्रतिमाओं को साफ रखा जाए एवं उनका विधिवत रखरखाव भी किया जाए। इस प्रकार के पार्क और प्रतिमाओं की स्वच्छता के लिए आयोजित अभियानों/गतिविधियों में नागरिकों/समूहों/आवासीय संघों आदि की सहभागिता अपेक्षित है। सभी का रखरखाव 15 जनवरी के पूर्व किए जाना है

| सफाई के लिए अंक निर्धारण | निर्धारित अंक | रखरखाव के लिए अंक निर्धारण | निर्धारित अंक |
|---|---|---|---|
| 100 प्रतिषत प्रतिमाएं/पार्क साफ हैं | 50 | 100% प्रतिमाएं/पार्क का रखरखाव किया जा रहा है। | 50 |
| 75 प्रतिषत प्रतिमाएं/पार्क साफ हैं | 40 | 75% प्रतिमाएं/पार्क का रखरखाव किया जा रहा है। | 40 |
| 50 प्रतिषत प्रतिमाएं/पार्क साफ हैं | 30 | 50% प्रतिमाएं/पार्क का रखरखाव किया जा रहा है। | 30 |
| 25% प्रतिषत प्रतिमाएं/पार्क साफ हैं | 20 | 25% प्रतिमाएं/पार्क का रखरखाव किया जा रहा है। | 20 |

| अंकों की योजना स्थिरता | अंक |
|---|---|
| 100% प्रतिमाएं/पार्क CSR या अवसीय संघों के माध्यम से संधारित किए जाते हैं | 60 |
| 75% प्रतिमाएं/पार्क CSR या अवसीय संघों के माध्यम से संधारित किए जाते हैं | 50 |
| 50% प्रतिमाएं/पार्क CSR या अवसीय संघों के माध्यम से संधारित किए जाते हैं | 40 |
| 25% प्रतिमाएं/पार्क CSR या अवसीय संघों के माध्यम से संधारित किए जाते हैं | 30 |

**नोट:**

- सभी जागरूकता गतिविधियों की सूची, उनका कवरेज, दिनांक, आदि समस्त जानकारी एसबीएम पोर्टल, स्वच्छ मंच और निकाय के फेसबुक पेज पर अपलोड होना अनिवार्य है।
- उक्त के अलावा इस कार्य में शामिल सभी नागरिकों/नागरिक समूहों/आवासीय संघों/सीएसआर की जानकारी होना अनिवार्य है। अगर उक्त स्मारक के रखरखाव के लिए इन संस्थाओं के साथ कोई अनुबंध है तो उसे भी प्रस्तुत करना होगा।
- यह सूची जमीनी सत्यापन के लिए भी आवष्यक होगी, जिसमें सत्यापन में 50 प्रतिषत अवलोकन और 50 प्रतिषत नागरिकों से पूछकर सत्यापित किया जाएगा।
- निकाय द्वारा किए गए दावों का परीक्षण अवलोकन और रेंडम आधार पर किसी भी नागरिक से प्रत्यक्ष चर्चा करके भी किया जाएगा।

# सिटीजन एंगेजमेंट

**अंक 50**

2 आत्मनिर्भर वार्ड : निकाय में कम से कम एक आत्मनिर्भर वार्ड ऐसा हो जिसमें सभी आवासीय संघों द्वारा गीले कचरे का प्रसंस्करण संग्रहण जीरो हो रहा हो अथवा निकाय द्वारा आत्मनिर्भर वार्ड जीरो वेट वेस्ट वार्ड घोषित किया गया हो।

इस प्रकार के वार्डों को बनाने में नागरिकों का विषेष योगदान है, वे अपने क्षेत्र में गीले कचरे के प्रसंस्करण के लिए प्रसंस्करण सुविधाओं का विकास कर सकते हैं। इस प्रकार वार्डों/आवासीय संघों में गीले कचरे के प्रसंस्करण सुविधाओं का विकास करने वाली आवासीय संघों द्वारा संचालित जागरूकता अभियानों/बैठकों और स्थापित गीले कचरे की सुविधाओं सभी जागरूकता गतिविधियों की सूची, उनका कवरेज, दिनांक, आदि समस्त जानकारी एसबीएम पोर्टल, स्वच्छ मंच और निकाय के फेसबुक पेज पर 15 जनवरी 2022 के पूर्व तक अपलोड होना अनिवार्य है।

| अंक गणना | जनसंख्या | |
|---|---|---|
| | <1 L Cities | >1 L Cities |
| कम से कम एक वार्ड आत्मनिर्भर | 50 | NA |
| **कम से कम एक आत्मनिर्भर वार्ड में 100 % आवासीय संघ** | 40 | 50 |
| **कम से कम एक आत्मनिर्भर वार्ड में 75 % आवासीय संघ** | 30 | 40 |
| **कम से कम एक आत्मनिर्भर वार्ड में 50 % आवासीय संघ** | 20 | 30 |
| **कम से कम एक आत्मनिर्भर वार्ड में 25 % आवासीय संघ** | 10 | 20 |

| Mandatory conditions |
|---|
| 100% घर अपने गीला, सूखा, घरेलू हानिकारक अपशिष्ट को अलग-अलग करते रहे हैं |
| 100% गीले कचरे को वार्ड या आरडब्ल्यूए के द्वारा प्रसंस्करण किया जाता है - जो भी दावा किया जाता है/लागू होता है |
| 100% सूखा कचरा एमआरएफ/प्रसंस्करण सुविधाओं को भेजा जाता है या वार्ड/आरडब्ल्यूए के भीतर पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। |
| उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी पालन न करना |

**नोट:**

- सभी जागरूकता गतिविधियों की सूची, उनका कवरेज, दिनांक, आदि समस्त जानकारी एसबीएम पोर्टल, स्वच्छ मंच और निकाय के फेसबुक पेज पर अपलोड होना अनिवार्य है।
- उक्त के अलावा इस कार्य में शामिल सभी नागरिकों/नागरिक समूहों/आवासीय संघों/सीएसआर की जानकारी होना अनिवार्य है। अगर उक्त स्मारक के रखरखाव के लिए इन संस्थाओं के साथ कोई अनुबंध है तो उसे भी प्रस्तुत करना होगा।
- यह सूची जमीनी सत्यापन के लिए भी आवष्यक होगी, जिसमें सत्यापन में 50 प्रतिषत अवलोकन और 50 प्रतिषत नागरिकों से पूछकर सत्यापित किया जाएगा।
- निकाय द्वारा किए गए दावों का परीक्षण अवलोकन और रेंडम आधार पर किसी भी नागरिक से प्रत्यक्ष चर्चा करके भी किया जाएगा।

· वार्ड सभी आरडब्ल्यूए और अन्य कॉलोनियों को कवर करेगा जहां आरडब्ल्यूए उपलब्ध नहीं हैं

# सिटीजन एंगेजमेंट

**अंक 40**

**3.वोकल फॉर लोकल 'ब्रांड एंबेसडर' - क्या निकाय ने शहर के कलाकार/डॉक्टर/शिक्षक/धार्मिक नेता/खिलाड़ी या किसी प्रभावशाली व्यक्ति को स्वच्छ सर्वेक्षण -2022 के लिए अपने ब्रांड एंबेसडर के रूप में पहचाना और बनाया है?**

शहरों से अपेक्षा की जाती है कि वे 15 अक्टूबर 2021 तक विभिन्न पृष्ठभूमि के स्थानीय प्रभावशाली नागरिकों की पहचान करें और उन्हें अपना ब्रांड एंबेसडर बनाएं - जिसमें ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं।

| अंक योजना | अंक - 40 |
|---|---|
| हां - चयनित किए गए ब्रांड एंबेसडर ने अपनी भूमिका निभाई | 40 |
| नहीं | 0 |

**अनिवार्य शर्तें :**
- >10 लाख आबादी वाले शहर: न्यूनतम 3 ब्रांड एंबेसडर
- 1-10 लाख आबादी वाले शहर: न्यूनतम 2 ब्रांड एंबेसडर
- <1 लाख आबादी वाले शहर: न्यूनतम 1 ब्रांड एंबेसडर

ब्रांड एंबेसडर द्वारा की जाने वाली प्रमुख गतिविधियाँ (अक्टूबर 2021-जनवरी 2022):
- मासिक कार्य योजना तैयार करने के लिए निकाय के अधिकारियों के साथ मासिक बैठक।
- सभी वार्डों के नागरिकों के साथ कम से कम दो बैठकें - नागरिकों के व्यवहार में आ रहे बदलाव के लिए पूछना
- उदाहरण के लिए स्रोत पृथककरण का अभ्यास , होम कंपोस्टिंग करना, जीटीएल का उपयोग करना, स्वच्छता ऐप, सीटी / पीटी की प्रतिक्रिया देना, 3 आर सिद्धांतों को बढ़ावा देना आदि।

**Note:**
1. चयनित ब्रांड एम्बेसेडर के विवरण का रिकॉर्ड रखा जाना है|
2. ब्रांड एम्बेसेडर के कार्यों का मूल्यांकन नागरिकों से कॉल के माध्यम से किया जाएगा | अधिकांश सकारात्मक प्रतिक्रिया निकाय को 50 अंक देगी।

# सिटीजन एंगेजमेंट

**अंक 40**

4. क्या निकाय ने अक्टूबर 2021 से जनवरी 2022 के दौरान स्टार्ट-अप्स, उद्यमियों/उद्योगों, धार्मिक/सांस्कृतिक संस्थानों, और स्वैच्छिक संगठनों/अन्य नागरिक समाजों को एसबीएम में उनके काम/योगदान के लिए प्रोत्साहन और मान्यता दी है? निकाय को प्रत्येक श्रेणी को संक्षेप में दस्तावेज करने की आवश्यकता है जिसे विवरण के साथ लिखना है और स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 पोर्टल, स्वच्छ मंच,निकाय के सोशल मीडिया पेज और निकाय के फेसबुक पेज पर 15 जनवरी 2022 तक अपलोड करना (शहर का नाम और प्रविष्टियों के लिए निकाय का कोड अनिवार्य है))

| अंक योजना – >1 लाख जनसंख्या के लिए | अंक योजना - <1 लाख जनसंख्या के लिए | अंक 40 |
|---|---|---|
| हाँ ,4 श्रेणियों मे नामित | हाँ , केवल 2 श्रेणियों मे | 40 |
| हाँ , केवल 3 श्रेणियों मे | हाँ , केवल 1 श्रेणियों मे | 30 |
| हाँ , केवल 2 श्रेणियों मे | | 20 |
| हाँ , केवल 1 श्रेणियों मे | | 10 |
| किसी भी श्रेणी मे नहीं | | 0 |

**Note:**

1. निकाय को एसबीएम पोर्टल, स्वच्छ मंच और निकाय के फेसबुक पेज पर किए गए कार्यों का वर्णन करने वाले फोटो और एक पेज नोट के साथ लोगों/संगठनों और संपर्क विवरण की सूची को अपलोड करना होगा
2. इन प्रविष्टियों का उपयोग ऑन-फील्ड सत्यापन के लिए भी किया जाएगा
3. संपर्क विवरण के आधार पर इन लोगों को यह समझने के लिए बुलाया जाएगा कि क्या प्रदान किया गया विवरण मेल खा रहा है।
4. 1 लाख से अधिक के लिए प्रत्येक श्रेणी में यादृच्छिक(रेंडम) रूप से 5 नमूने और <1 लाख आबादी वाले शहरों के लिए प्रत्येक श्रेणी में 3 नमूने लिए जाएंगे।

# सिटीजन एंगेजमेंट

**अंक 70**

**5. स्वच्छ नवीन प्रौद्योगिकी चुनौती: क्या निकाय ने ठोस/गीला अपशिष्ट प्रबंधन या ठोस/ गीला अपशिष्ट प्रबंधन की वास्तविक समय निगरानी में समाधान के लिए नागरिकों, गैर सरकारी संगठनों और किसी अन्य नागरिक समूह से प्रविष्टियों को आमंत्रित कर स्वच्छ नवीन प्रौद्योगिकी चुनौती आयोजित करने की सुविधा प्रदान की है या सार्वजनिक शिकायतों के वास्तविक समय मे समाधान का प्रबंधन करने के लिए कोई भी ऐप या शहर को कुशल एसबीएम संचालन में मदद करने वाला कोई अन्य समाधान उपलब्ध है ?**

- यह संकेतक खुली चुनौती के माध्यम से समाधान खोजने में नागरिकों/गैर सरकारी संगठनों को शामिल करने के निकाय के प्रयासों का आकलन करेगा। MoHUA चेलेंज का डिजाइन और संचालन करेगा। चेलेंज को 30 नवंबर 2021 तक पूरा किया जाना चाहिए और परिणाम 15 दिसंबर 2021 तक घोषित किया जाना चाहिए। चेलेंज जीतने पर कारण / औचित्य के साथ जीतने वाली प्रविष्टियों के साथ प्रविष्टियों का विवरण रिपोर्ट किया जाना चाहिए। विजयी समाधान, सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

| अंक योजना | अंक 70 |
|---|---|
| हाँ , स्वच्छ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी चैलेंज आयोजित किया गया और रिकॉर्ड प्रबंधित किया गया | 70 |
| आयोजित नहीं किया गया | 0 |

**नोट :**

1. चुनौती मे सम्मिलित सभी नागरिकों की जानकारी (संपर्क विवरण ) और उनके द्वारा प्रस्तुत समाधान संबंधी दस्तावेज़ प्रबंधित किए गए और अपलोड किए गए
2. विजयी हुए समाधान का विवरण मय तर्क दिया जाना चाहिए.

# सिटीजन एंगेजमेंट

**अंक 25**

**6. स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 जिंगल, फिल्म, पोस्टर/ड्राइंग, भित्ति चित्र और नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता (कोई आयु सीमा नहीं) 30 नवंबर 2021 तक और 15 दिसंबर 2021 तक जीतने वाली प्रविष्टियों को पुरस्कार - प्रतियोगिता और विजेता प्रविष्टि के लिए निकाय वार प्रविष्टियां अपलोड की जानी हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 पोर्टल, स्वच्छ मंच, निकाय के सोशल मीडिया पेज और निकाय के फेसबुक पेज पर (मोबाइल फोन से शूट/रिकॉर्ड की जाने वाली फिल्में/गीत... लघु फिल्मों/गीतों के लिए उपलब्ध ऐप्स का भी उपयोग किया जा सकता है) (शहर का नाम) और प्रविष्टियों के लिए निकाय कोड अनिवार्य) एसएस-2021 के तहत पहले से प्रस्तुत गीतों पर विचार नहीं किया जाएगा।**

| अंक योजना | अंक 25 |
|---|---|
| • हाँ, कट-ऑफ दिनांक 30 नवंबर और 15 दिसंबर 2021 के अनुसार सभी 5 के लिए प्रविष्टियां और परिणाम अपलोड किए गए | 25 |
| • हाँ, कट-ऑफ दिनांक 30 नवंबर और 15 दिसंबर 2021 के अनुसार केवल 4 के लिए प्रविष्टियां और परिणाम अपलोड किए गए | 20 |
| • हाँ, कट-ऑफ दिनांक 30 नवंबर और 15 दिसंबर 2021 के अनुसार केवल 3 के लिए प्रविष्टियां और परिणाम अपलोड किए गए | 15 |
| • हाँ, कट-ऑफ दिनांक 30 नवंबर और 15 दिसंबर 2021 के अनुसार केवल 2 के लिए प्रविष्टियां और परिणाम अपलोड किए गए | 10 |

**Note:**

1. निकाय को एसबीएम पोर्टल, स्वच्छ मंच और निकाय के फेसबुक पेज पर किए गए कार्यों का वर्णन करने वाले फोटो और एक पेज नोट के साथ लोगों/संगठनों और संपर्क विवरण की सूची को अपलोड करना होगा
2. *प्रत्येक श्रेणी में >10 लाख जनसंख्या से न्यूनतम 20 प्रविष्टियां, 3 लाख-10 लाख जनसंख्या से 15 प्रविष्टियां, 1 लाख-3 लाख जनसंख्या से 10 प्रविष्टियां, 50 हजार से 1 लाख जनसंख्या 5 प्रविष्टियां और <50 हजार जनसंख्या के लिए 3 प्रविष्टियां।
3. इन प्रविष्टियों का उपयोग सत्यापन के लिए भी किया जाएगा। संपर्क विवरण के आधार पर, इन लोगों को यह समझने के लिए बुलाया जाएगा कि क्या दावा की गई प्रगति मेल खा रही है।
4. 1 लाख से अधिक के लिए प्रत्येक श्रेणी में यादृच्छिक रूप(रैंडम आधार पर ) से 5 नमूने और <1 लाख आबादी वाले शहरों के लिए प्रत्येक श्रेणी में 3 नमूने लिए जाएंगे।

# सिटीजन एंगेजमेंट

**अंक 25**

**7. निकाय द्वारा नागरिकों के जीवन पर स्वच्छ भारत मिशन के प्रभावों की पहचान की गई है और प्रत्येक प्रभाव को चित्रों के साथ अद्यतन किया गया है और स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 पोर्टल, स्वच्छ मंच, निकाय के सोशल मीडिया पेज और फेसबुक पेज पर एक पेज नोट (अधिकतम 250 शब्द) अपलोड किया है। निकाय - इन प्रभावों को केवल नागरिकों से 15 दिसंबर 2021 प्राप्त करेगा। (प्रविष्टियों के लिए शहर का नाम और निकाय कोड अनिवार्य)**

**प्रभावों की सांकेतिक सूची: स्वच्छ पड़ोस, लिंग विशिष्ट पहल, स्वास्थ्य, आजीविका, वायु प्रदूषण, उद्योग, स्टार्ट-अप, शासन में नागरिक जुड़ाव या कोई अन्य प्रभाव**

| **अंक योजना –** >1 लाख जनसंख्या के लिए | **अंक योजना -** <1 लाख जनसंख्या के लिए | **अंक 25** |
|---|---|---|
| हां, कम से कम 5 प्रभावों की पहचान की गई | हां, कम से कम 3 प्रभावों की पहचान की गई | 25 |
| हां, कम से कम 4 प्रभावों की पहचान की गई | हां, कम से कम 2 प्रभावों की पहचान की गई | 20 |
| हां, कम से कम 3 प्रभावों की पहचान की गई | हां, कम से कम 1 प्रभावों की पहचान की गई | 15 |
| हां, कम से कम 2 प्रभावों की पहचान की गई | | 10 |
| हां, कम से कम 1 प्रभावों की पहचान की गई | | 0 |

**नोट :**

1. निकाय को एसबीएम पोर्टल, स्वच्छ मंच और निकाय के फेसबुक पेज पर किए गए कार्यों का वर्णन करने वाले फोटो और एक पेज नोट के साथ लोगों/संगठनों और संपर्क विवरण की सूची को अपलोड करना होगा (अधिकतम 50 शब्द)
2. >10 लाख जनसंख्या से न्यूनतम 30 प्रविष्टियां, 3 लाख -10 लाख जनसंख्या से 25 प्रविष्टियां, 1 लाख -3 लाख जनसंख्या से 20 प्रविष्टियां, 50 हजार से 1 लाख जनसंख्या से 15 प्रविष्टियां और <50 हजार जनसंख्या के लिए 10 प्रविष्टियां
3. इन प्रविष्टियों का उपयोग ऑन-कॉल सत्यापन के लिए भी किया जाएगा। संपर्क विवरण के आधार पर, इन लोगों को यह समझने के लिए बुलाया जाएगा कि क्या किया गया दावा, प्रभाव से मेल खा रहा है। गलत संपर्क विवरण गैर-अनुपालन माना जाएगा.
4. 1 लाख से अधिक के लिए प्रत्येक श्रेणी में यादृच्छिक रूप से (रेंडम आधार पर ) 5 नमूने और <1 लाख आबादी वाले शहरों के लिए प्रत्येक श्रेणी में 3 नमूने लिए जाएंगे।

# सिटीजन एंगेजमेंट

## अंक 30

**8. निकाय में 'स्वच्छ परिवर्तन' चलाने वाले चैंपियन - पुरुष* और महिला* की पहचान और मान्यता – निकाय स्टाफ/स्वच्छता कर्मियों, वार्ड पार्षद, सीएसआर लीड, एनजीओ, एसएचजी आदि के बीच से 15 दिसंबर 2021 तक लोगों की पहचान किया जाना है ( स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 पोर्टल, स्वच्छ मंच, यूएलबी के सोशल मीडिया पेज और निकाय के फेसबुक पेज पर अपलोड किया जाना है। (प्रविष्टियों के लिए शहर का नाम और यूएलबी कोड अनिवार्य)।**

यह प्रोत्साहन (मान्यता ) केवल 1 अप्रैल 2021 से 30 नवंबर 2021 के बीच प्रदर्शन के लिए दी जाएगी।

| >10 लाख आबादी के लिए अंक योजना | 1-10 लाख आबादी के लिए अंक योजना | अंक |
|---|---|---|
| हाँ, कम से कम 10 पुरुषों और 10 महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया | हाँ, कम से कम 5 पुरुषों और 5 महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया | 30 |
| हाँ, कम से कम 8 पुरुषों और 8 महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया | हाँ, कम से कम 4 पुरुषों और 4 महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया | 25 |
| हाँ, कम से कम 6 पुरुषों और 6 महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया | हाँ, कम से कम 3 पुरुषों और 3 महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया | 20 |
| हाँ, कम से कम 4 पुरुषों और 4 महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया | हाँ, कम से कम 2 पुरुषों और 2 महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया | 15 |
| हाँ, कम से कम 2 पुरुषों और 2 महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया | हाँ, कम से कम 1 पुरुषों और 1 महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया | 10 |

**नोट :**

1. निकाय को एसबीएम पोर्टल, स्वच्छ मंच और निकाय के फेसबुक पेज पर किए गए कार्यों का वर्णन करने वाले फोटो और एक पेज नोट के साथ लोगों/संगठनों और संपर्क विवरण की सूची को अपलोड करना होगा (अधिकतम 50 शब्द)
2. *10 लाख आबादी से न्यूनतम 30 (15 पुरुष और 15 महिलाएं) प्रविष्टियां, 3 लाख -10 लाख आबादी से 25 प्रविष्टियां, 1 लाख -3 लाख आबादी से 20 प्रविष्टियां, 50 हजार से 1 लाख आबादी 15 प्रविष्टियां और <50 हजार आबादी के लिए 10 प्रविष्टियां
3. इन प्रविष्टियों का उपयोग ऑन-कॉल सत्यापन के लिए भी किया जाएगा। संपर्क विवरण के आधार पर इन लोगों को यह समझने के लिए बुलाया जाएगा कि क्या प्रदान किया गया विवरण मेल खा रहा है।
4. प्रत्येक श्रेणी में यादृच्छिक रूप से 7 नमूने > 10 लाख प्रत्येक श्रेणी में, 5 नमूने 1-10 लाख के लिए और प्रत्येक श्रेणी में 3 नमूने <1 लाख आबादी वाले शहरों के लिए चुने जाने हैं

# सिटिज़न एंगेजमेंट

अंक 30

**9. क्या सभी होटलों, स्कूलों, अस्पतालों (स्वास्थ्य सुविधा), आरडब्ल्यूए/मोहल्लों, सरकारी कार्यालयों और मार्केट एसोसिएशन के मूल्यांकन को शामिल करते हुए स्वच्छ वार्ड की रैंकिंग की गई - परिणाम स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 पोर्टल, स्वच्छ मंच,निकाय के सोशल मीडिया और फेसबुक के पेज पर 15 जनवरी 2022 तक अपलोड किए जाएंगे।**

शहर के मेयर/अध्यक्ष स्वच्छ वार्ड प्रक्रिया की निगरानी और विभिन्न पुरस्कार श्रेणियों में वार्डों को पुरस्कार सौंपने में जुड़े हुए है |

| अंक योजना | अंक |
|---|---|
| नवंबर-जनवरी 2022 तिमाही के लिए आयोजित स्वच्छ वार्ड रैंकिंग | 30 |

**Note:**

1. शीर्ष -3 विजेताओं की सूची व फोटो एसबीएम पोर्टल, स्वच्छ मंच और यूएलबी के फेसबुक पेज पर अपलोड की गई
2. प्रत्येक श्रेणी में >10 लाख जनसंख्या से न्यूनतम 30 प्रविष्टियां, 3 लाख-10 लाख जनसंख्या से 25 प्रविष्टियां, 1 लाख-3 लाख जनसंख्या से 20 प्रविष्टियां, 50 हजार से 1 लाख जनसंख्या 15 प्रविष्टियां और <50 हजार जनसंख्या के लिए 10 प्रविष्टियां। सूची संलग्न की जानी है। ऑन-फील्ड सत्यापन के दौरान किन्हीं 5 प्रविष्टियों की जांच की जानी चाहिए।
3. प्रत्येक श्रेणी में यादृच्छिक रूप से (Ramdomly) 7 नमूने > 10 लाख, प्रत्येक श्रेणी में 5 नमूने 1-10 लाख और प्रत्येक श्रेणी में 3 नमूने <1 लाख आबादी वाले शहरों के लिए चुने जाने हैं

# सिटिज़न एंगेजमेंट

**अंक 30**

**10. जीरो अपशिष्ट शादियों/कार्यक्रमों/सामाजिक या धार्मिक कार्य:** शहर/नागरिक से दिसंबर 2021-जनवरी 2022 के बीच कम से कम एक ज़ीरो अपशिष्ट कार्यों का प्रबंधन किया जाना चाहिए, जिसमें स्थान से शून्य कचरा निकलता है|

**नोट: जीरो वेस्ट इवेंट के लिए MoHUA द्वारा बनाया गया SOP संदर्भित किया जाना है**

| अंक योजना | अंक |
|---|---|
| कम से कम एक शून्य / ज़ीरो अपशिष्ट समारोह आयोजित किया जाता है | 30 |
| आयोजित नहीं किया गया | 0 |

**नोट:**

1. जीरो वेस्ट फंक्शन/ समारोह के चित्र, दस्तावेज़ इत्यादि प्रस्तुत करने होंगे तभी यह समारोह जीरो वेस्ट के रूप में मान्य किया जागा|
2. आयोजकों का विवरण, ऑन-कॉल सत्यापन के लिए प्रदान करना होगा|

# सिटिज़न एंगेजमेंट-
# प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से

**अंक 25**

**11. क्या सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय पर मंत्रालय या निकाय द्वारा बनाए गए एसबीएम संदेशों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जा रहा है जो की सार्वजनिक-सामुदायिक शौचालयों के उपयोग को दर्शाता हो जिसमें स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 का Logo भी हो?**
**(शहरों को सलाह दी जाती है कि वे आईईसी के लिए प्लास्टिक का उपयोग अंक प्राप्त करने के लिए न करें)**

शहरी स्थानीय निकायों से अपेक्षा की जाती है कि वे नागरिकों को सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के उपयोग के बारे में स्पष्ट संदेश दें। एसबीएम संदेशों के साथ सीटी/पीटी की सूची उपलब्ध कराई जानी चाहिए। **आईईसी सामग्री को लिंग-संवेदनशील और समावेशी तरीके से बनाया जाना चाहिए**

| अंक योजना | अंक |
|---|---|
| एसबीएम संदेश >95% सीटी/पीटी में उपलब्ध हैं (हां/नहीं) | 25 |
| एसबीएम संदेश 70% - 95% सीटी/पीटी में उपलब्ध हैं (हां/नहीं) | 20 |
| एसबीएम संदेश 50% - 69% सीटी/पीटी में उपलब्ध हैं (हां/नहीं) | 15 |
| एसबीएम संदेश 30% - 49% सीटी/पीटी में उपलब्ध हैं (हां/नहीं) | 10 |
| एसबीएम संदेश <30% सीटी/पीटी में उपलब्ध हैं (हां/नहीं) | 0 |

## सैंपल / नमूनो को लेने के मानदंड

| आकलन क्षेत्र | जनसंख्या | | | |
|---|---|---|---|---|
| | < 1 लाख | 1-3 लाख | 3-10 लाख | >10 लाख |
| श्रेणियाँ - 2 (सीटी और पीटी) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| प्रति ज़ोन / क्षेत्र में कवर किए जाने वाले स्थानों की संख्या | 2 | 3 | 5 | 6 |
| शहर में कुल क्षेत्र/ ज़ोन | 2 | 2 | 4 | 5 |
| **कुल स्थान** | **8** | **12** | **40** | **60** |

# सिटिज़न एंगेजमेंट-
# प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से

**अंक 25**

**12. स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 में कलात्मक कार्य: होर्डिंग/ बिलबोर्ड/ दीवार लेखन/ भित्तिचित्र/शुभंकर (Murals/Mascot ) /वाणिज्यिक वाहनों पर संदेश/ शहर के सभी वाणिज्यिक/सार्वजनिक क्षेत्रों में दिखाई देने वाली कलाकृतियां |**
**(शहरों को सलाह दी जाती है कि वे आईईसी के लिए प्लास्टिक का उपयोग अंक प्राप्त करने के लिए न करें)**

यूएलबी से अपेक्षा की जाती है कि वे कला कार्य और अन्य माध्यमों से एसएस-2022 संदेशों को बढ़ावा देकर नागरिकों को जोड़े और उन्हें योगदान करने और अपना शहर नंबर 1 बनाने के लिए प्रेरित करें।

**आईईसी सामग्री को लिंग-संवेदनशील और समावेशी तरीके से बनाया जाना चाहिए।**

| अंक योजना | अंक |
|---|---|
| हां, प्रदर्शन के मामले में व्यापक प्रचार किया गया है (>95% वार्डों में) | 25 |
| हां, लेकिन मध्यम / औसत प्रचार किया जाता है (75%-94% वार्डों में) | 20 |
| हां, लेकिन आंशिक प्रचार दिखाई दे रहा है (50% -74% नमूना/ सेमप्ल स्थान पर) | 15 |
| नहीं या नगण्य प्रचार (केवल <50% वार्डों में) | 10 |

**सैंपल / नमूनो को लेने के मानदंड**

| आकलन क्षेत्र | <50K | 50K-1L | 1-3L | 3-10L | >10L |
|---|---|---|---|---|---|
| नमूना/ सेमप्ल की श्रेणी - 1 (एसएस-2022 प्रचार) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| प्रति जोन कवर किए जाने वाले स्थान | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| शहर में कुल ज़ोन/ क्षेत्र | **2** | **2** | **4** | **4** | **5** |
| **कुल स्थान** | **16** | **20** | **40** | **48** | **60** |

# नागरिकों के सुझाव अनुरूप सुधार योग्य गतिविधियां - प्रत्यक्ष अवलोकन
## (संकेतकों की संख्या- 3)
## (350/2,250 अंक)

# नागरिकों के सुझाव अनुरूप सुधार योग्य गतिविधियां - प्रत्यक्ष अवलोकन

**1. शहर को स्वच्छ बनाने में सौंदर्यीकरण को प्राथमिकता देना - पुराने शहर के क्षेत्रों, फ्लाईओवर, सार्वजनिक स्थानों का सौंदर्यीकरण-**

**(1)** दीवार पेंटिंग / भित्ति चित्र, **(2)** स्क्रीन / जाली के साथ ढकी हुई नलिया जल निकासी हेतु (तृतीयक और माध्यमिक) प्रणाली **(3)*** वेस्ट टू वंडर पार्क/ कॉर्नर/ स्पॉट/सेल्फ़ी पॉइंट, **(4)** स्ट्रीट वेंडर ज़ोन / हॉकर ज़ोन अच्छी तरह से बनाए हुए हैं - शून्य लिटरिंग (कूड़ा) और सुव्यवस्थित हो **(5)** कोई लटकता हुआ बैनर न हो **(6)** सार्वजनिक दीवारें पोस्टरों/बिलों से मुक्त हैं (सरकारी नोटिसों को छोड़कर) **(7)** शोधित अपशिष्ट जल का उपयोग प्रमुख चौराहों पर फव्वारों में किया जाए**

* कोई भी काम जहां कचरे का इस्तेमाल कलाकृतियों या किसी अन्य प्रकार की कला के काम के लिए किया गया था।

**कम से कम 5 चौराहों (चौराहे) >10 लाख आबादी वाले शहरों में, 3-10 लाख आबादी वाले शहर मे कम से कम 4, 1-3 लाख आबादी वाले शहरों में कम से कम 3, 50 के-1 लाख आबादी वाले शहरों में कम से कम 2 और 50 हजार आबादी वाले शहरों में कम से कम 1

**कार्य प्रणाली**

- एजेंसी द्वारा प्रबंधित एसएस-2022 पोर्टल के माध्यम से निकाय को उपरोक्त प्रगति का दावा करने की आवश्यकता है।
- मूल्यांकनकर्ता उपरोक्त सभी क्षेत्रों/प्रतिष्ठानों का दौरा करेंगे|
- मूल्यांकनकर्ता किसी के साथ बातचीत नहीं करेंगे। यह पूरी तरह से स्थिति का उनका अपना आंकलन होगा|
- मूल्यांकनकर्ता अपने अवलोकन/आकलन का समर्थन करने के लिए फोटो क्लिक करेंगे

| अंक योजना | अधिकतम अंक 100 |
|---|---|
| हाँ उपरोक्त सभी 7 के लिए | 100 |
| हाँ उपरोक्त सभी 6 के लिए | 80 |
| हाँ उपरोक्त सभी 5 के लिए | 60 |
| हाँ उपरोक्त सभी 3 के लिए | 40 |
| हाँ उपरोक्त सभी 2 के लिए | 20 |
| हाँ कम से कम 1 के लिए | 10 |

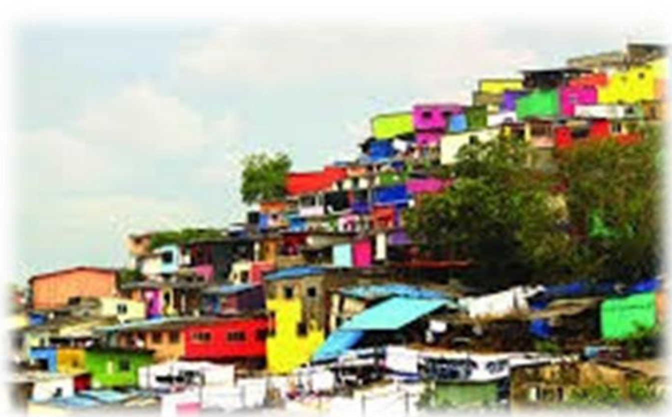

| आकलन क्षेत्र | जनसंख्या | | | |
|---|---|---|---|---|
| | < 1 लाख | 1-3 लाख | 3-10 लाख | >10 लाख |
| श्रेणी-7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| प्रति जोन कवर किए जाने वाले स्थान | 1 | 1 | 2 | 2 |
| शहर में कुल जोन | 2 | 4 | 4 | 5 |
| **कुल स्थान** | **14** | **28** | **56** | **70** |

# स्वच्छ वायु

# नागरिकों के अनुभव में सुधार करने वाली कार्रवाइयां - प्रत्यक्ष अवलोकन

## 2. हवा में धूल के स्तर को कम करने के लिए किए गए उपाय

नोट:

- 3-4 फीट के डिवाइडर वाली सड़कों के बीच में हरियाली होनी चाहिए।
- सड़क किनारे हरियाली भी मान्य होगी
- * भीड़-भाड़ कम करना, उदाहरण के लिए, पैदल चलने वालों को चलने/आने-जाने के लिए अधिक खुली जगह देने के लिए नियंत्रित या विनियमित यातायात की आवाजाही करना जिसके लिए पैदल चलने वालों के लिए अधिक खुली जगह बनाने के हेतु फेरीवालों/विक्रेताओं द्वारा अपनी दुकानों को फिर से संगठित / री-ओर्गनास किया है।

| अंक योजना | अधिकतम अंक 150 |
|---|---|
| सभी सड़कें और फुटपाथ - बिना गड्ढों और टूटे हुए पेवर ब्लॉक के | 20 |
| सभी निर्माण क्षेत्रों (भवन) को कण (धूल के) पदार्थ के फैलाव से बचने के लिए कवर किया गया है | 30 |
| सार्वजनिक सड़कों/क्षेत्रों में सभी निर्माण/रखरखाव कार्य का सीमांकन किया गया है और कणों के फैलाव से बचने के लिए कवर किया गया है | 20 |
| कम से कम एक वाणिज्यिक क्षेत्र में भीड़भाड़ कम किया गया है * (पहले और बाद की तस्वीर) | 40 |
| 100% ग्रीन रोड डिवाइडर : प्रदूषण नियंत्रण में सहायक विशिष्ट प्रकार की प्रजातियों का वृक्षारोपण शहर के सभी रोड डिवाइडरों में किया गया | 20 |
| शहरों के 100% हरित पट्टी/ ग्रीन बेल्ट क्षेत्र, अतिक्रमण मुक्त है | 20 |

**क्रियाविधि**

- मूल्यांकनकर्ता उपरोक्त सभी क्षेत्रों का दौरा करेंगे
- मूल्यांकनकर्ता किसी के साथ बातचीत नहीं करेंगे। यह पूरी तरह से स्थिति का उनका अपना आकलन होगा
- मूल्यांकनकर्ता अपने अवलोकन/ आकलन का समर्थन करने के लिए चित्र क्लिक करेंगे

| आकलन क्षेत्र | जनसंख्या | | | |
|---|---|---|---|---|
| | < 1 Lakh | 1-3 Lakh | 3-10 Lakh | >10 Lakh |
| श्रेणियाँ : 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| स्थान की संख्या (प्रति क्षेत्र/ ज़ोन से स्थान कवर किए जायेंगे) | 1 | 1 | 2 | 2 |
| शहर में कुल ज़ोन | 2 | 4 | 4 | 5 |
| **कुल स्थान** | **12** | **24** | **48** | **60** |

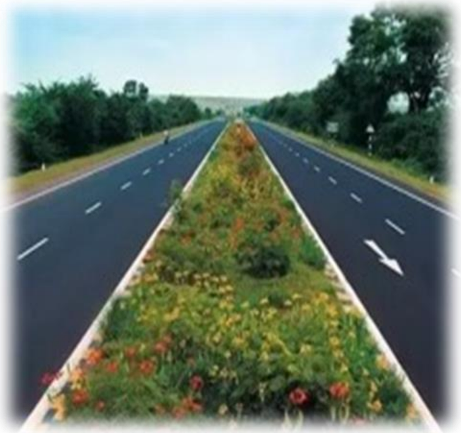

# नागरिकों के अनुभव में सुधार करने वाली कार्रवाइयां - प्रत्यक्ष अवलोकन

## 3. 100% मलिन बस्तियों (Slums) में सामाजिक सहायता समूह/ समितियां निकाय के अधिकार क्षेत्र में आती हैं

| अंक योजना | अधिकतम अंक 100 |
|---|---|
| 100% मलिन बस्तियों (Slums) को घर-घर (पृथक) कचरा संग्रह के साथ कवर किया गया है | 25 |
| सामुदायिक शौचालय का ओ एंड एम (O&M) और खुले नालों में अपशिष्ट जल / मल कीचड़ का शून्य निर्वहन (Zero discharge) | 25 |
| मलिन बस्तियों (Slums) में 100% घरों का रखरखाव (बाहरी) | 10 |
| *सामाजिक सहायता समूह/समितियां द्वारा प्रत्येक झुग्गी बस्ती में निर्मित/ पंजीकरत किए गए (कम से कम 10 सदस्यो को) तथा उन्हे सशक्त एवं दिशानिर्देशित किया गया, सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन तथा निकाय द्वारा निर्बाध सेवाओं की निगरानी हेतु | 20 |
| लैंगिक समानता और समावेशिता में सुधार के लिए, अनौपचारिक कचरा बीनने वालों, महिलाओं, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगों को एक साथ ऐसे सामाजिक सहायता समूहों में न्यूनतम 33% प्रतिनिधित्व दिया गया है। | 10 |
| प्रत्येक स्लम में गठित एसएचजी (**SHGs**) और 3R पहल के तहत यूएलबी द्वारा काम दिया गया है। | 10 |

*समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ) और स्वशासी स्थानीय समुदाय निकाय (एलसीबी), जिसमें रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए), हाउसिंग सोसायटी, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), विशेष रुचि समूह (एसआईजी), सामान्य हित समूह (सीआईजी) , जन कल्याण समिति, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) और स्लम डेवलपमेंट एसोसिएशन (एसडीए) शामिल हैं।

**Methodology**

- नमूने/ सेमप्ल के आकार के अनुसार मूल्यांकनकर्ता झुग्गियों का दौरा करेंगे|
- दावा की गई प्रगति के आधार पर मूल्यांकनकर्ता नागरिकों के साथ बातचीत कर सकते हैं|
- मूल्यांकनकर्ता अपने अवलोकन/ आकलन का समर्थन करने के लिए चित्र क्लिक करेंगे|

| आकलन क्षेत्र | जनसंख्या | | | |
|---|---|---|---|---|
| | < 1 Lakh | 1-3 Lakh | 3-10 Lakh | >10 Lakh |
| प्रति ज़ोन में कवर किए जाने वाले स्थान | 1 | 2 | 3 | 4 |
| शहर में कुल ज़ोन | 2 | 4 | 4 | 5 |
| **कुल स्थान** | **2** | **8** | **12** | **20** |

# स्वच्छता ऐप / स्थानीय ऐप
# कुल संकेतक - 5
# 400 / 2250 अंक

## स्वच्छता ऐप/स्थानीय ऐप से 5 संकेतक/ इंडिकेटर

स्वच्छता ऐप/स्थानीय ऐप के साथ पंजीकृत घरों का %

SLA के भीतर हल की गई शिकायतों का %

स्वच्छता ऐप/स्वच्छ मंच/स्थानीय ऐप पर सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या

खुले पेशाब की शिकायतों का % SLA के भीतर हल किया गया

**हल की गई शिकायतों पर उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया**

# स्वच्छता ऐप/स्थानीय ऐप

1. स्वच्छता ऐप/स्थानीय ऐप पर सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या (स्वच्छता ऐप के साथ एकीकृत)

सक्रिय उपयोगकर्ता कोई भी हो सकता है जिसने उस महीने के दौरान निम्न में से कोई भी गतिविधि की हो:

1. शिकायत पोस्ट की हो
2. शिकायत पर मतदान किया
3. शिकायत पर टिप्पणी किया हो
4. समाधान की गई शिकायत पर फीडबैक दिया हो

| अंको की योजना |
|---|
| अधिकतम स्कोर/ अंक: 75 |
| नीचे दिए गए फॉर्मूले के अनुसार परिकलित प्रतिशत 'अधिकतम स्कोर' पर लागू होगा जो उस महीने का स्कोर बन जाएगा। |
| SS-2022 के लिए इस सूचक का अंतिम स्कोर हर महीने के स्कोर का औसत होगा |

**कार्यप्रणाली:**

- ❖ रैंकिंग मासिक आधार पर की जाएगी (1 जुलाई 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक प्रभावी)।
- ❖ हर महीने की अंतिम रैंक की गणना निम्न मापदंडों के औसत के रूप में की जाएगी
- ❖ अर्हता (Qualify) प्राप्त करने के लिए 2% जनसंख्या द्वारा डाउनलोड शर्त लागू होगी
- ❖ फॉर्मूला होगा–

$$\text{उपयोगकर्ता जुड़ाव (एंगेजमेंट)} = \frac{(\text{सक्रिय उपयोगकर्ता की संख्या})}{(\text{निकाय में कुल पंजीकरण})} X\ 100$$

* स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के लिए इस सूचक का अंतिम स्कोर 1 जुलाई 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक हर महीने के स्कोर का औसत होगा

# स्वच्छता ऐप/स्थानीय ऐप

## 2. SLA (सर्विस लेवल एग्रीमेंट/ सेवा स्तर अनुबंध) समय सीमा के भीतर कितने प्रतिशत शिकायतों का समाधान किया गया है

| अंको की योजना |
| --- |
| अधिकतम स्कोर/ अंक: 100 |
| नीचे दिए गए फॉर्मूले के अनुसार परिकलित/ गणन प्रतिशत 'अधिकतम स्कोर' पर लागू होगा जो उस महीने का स्कोर बन जाएगा। |
| SS-2022 के लिए इस सूचक का अंतिम स्कोर हर महीने के स्कोर का औसत होगा |

**<u>कार्यप्रणाली: संकल्प दर</u>**

फॉर्मूला होगा–

$$\text{संकल्प दर} = \frac{(\text{शिकायतों का समाधान}(\text{संख्या}) - \text{फिर से खोली गई शिकायत} - 2\, x\text{नकली संकल्प})}{\text{निकाय में कुल शिकायते}} X\ 100$$

**नोट:**

- यह फॉर्मूला तभी लागू होगा जब किसी शहर को उस महीने में कुल आबादी के 0.1% के बराबर शिकायतें मिली हों।
- * स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के लिए इस सूचक का अंतिम स्कोर 1 जुलाई, 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक हर महीने के स्कोर का औसत होगा

# स्वच्छता ऐप/स्थानीय ऐप

**3. ओपन यूरिनेशन 'येलो स्पॉट' से संबंधित शिकायतों का कितना प्रतिशत SLA (सर्विस लेवल एग्रीमेंट/ सेवा स्तर अनुबंध) समय सीमा के भीतर हल किया गया है**

| अंको की योजना |
|---|
| अधिकतम स्कोर/ अंक: 75 |
| नीचे दिए गए फॉर्मूले के अनुसार परिकलित/ गणन प्रतिशत 'अधिकतम स्कोर' पर लागू होगा जो उस महीने का स्कोर बन जाएगा। |
| SS-2022 के लिए इस सूचक का अंतिम स्कोर हर महीने के स्कोर का औसत होगा |

## कार्यप्रणाली: संकल्प दर

फॉर्मूला होगा–

$$\text{संकल्प दर} = \frac{(\text{शिकायतों का समाधान}(\text{संख्या}) - \text{फिर से खोली गई शिकायत} - 2\,x\,\text{नकली संकल्प})}{\text{निकाय में कुल शिकायते}} X\ 100$$

**नोट:**

- यह फॉर्मूला तभी लागू होगा जब किसी शहर को उस महीने में कुल आबादी के 0.1% के बराबर शिकायतें मिली हों।
- * स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के लिए इस सूचक का अंतिम स्कोर 1 जुलाई 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक हर महीने के स्कोर का औसत होगा।

# स्वच्छता ऐप / स्थानीय ऐप

**4. कितने प्रतिशत परिवारों का पंजीकरण है?**

| अंको की योजना | अंक |
|---|---|
| >=25% | 75 |
| >=21% & 24% | 65 |
| >=17% & 20% | 55 |
| >=13% & 16% | 45 |
| >=9% & 12% | 35 |
| >=5% & 8% | 25 |
| < 5% | 0 |

**<u>कार्यप्रणाली: पंजीकरण अंक</u>**

फॉर्मूला होगा–

$$\text{पंजीकरण अंक} = \frac{(\text{कुल पंजीकरण की संख्या})}{\text{निकाय में घरो की संख्या}} X\ 100$$

**नोट: इसके अंतर्गत योग्यता हेतु न्यूनतम मानदंड 2% पंजीकरण है।**

* स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के लिए इस सूचक के अंतिम स्कोर की गणना ऊपर दी गई तालिका के अनुसार की जाएगी।

# स्वच्छता ऐप / स्थानीय ऐप

## 5. हल की गई शिकायतों पर उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया

| अंको की योजना |
| --- |
| अधिकतम स्कोर/ अंक: 75 |
| नीचे दिए गए फॉर्मूले के अनुसार परिकलित प्रतिशत 'अधिकतम स्कोर' पर लागू होगा जो उस महीने का स्कोर बन जाएगा। |
| इस सूचक का स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के लिए अंतिम स्कोर हर महीने के स्कोर का औसत होगा |

**कार्यप्रणाली: उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया**

फॉर्मूला होगा–

उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया =

$$\frac{(SLA \text{ के भीतर हल की गई शिकायतों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया की संख्या})}{SLA \text{ में हल की गई शिकायतों की संख्या}} X\ 100$$

**Note:** यह फॉर्मूला तभी लागू होगा जब किसी शहर को उसकी आबादी का 0.1% के बराबर शिकायतें प्राप्त हुई हों उस महीने ।

- केवल शिकायतकर्ता की प्रतिक्रिया मान्य की जाएगा।
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के लिए इस सूचक का अंतिम स्कोर हर महीने का औसत लिया जाएगा 1 जुलाई 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक

# आपदा / महामारी संबंधी प्रतिक्रिया की तैयारी निकायों के फ्रंटलाइन वर्कर्स को मजबूत बनाना
# कुल 5 संकेतक – 200 / 2,250 अंक

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | नगरीय फ्रंटलाइन कर्मचारियों का प्रतिशत जिन्हे कोविड वैक्सीन के दोनों डोज़ लग चुके है | >95% | 50 अंक |
| | | 81% - 95%z | 40 अंक |
| | | 65% – 80% | 30 अंक |
| 2 | नगरीय फ्रंटलाइन कर्मचारियों का प्रतिशत जिनका जीवन और स्वास्थ्य संबंधी बीमा किया गया जिसमे कोविड-19 और अन्य बीमारियों कवर हों \| | >95% | 30 अंक |
| | | 81% - 95% | 20 अंक |
| | | 65% - 80% | 10 अंक |
| 3 | न्यूनतम 75% नगरपालिका फ्रंटलाइन कर्मचारियों (स्थायी/संविदात्मक) को आपदा/महामारी संबंधी आपातकालीन स्थितियों के लिए प्रशिक्षित किया गया | आपातकाल के दौरान बेहतर प्रतिक्रिया देने में सक्षम होने के लिए मासिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया | 30 अंक |
| 4 | नगरीय निकायों पर आश्रित फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं जो अब जीवित नहीं रहे उनके आश्रितों को उचित मुआवजा मिला | 100% मामलों मे राष्ट्रीय/राज्य बीमा योजनाओं के अनुसार मुआवजा दिया गया /प्रक्रिया शुरू की गई | 30 अंक |
| 5 | जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए महामारी/आपदा प्रतिक्रिया इकाई के रूप में कार्य करने के लिए समुदाय/एसएचजी/आरडब्ल्यूए/स्वयंसेवकों को शामिल कर वार्डों में सामाजिक समूह बनाए गए | >95% वार्ड | 20 अंक |
| | | 81% - 95% वार्ड | 15 अंक |
| | | 65% - 80% वार्ड | 10 अंक |
| 6 | **आपदा / महामारी प्रबंधन** | जीवन की सुरक्षा, आश्रय प्रदान करने, पुनर्वसन आदि पर ध्यान देने के साथ आपदा प्रबंधन से सम्बंधित नवाचार और उत्कृष्ट उदाहरण | **40 अंक** |

# नवाचार एवं उत्कृष्ट अभ्यास

## नागरिकों के द्वारा वैधता की जांच की जाएगी

**कुल संकेतक - 2**

**150 अंक / 2,250 अंक**

# 6.1 श्रेणी 1: निकाय द्वारा नवाचार और उत्कृष्ट उदाहरण

**अंक 75**

निकाय द्वारा 'नवाचार और उत्कृष्ट उदाहरण" के तहत गुणवत्तापूर्ण परियोजना (प्रोजेक्ट) अग्रलिखित छेत्र में प्रस्तुत करना है - ठोस/तरल अपशिष्ट प्रबंधन, व्यवहार परिवर्तन, स्थायी स्वच्छता, अनौपचारिक कार्यकर्ता या हस्तक्षेप जो वायु गुणवत्ता, जल संरक्षण, अपशिष्ट जल उपचार और इसके पुन:उपयोग या वर्षा जल प्रबंधन, कुशल डी-स्लजिंग / सीवर सफाई संचालन आदि से सम्बंधित हों | सभी नवाचारों को 31 दिसंबर 2021 तक अवश्य पुरे हो जाने चाहिए और स्वच्छ सर्वेक्षण -2022 पोर्टल पर 15 जनवरी 2022 तक अपलोड हो जाना चाहिए ।

शहर निम्नलिखित में से कुछ हस्तक्षेपों(विषयों ) का चयन प्रोजक्ट के लिए भी कर सकते हैं। हालाँकि, नवाचार क्षेत्र केवल निम्नलिखित हस्तक्षेपों( विषयों ) तक सीमित नहीं हैं –

1. कोविड-19 से प्रभावित परिवारों/व्यक्तियों के लिए देखभाल और सहायता प्रणाली
2. स्थायी समाधान
3. सार्वजनकि - निजी भागीदारी
4. भारत सरकार के अन्य प्रमुख मिशनों में अभिसरण (कन्वर्जेंस)
5. सूचना शिक्षा संचार एवं व्यवहार परिवर्तन
6. सामुदायिक जुड़ाव
7. प्रसंस्करण के उप-उत्पादों की बिक्री
8. मासिक धर्म अपशिष्ट (Menstrual waste) प्रबंधन
9. मजबूत मल कीचड़ (फीकल स्लज) प्रबंधन प्रणाली
10. उपयोगकर्ता के अनुकूल (सुलभ) समुदायिक और सार्वजनिक शौचालय
11. जेंडर आधारित - विशिष्ट समाधान - महिलाओं और ट्रांसजेंडरों पर ध्यान देने के साथ

| अंक योजना | अधि.अंक |
|---|---|
| कार्यान्वयन | 20 |
| नवीनता (क्या आपका विचार मूल या अद्वितीय है?) | 10 |
| मापनीयता | 10 |
| वितीय शाश्वतता | 15 |
| प्रभाव | 20 |

1. ***सभी शहरों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त श्रेणियों में एक परियोजना प्रस्तुत करें। आपकी परियोजना /नवाचार के लिए फ़ोटो /वीडियो क्लिप के साथ व्यापक दस्तावेज़ीकरण आपके शहर के लिए एक मजबूत आधार देगा***
2. ***इसके अलावा इस तरह के नवाचार/उत्कृष्ट अभ्यासों को शहर में बढ़ावा दिया जाना चाहिए - ऑन-फील्ड सत्यापन के दौरान शहर की सहायता के लिए***

6.2

**श्रेणी 2 :**
**नागरिकों/आरडब्ल्यूए/एनजीओ/एसएचजी/निजी क्षेत्र/सीएसआर द्वारा नवाचार और उत्कृष्ट उदाहरण**

**अंक 75**

निकाय द्वारा 'नवाचार और उत्कृष्ट उदाहरण' के अंतर्गत प्रस्तुत परियोजना की गुणवत्ता निम्न क्षेत्रों में - अपशिष्ट प्रबंधन, व्यवहार परिवर्तन, शाश्वत स्वच्छता, आपदा प्रबंधन या वायु गुणवत्ता और जल संरक्षण या अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग में सुधार हेतु योगदान देने वाले हस्तक्षेप - सभी नवाचार 31 दिसंबर 2021 तक पुरे हो जाने चाहिए और स्वच्छ सर्वेक्षण -2022 पोर्टल पर 15 जनवरी 2022 तक अपलोड हो जाना चाहिए ।

**शहर निम्नलिखित में से किसी भी हस्तक्षेपों (intervention) (विषयों ) का चयन प्रोजक्ट के लिए भी कर सकते हैं। हालाँकि, नवाचार क्षेत्र केवल निम्नलिखित हस्तक्षेपों तक सीमित नहीं हैं –**

1. कोविड-19 से प्रभावित परिवारों/व्यक्तियों के लिए देखभाल और सहायता प्रणाली
2. शाश्वत समाधान
3. सार्वजनिक – निजी भागीदारी
4. भारत सरकार के अन्य प्रमुख मिशनों में अभिसरण (कन्वर्जेंस)
5. सूचना शिक्षा संचार एवं व्यवहार परिवर्तन
6. सामुदायिक जुड़ाव
7. प्रसंस्करण से प्राप्त उप-उत्पादों की बिक्री
8. मजबूत अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली
9. मासिक धर्म अपशिष्ट (Menstrual waste) प्रबंधन
10. उपयोगकर्ता के अनुकूल (सुलभ) समुदायिक और सार्वजनिक शौचालय
11. जेंडर आधारित विशिष्ट समाधान - महिलाओं और ट्रांसजेंडरों पर ध्यान देने के साथ

| अंक योजना | अधिकतम अंक |
|---|---|
| क्रियान्वयन | 15 |
| नवीनता (क्या आपका यह विचार मौलिक या अद्वितीय है?) | 15 |
| मापनीयता | 15 |
| प्रभाव | 30 |

1. ***सभी शहरों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त श्रेणियों में कोई एक परियोजना प्रस्तुत करें। आपकी परियोजना या पहल के लिए चित्रों/वीडियो क्लिप के साथ व्यापक दस्तावेज़ीकरण आपके शहर के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगा***
2. ***इसके अलावा इस तरह के नवाचार/उत्कृष्ट अभ्यासों को शहर में बढ़ावा दिया जाना चाहिए - ऑन-फील्ड सत्यापन के दौरान शहर की सहायता के लिए***


113

आज़ादी का अमृत महोत्सव

Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

# आजादी@75

# स्वच्छ सर्वेक्षण 2022

*#मेरा शहर मेरी पहचान*

## विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वे जिससे 40 करोड़ नागरिक प्रभावित हों रहे हैं

# आल दा बेस्ट!